खण्ड-231, अंक-6
बुधवार, 9 ज्येष्ठ, शक संवत् 1884
(30 मई, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 231 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-सं
उपस्थित सदस्य	५२५–५२६
प्रश्नोत्तर	५२६–५४४
प्रश्नों के संबंध में आपत्ति	५४५–५४६
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (अतिरिक्त सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६२ (उपस्थापित की गयी)..	५४६–५४७
पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये) ..	५४७–५४८
कार्य-स्थगन प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	५४८
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	५४८
विधायक निवास में ठंडे पानी की व्यवस्था की मांग	५४८–५४९
१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवायोजन (स्वीकृत) ..	५४९–६०२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३० मई, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५०

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
किसुना, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गौरादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड०-ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री

प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बलारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बसंतसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
मातादीन, श्री
माधवनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैद्यनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री

सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३० मई, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

टेहरी-गढ़वाल के लास्या क्षेत्र में ओला पीड़ितों को सहायता

१—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन** (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें २५, २६ और २७ अप्रैल, १९६२ को टेहरी-गढ़वाल के लास्या क्षेत्र के ३७ गांवों में भयंकर ओलावृष्टि होने की सूचना मिली है ?

चिकित्सा उपमन्त्री (श्री धर्मसिंह)—२५ अप्रैल, से २९ अप्रैल, १९६२ के बीच जिला टेहरी-गढ़वाल के लास्या क्षेत्र के २२ गांवों में उपल वृष्टि से रबी की फसल को क्षति पहुंचने की सूचना मिली है ।

२—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन**—क्या माल मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस ओला वृष्टि से इन गांवों को कितना नुकसान पहुंचा है ?

श्री धर्मसिंह—उपर्युक्त गांवों में फसल की अनुमानित क्षति १२ न० पै० से ६६ न० पै० तक है ।

३—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन**—क्या माल मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि इन गांवों के गरीब किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिये शासन ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

श्री धर्मसिंह—क्षतिग्रस्तों को आवश्यकतानुसार अहेतुक सहायता और तकावी दी जावेगी ।

६ माह के लिये लगान तथा रबी किस्त की वसूली स्थगित कर दी गई है ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—माननीय मंत्री जी ने जो १२ नये पैसे से लेकर ६६ नये पैसे तक की क्षति बतलायी, मैं जानना चाहती हूं कि अधिक से अधिक क्षति कितनी हुई है और कितने गांवों में हुई है ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—१२ नये पैसे से ३७ नये पैसे तक ६ गांवों में, २५ नये पैसे तक ४ गांवों में, २६ नये पैसे तक २ गांवों में, ४१ नये पैसे तक ४ गांवों में और ५६ नये पैसे से ५९ नये पैसे तक २ गांवों में, और ६२ नसे पैसे से ६६ नये पैसे तक ४ गांवों में क्षति हुई है ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—आपने जो ६ महीने के लिये लगान और रबी की किस्त की वसूली स्थगित की है, क्या कृपा करके उनको ६ महीने की खुली छूट देने की घोषणा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—छूट देने के कुछ नियम हैं । नियमानुसार जो छूट के मुस्तहक्क होंगे उनको छूट दी जायगी ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि क्षतिग्रस्त गांवों की मांग है कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस पर विचार कर रहे हैं, अगर जरूरत समझी गयी तो चीप ग्रेन शाप्स खोल दी जायेंगी ।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—माननीय मंत्री जी ने कहा कि २५ नये पैसे की क्षति ४ गांवों में हुई और २६ नये पैसे की २ गांवों में, तो यह एक पैसे का नुकसान में जो फर्क दिखलाया गया है, उसे किस खुर्दबीन से जांचा गया, इसे क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वही जो मामूली खुर्दबीन है उसी से जांचा गया ।

श्री गंगाधर (जिला चमोली)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्षति का अनुमान किस अधिकारी के द्वारा लगाया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रेवेन्यू स्टाफ के अधिकारी द्वारा ।

श्री गंगाधर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रेवेन्यू स्टाफ के किस अधिकारी ने उन गांवों में जाकर इस क्षति का अनुमान लगाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अहेतुक सहायता कब तक दी जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरा तो खयाल है कि वह बंट रही होगी । सेंक्शन होकर उनको यहां से भेज दिया गया है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उनको जो रिपोर्ट मिली है वह लेखपाल द्वारा बनाये हुए कागज के आधार पर है ?

श्री अध्यक्ष—रेवेन्यू अथारिटी के लिये तो उन्होंने कहा है ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अहेतुक सहायता है उसे कब देंगे और क्या उसे जल्दी से जल्दी देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि गालिबन इस वक्त तक बंट गयी होगी, उनके आदेश यहां से जारी हो चुके हैं ।

कर बढ़ाने पर विचार

***४—**कुंवर श्रीपाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार अपने घाटे को पूरा करने के हेतु ग्रामीण अंचलों पर कर-भार बढ़ाने जा रही है जिसमें से कृषि उत्पादन पर "सरचार्ज" नाम से कोई कर लगेगा ? यदि हां, तो वह किस प्रकार आधारित किया जावेगा ?

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—घाटे को पूरा करने के लिये कर-भार बढ़ाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

यह प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर श्रीपाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि सरचार्ज के नाम से कोई कर नहीं लगने वाला है तब फिर वह विचाराधीन कर किस नाम से लगेगा और किस प्रकार आधारित किया जायगा ?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जब विचाराधीन है तो इन प्रश्नों का उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि लगान बढ़ाने का विचार तो इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—घाटा किस प्रकार से पूरा किया जाय और कौन सी सूरत से पूरा किया जाय, यह बड़ा भारी व्यापक प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

जौनपुर के सेल्स टैक्स आफिसर, श्री जे० बी० माथुर के विरुद्ध स्ट्रिक्चर पर विचार

५—श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ८ सितम्बर, १९६१ को हाईकोर्ट ने शम्भू नाथ बनाम सेल्स टैक्स आफिसर जौनपुर, के मुकदमे के फैसले में जौनपुर के सेल्स टैक्स आफिसर पर यह स्ट्रिक्चर पास किया है कि:—

"I cannot part with this case without the said reflection that officers charged with the duty of administering the law, should so far forget their duty as to throw the law to the winds, and to act according to their own whim and pleasure. The least which is expected of public servant is to obey the rule of law and not to break the law"

तथा यह भी आज्ञा दी है कि उनके फैसले की नकल सेल्स टैक्स कमिश्नर के पास उचित कार्यवाही के लिये भेजी जाय ?

श्री जयराम वर्मा—जी हां ।

६—श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार को उक्त फैसले की नकल हाईकोर्ट द्वारा प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जयराम वर्मा—सरकार को उक्त फैसले की नकल स्टैंडिंग काउंसिल द्वारा प्राप्त हुई है जो अभी सरकार के विचाराधीन है ।

७—श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या यह सही है कि जौनपुर के सेल्स टैक्स आफिसर के नाजायज कामों के कारण उनके कैरेक्टर रोल में उनके खिलाफ राजाज्ञायें दर्ज हैं, विशेषतः यह राजाज्ञा दर्ज है कि सरकारी नौकरी में रखने लायक नहीं हैं और इसी कारण अब तक वे टेम्पोरेरी हैं ?

श्री जयराम वर्मा—कैरेक्टर रोल में अंकित अभ्युक्तियां (remarks) गोपनीय होती हैं और उनको सदन में बताना जनहित में न होगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या यह सही है कि सीनियर सेल्स टैक्स आफिसर होने के बाद भी कैरेक्टर रोल में गलत एन्ट्री के कारण ही वह आजतक स्थायी नहीं हो सके ?

श्री जयराम वर्मा—मैंने बताया कि कैरेक्टर रोल एन्ट्री गोपनीय होती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैंने पूछा था कि क्या वह उसी एन्ट्री के कारण स्थायी नहीं हुये ?

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब यह हुआ कि वह उससे गोपनीय नहीं रहेगी ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार बतायेगी कि यह सितम्बर के जजमेंट का हाईकोर्ट का स्ट्रिक्चर है और अब अई खत्म हो रहा है तो इस स्ट्रिक्चर के बारे में सरकार कब तक कदम उठायेगी और यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री जयराम वर्मा—वहां से कुछ समय तो जजमेंट के आने में लग गया, उसके बाद सेल्स टैक्स आफिसर से रिपोर्ट मांगी गई, फिर सेल्स टैक्स कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई, अब सब कागजात सरकार के सामने आये हैं और उन पर विचार हो रहा है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने हाईकोर्ट के जजमेंट पर रिपोर्ट मांगी या उन का एक्सप्लेनेशन मांगा था ?

श्री जयराम वर्मा—उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया था कि उन्हें क्या कहना है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह देखते हुये कि मामला काफी गंभीर है, क्या सरकार उस फैसले पर जल्द विचार करेगी ?

श्री जयराम वर्मा—उस पर विचार हो रहा है और जल्द फैसला हो जायगा । अभी तो कागजात आये हैं, एक्सप्लेनेशन और सेल्स टैक्स कमिश्नर की रिपोर्ट आई हैं, उसमें कुछ समय लगेगा ।

श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)—क्या मंत्री जी उन सेल्स टैक्स आफिसर का नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा—श्री जे० बी० माथुर ।

श्री केसरी प्रसाद (जिला जौनपुर)—वह सेल्स टैक्स आफिसर आजतक अस्थायी किस कारण से बने हुये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सरकारी मुहकमों में बहुत से लोग अस्थायी बहुत से कारणों से बने हुये हैं ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न ।]

गाजीपुर जिले में हरिजनों को कृषि अनुदान

*१—**श्री झिलमिट झिल्लू** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में वित्तीय वर्ष १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में कितने हरिजनों को कृषि संबंधी अनुदान दिये गये तथा कितने रुपये के ? यदि किसी को नहीं दिये गये, तो इसका क्या कारण है ?

समाज कल्याण उपमन्त्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—१९६०-६१ तथा १९६१-६२ में जिला गाजीपुर में क्रमशः ८-८ हरिजनों को कुल १४०० रु० तथा २८८० रुपये के कृषि अनुदान दिये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री झिलमिट झिल्लू—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में क्रमशः कितने प्रार्थना-पत्र आये थे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसकी सूचना इस समय नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, लखनऊ के सेक्रेटरी का आनरेरियम

*२—**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, लखनऊ ने अपने कार्यालय के लिये कुछ नये वैतनिक पदों का सृजन करके नियुक्तियां की हैं और उनकी मंजूरी सरकार से मांगी है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से पद हैं और उन पर किन-किन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है और प्रत्येक पद का वेतन ग्रेड क्या है ?

न्याय मन्त्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठते ।

श्री भोखालाल—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यूनियन के सेक्रेटरी के पद पर आज कल जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको आनरेरियम के तौर पर कुछ दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना मासिक दिया जाता है ?

सहकारिता मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—यह तो यूनियन का काम है। इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के अन्तर्गत खीरी जिले में मुकदमे

*३—**श्री छेदालाल चौधरी** (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, सन् ५५, जब से वह प्रभावित हुआ है खीरी जिले के न्यायालयों में दिसम्बर, सन् ६१ तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कुल कितने मुकदमे चलाये गये ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—दो मुकदमे चलाये गये ।

श्री छेदालाल चौधरी—मन्त्री जी बतायेंगे कि यह नगण्य संख्या जो है यह इसलिये है कि अस्पृश्यता का समूल उन्मूलन हो गया है अथवा उन अधिकारियों की उपेक्षा और उदासीनता का फल है जिनके हाथों में इसका व्यवहार है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसका कारण तो मैं नहीं बता सकती। यह भी नहीं कह सकती कि अस्पृश्यता का उन्मूलन हो चुका ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या अस्पृश्यता निवारण का जो अधिनियम है यह अभी अधूरा है, अच्छी तरह से कारगर नहीं है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार का है, प्रदेशीय सरकार का नहीं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—मन्त्री जी बतायेंगे कि अस्पृश्यता के निवारणार्थ इन कानूनी कदमों की सहायता के अतिरिक्त सरकार कौन-कौन से ठोस कदम उठा रही है और उनका इस दिशा में अब तक क्या फल हुआ है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—राज्य सरकार पूरी चेष्टा करती है कि इस तरह के झगड़े न हों और लोगों की प्रवृत्ति बदल जाय कि वह छुआछूत के दोषों को दूर कर दें। इस ओर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की पूरी चेष्टा है, तथा आप लोगों का सहयोग चाहिये जिससे हम इसे दूर करने में सफल हो सकें।

श्री ऊदल—यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार का है, तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करेगी कि इसमें कुछ आवश्यक संशोधन किये जायं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इस समय तो राज्य सरकार इस ऐक्ट में कोई दोष नहीं सोचती है। अगर आगे चल कर इसमें कुछ दोष साबित होंगे तो अवश्य चेष्टा की जायगी, उनके निवारणार्थ केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया जायगा।

श्री कल्पनार्थासिंह—मन्त्री जी बतायेंगे कि जो दो मुकदमे कि चलाये गये वह जनता की दरख्वास्त पर चले या सरकारी अधिकारियों ने स्वतः उस अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे चलाये ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—एक मुकदमा तो व्यक्तिगत रूप में तेलियों ने चलाया और दूसरा पुलिस के द्वारा चलाया गया।

श्री केसरीप्रसाद—जो दो मुकदमें चले उनके परिणाम क्या हुए ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—पहला मुकदमा तेलियों द्वारा व्यक्तिगत रूप में चलाया गया। आखिर में जा कर समझौता हो गया। दूसरे मुकदमे में सजा हो गयी।

श्री छेदालाल चौधरी—क्या सरकार इस अधिनियम को अधिक प्रभावित करने के लिये जिला समाज कल्याण अधिकारियों को अधिक पावर्स देने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—मेरे विचार में अब भी पूरी हिदायतें हैं कि इस तरह की छुआछूत का व्यवहार वह जहां देखें, वहां केस चला दें।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—कितने केसेज ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स हुईं, लेकिन मुकदमे नहीं चलाये गये?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

[३० मई, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोंडा जिले में मनकापुर राज्य सहकारी भट्ठे को कोयला न मिलना

*१—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** (जिला गोंडा) तथा **श्री मुन्नूसिंह** (जिला बहराइच)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में कितने सहकारी ईंटों के भट्ठे जिला गोंडा में चालू हुए और उनमें से कितने बन्द हो गये और कितने आज भी चालू हैं?

श्री चन्द्रसिंह—गोंडा जिले में पिछले वर्षों में कुल १७ सहकारी ईंट के भट्ठे चलाये गये। इनमें से १४ भट्ठे बन्द हो गये हैं। शेष ३ आज भी चालू हैं।

*२—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** तथा **श्री मुन्नूसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने भट्ठे घाटे पर चल रहे हैं और कौन-कौन भट्ठे लाभ पर चल रहे हैं?

श्री चन्द्रसिंह—उक्त तीनों ही भट्ठे लाभ पर चल रहे हैं।

*३—**श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह** तथा **श्री मुन्नूसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि मनकापुर राज्य सहकारी ईंटा का भट्ठा जिला गोंडा को पिछले तीन वर्षों में कितना-कितना कोयला दिलाने का प्रबन्ध सप्लाई या सहकारी विभाग द्वारा किया गया?

श्री चन्द्रसिंह—मनकापुर राज्य सहकारी ईंट के भट्ठे को सप्लाई व सहकारी विभाग द्वारा कोई कोयला पिछले तीन वर्षों में नहीं दिया गया।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार बतलायेगी कि मनकापुर राज्य सहकारी ईंटों का भट्ठा उन तीनों भट्ठों में है जो लाभ पर चल रहे हैं, तो उसको कोयला तीन वर्षों से क्यों नहीं दिया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, यह वह भट्ठा है जो लाभ पर चल रहा है। कोयला नहीं दिया जा सका, इसका कारण यह है कि जो कंट्रोल आर्डर्स हैं उनके अनुसार लाइसेन्स इस भट्ठे ने नहीं लिया। दूसरे सप्लाई विभाग को इसने कोई दरख्वास्त नहीं दी, न कोई टेंडर दिया और न रुपये जमा किये। इस कारण इसको कोयला नहीं मिल रहा है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार जांच करेगी कि रुपया भी दिया गया है और दरख्वास्त भी दी गयी है, फिर भी इस भट्ठे को कोयला नहीं दिया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसकी जांच करा लूंगा। वैसे मेरे पास सूचना यह है कि इसने न कोई इंडेन्ट दिया, न अग्रिम धनराशि दी। बल्कि एक और सहकारी भट्ठे से १३७ टन कोयला इसको दिलाया गया लेकिन उस पर अभी तक ५,५५१ रूपया बाकी है।

श्री नरसिंहनारायण—जो १४ सहकारी भट्ठे बन्द हो गये वह कोयले के अभाव में बन्द हो गये या किन कारणों से बन्द हो गये, मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुछ तो कोयले के अभाव में बन्द हो गये, कुछ भट्ठों की ईंटों की बिक्री नहीं है इसलिये बन्द हो गये।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—अभी मन्त्री महोदय ने बतलाया कि कुछ कोयला दिलाया गया था मगर दाम नहीं मिले और प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि कोयला दिया ही नहीं गया, तो ये दोनों उत्तर स्पष्ट नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा था कि परमिट नहीं दी गयी, मगर किसी भट्ठे से दिलवाया गया था।

श्री ऊदल—इस बात को देखते हुए कि सहकारी भट्ठे या तो घाटे या किन्हीं और कारणों से आज बहुत ज्यादा बन्द पड़े हुए हैं, क्या पूरे प्रदेश के पैमाने पर मन्त्री महोदय जांच कराने की कृपा करेंगे ताकि कोई ऐसा हल निकल सके कि ये भट्ठे चलाये जा सकें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मेरी इत्तिला तो ऐसी नहीं है कि ज्यादातर भट्ठे बन्द पड़े हैं। सहकारी भट्ठे काफी चल रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो नहीं चल रहे हैं, उनमें कुछ घाटा हो रहा होगा।

सहकारी फार्मों के सम्बन्ध में जानकारी

*४. **श्री भानुप्रतापसिंह** (जिला बस्ती)—क्या सहकारिता मन्त्री उत्तर प्रदेश में स्थापित सहकारी फार्म के विषय में सन् १९६०-६१ वर्ष के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनायें देने की कृपा करेंगे :—

(क) फार्मों की संख्या,
(ख) फार्मों का कुल क्षेत्रफल,
(ग) फार्मों पर कुल कृषि वस्तुओं का उत्पादन,
(घ) कुल कृषि वस्तुओं के उत्पादन का अनुमानित मूल्य,
(ङ) कुल लाभ या हानि प्रति एकड़,
(च) सदस्यों की कुल संख्या,
(छ) फार्मों पर लगी हुई कुल पूंजी ?

श्री चन्द्रसिंह—इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिये आवश्यक विवरण प्रदेश भर से इकट्ठा किया जायगा। इस विवरण को इकट्ठा करने में जो समय तथा श्रम लगेगा उसको देखते हुए इन प्रश्नों की उपयोगिता बहुत कम है।

श्री भानुप्रतापसिंह—माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेरे प्रश्न में जो सात सूचनायें मांगी गयी हैं उनमें से कौन-सी सूचना प्राप्त करने में सब से अधिक कठिनाई है उनको ?

श्री अध्यक्ष—एक बात जो मैं आज कहना चाहता हूं वह यह है कि सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न किये गये थे और आज प्रातः काल इन प्रश्नों को देखते हुए मेरा इम्प्रेशन यह हुआ है कि विभाग की ओर से जो सूचना की मांग की गयी है वह अधिक उचित नहीं है। मैं माननीय सहकारिता मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां पर इस प्रकार की मांग उनके विभाग से आवे, उसको वे कृपा कर के स्वयं देखें और यह संतोष कर लें कि विभाग की तरफ से एक रूटीन तरीके से तो यह मांग नहीं आ रही है ? मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि आज बहुत से प्रश्न थे और उनका स्थगन कराया गया है। मैं अबकी बार तो स्थगित किये देता हूं, लेकिन भविष्य में, मन्त्री जी से कहूंगा कि वे कृपया उसको देख लिया करें और जबतक काफी मजबूत ग्राउन्ड्स न हुआ करें अपने विभाग को मजबूर करें कि वह प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—इस प्रश्न का उत्तर बाद में हम लोगों को मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न तो फिर कर लीजियेगा।

श्री भानुप्रतापसिंह—मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि सात सूचनायें मैंने मांगी हैं। इनमें से कम से कम चार तो ऐसी हैं कि यदि मुझे अवसर मिले तो आधे घंटे के अन्दर सदन के सामने उत्तर उपस्थित कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप नम्बर बताइये उनका।

श्री भानुप्रतापसिंह—नम्बर है (क), (ख), (च) और (छ)।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी, आप (क), (ख), (च) और (छ) का उत्तर शीघ्र दे सकते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैं अभी दे सकता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, वे खुद जानते हैं। बजट के मौके पर भी मैंने ये सब चीजें कही थीं। लेकिन पूरे सवाल का जवाब देना होगा। उन्होंने कुल कृषि वस्तुओं का उत्पादन मांगा है। कृषि उत्पादन में गन्ना होता है, चरी होती है, घास होती है, साग-भाजी होती है। इन सब चीजों का कृषि में उत्पादन होता है।

श्री अध्यक्ष—देखिये यह तो आप प्रश्न को डिवाइड कर दीजिये या फिर सबका जवाब एक साथ आ जाने दीजिये।

श्री भानुप्रतापसिंह—श्रीमन्, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सभी फार्मों का बलेन्सशीट बना होता है और वह कार्यालय में आता है. . . .

श्री अध्यक्ष—मैं तो कहता हूं कि मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं। आज स्थगित कर दिया है। बाद में आ जायगा।

*५—**श्री रक्षपालसिंह** (जिला फतेहपुर)—[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६—**श्री गिरधारीलाल** (जिला वाराणसी)—[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७—८—**श्री जगन्नाथ** (जिला जौनपुर)—[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*९—१०—**श्री गंगासिंह** (जिला अल्मोड़ा)—[८वें बुधवार के लिये स्थगित कि गये।]

*११—१३—**श्री ऊदल**—[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१४—**श्री सूरजलाल** (जिला गोंडा)—[हटा दिया गया।]

*१५—**श्री सहदेवसिंह** (जिला इटावा)—[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१६—**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं)—[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१७—**श्री राम सुन्दर शास्त्री** (जिला गाजीपुर)—[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा के जूता उद्योग पर से बिक्रीकर हटाने की प्रार्थना

*१८—**श्री बनवारीलाल विप्र** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर रही है कि आगरा के जूता उद्योग पर लगा बिक्रीकर हटा लिया जाय, जैसे कि बनारसी साड़ी, अलीगढ़ के तालों, मुरादाबादी बर्तनों पर कोई बिक्री कर नहीं है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, सरकार ऐसा कोई विचार नहीं कर रही है। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि सभी प्रकार का कपड़ा, जिसमें हथकरघे पर बना कपड़ा भी शामिल है, बिक्री कर से मुक्त होने की वजह से बनारसी साड़ियां भी कर से मुक्त हैं। जहां तक अलीगढ़ के ताले तथा मुरादाबाद के बर्तनों का प्रश्न है, उन पर से बिक्री कर नहीं हटाया गया है।

*१९—**श्री बनवारीलाल विप्र** (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जूता उद्योग को विकास परिषद् ने भी इस आशय की सिफारिश की है जब खादी और हथकरघा उद्योग को छूट (rebate) तथा (subsidy) दी जा रही है तब जूता उद्योग के घरेलू इकाइयों पर बिक्री कर क्यों लगा है? यदि हां, तो उस पर कब सिफारिश की गई थी और उस पर क्या विचार किया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डेवलपमेन्ट कौंसिल फार लेदर गुड्स ऐन्ड पिकर्स इंडस्ट्री की फुटवियर सब-कमेटी की इस आशय की सिफारिश कि चमड़े के सामान के छोटे तथा घरेलू इकाइयों पर से बिक्री कर हटा लिया जाय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के विचार हेतु नवम्बर, १९६१, में प्राप्त हुई थी। सिफारिश पर पूर्ण रूप से विचार किया गया, परन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया।

*२०—**श्री सहदेवसिंह**—[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

पी० सी० यू० के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि न होना

*२१—**श्री सहदेवसिंह**—क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो सभी राजकर्मचारियों का वेतन जनवरी, १९६२ से ५ रु० मासिक बढ़ गया है उसके अनुसार पी० सी० यू० के कर्मचारियों का वेतन कब से बढ़ाया जा रहा है? यदि अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, तो क्यों?

श्री चन्द्रसिंह—पी० सी० यू० एक गैर-सरकारी संस्था है और उसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। वेतन में बढ़ती करने का अधिकार इसकी प्रबन्ध कारिणी समिति को है। यह समिति अपने कर्मचारियों का वेतन अभी तक धनाभाव के कारण नहीं बढ़ा सकी है, और कब से बढ़ायेगी, यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री सहदेवसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब सरकार पी० सी० यू० में महत्वपूर्ण हिस्सेदार है और उसका प्रतिनिधि बोर्ड में रहता है तो क्या वे विचार कर रहे हैं कि जो ५ रुपये महंगाई दूसरों को दी गई है उनको भी दी जाय? इस सम्बन्ध में सरकार का क्या खयाल है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसमें यूनियन ने जो मांग की थी तो सरकार ने एक ग्रांट ४,२४२०० रुपये की फाइनेन्स विभाग के पास भेजी है, अगर मंजूर हो जायगी तो उस पर विचार किया जायगा और सरकार इस पर विचार कर रही है।

*२२-२३—**कुंवर श्रीपाल**— [३१ मई, १९६२ के लिए प्रश्न ५६-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किय गये।]

अध्यक्ष, आजमगढ़ जिला हरिजन कल्याण समिति के नामांकन पर आपत्ति

*२४—**श्री छांगुर** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला हरिजन कल्याण समिति के उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो गया है ? यदि हां, तो कब और किस रीति से और कौन व्यक्ति निर्वाचित हुआ ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—हरिजन कल्याण समिति के उपाध्यक्ष के पद का निर्वाचित नहीं होता। सरकार व्यक्तियों को नामांकित करती है। आजमगढ़ जिले में समिति के उपाध्यक्ष के पद पर मार्च, सन् १९६२ में श्री श्रीनाथ जी को नामांकित किया गया है।

श्री छांगुर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार किस आधार पर व्यक्तियों को नामांकित करती है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जिलाधीश के जरिये नाम मंगाये जाते हैं। फिर सरकार को अधिकार है कि उनमें से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर दे।

श्री छांगुर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब सरकार व्यक्तियों को नामांकित करती है तो नामांकन पत्र भी मंगाये जाते हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जी नहीं।

श्री भीखालाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हरिजन कल्याण समिति के उपाध्यक्ष का चुनाव न करके सरकार ने नामांकन का अधिकार अपने हाथ में क्यों रखा है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो शायद कानून में प्रावीजन होगा, ला का प्रावीजन है।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश ने किन-किन व्यक्तियों के लिये सिफारिश की है यानी उनके नाम क्या हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रघुवीर—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस समिति के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर होता है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जो समाज कल्याण का काम करता हो, हरिजनों का काम करता हो, यही देखा जाता है कि वह काम करने वाला हो।

श्री भीखालाल—क्या जो चुनाव के आधार रखे गये हैं उनमें यह भी है कि कांग्रेस का सदस्य है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष— यह तो उन्होंने नहीं कहा।

श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इस वक्त उपाध्यक्ष चुने गये हैं वह पहले कांग्रेस के टिकट पर एम० एल० ए० रहे हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसकी सूचना तो मेरे पास है नहीं।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस चयन करने में इस बात का भी खयाल किया जाता है कि जिस आदमी का चुनाव हो वह विरोधी पक्ष का न हो, ऐसी कोई बात है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद— जी नहीं।

श्री कल्पनाथसिंह--मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधीशों को सरकार द्वारा, जो आदेश दिये गये हैं, वह क्या हैं, उपाध्यक्षों के चुनाव के सम्बन्ध में ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--जिलाधीशों से यही मांग की जाती है कि जो समाज सेवा करने वाले व्यक्ति हों, उनकी दृष्टि में उचित हों, वे नाम भेज दिये जाय, उनकी सिफारिश के साथ।

श्री रामसुन्दर--क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिलाधीश ने जिन नामों को सिफारिश करके भेजा था इनके अलावा और बहुत से पुराने हरिजन कार्यकर्ता थे, लेकिन वह चूंकि कांग्रेसी नहीं थे, इसलिए नहीं लिये गये ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--यह तो कारण नहीं कि दूसरे लोग कांग्रेस के सदस्य नहीं थे।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उपाध्यक्ष चुना गया है कांग्रेसी, वह काफी तजुर्बेकार है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--मुझे यह नहीं मालूम कि वह कांग्रेसी हैं। वह जरूर तजुर्बेकार होगा।

*२५--**श्री रामचरण शाह** (जिला खीरी)--[८वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२६-२७--**श्री द्विजेन्द्रनारायण** (जिला बाराबंकी)--[८वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*२८--**श्री गोपीनाथ दीक्षित** (जिला उन्नाव)--[८वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले के धानी तथा सोनोरा ग्राम में दाइयां नियुक्त करने पर विचार

*२९--**श्री नरसिंहनारायण**--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर के धानी तथा सोनारा गांवों में जो दाइयों की नियुक्ति होने वाली है, वह कब तक हो जायेगी ?

श्री धर्मसिंह--ग्राम धानी तथा सोनोरा जिला गोरखपुर में इस समय मातृ शिशु-कल्याण केन्द्र स्थापित नहीं हैं। अतः वहां दाइयों की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरसिंहनारायण--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी एक आदेश डाइरेक्टर, हेल्थ के यहां से इस बात का गया था कि इन दोनों जगहों पर दाइयों की नियुक्ति की जाय, वह किस आधार पर गया था ?

श्री धर्मसिंह--कोई इस तरह का आदेश नहीं गया। लेकिन जब यह स्टेज पहली समाप्त हो जायगी ब्लाक की, उसके बाद विचार किया जायगा कि वहां पर दाइयों की नयुक्ति हो, यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री नरसिंहनारायण--क्या स्वास्थ्य मंत्री इस बात को सूचना मानकर कि वहां पर डाइरेक्टर का आदेश गया था कि अतिशीघ्र ही वहां पर दाइयों की नियुक्ति होने जा रही है, और माननीय मंत्री जी ने दूसरा उत्तर दिया है कि अभी वहां पर केन्द्र नहीं खोला गया है इसलिए दाइयों की नियुक्ति नहीं होगी, तो इस बात की सूचना मानकर फिर से जांच करायेंगे कि वहां पर क्यों और किन कारणों से दाइयों की नियुक्ति नहीं कराई गई ?

श्री अध्यक्ष--वह तो कहते हैं कि कोई आदेश गये ही नहीं। तो अलग से प्रश्न कर लीजिएगा।

श्री धर्मसिंह—मान्यवर, थोड़ी सी गलतफहमी मालूम पड़ती है। यह जो ब्लाक है इस वक्त, यह शैडो ब्लाक है। शैडो ब्लाक के बाद में फर्स्ट स्टेज ब्लाक आता है। तो शैडो ब्लाक जब होता है उसी वक्त से लिखापढ़ी शुरू हो जाती है कि आगे चल कर फर्स्ट स्टेज ब्लाक आये तो उस वक्त कार्यवाही हो सके। इसलिए हो सकता है कि लिखापढ़ी हो रही हो लेकिन कोई आदेश दाइयों की नियुक्ति करने के लिए न सरकार से और न डाइरेक्टोरेट से गये हैं। परन्तु यह प्रश्न विचाराधीन है।

*३०–३१—**श्री दौलतलाल** (जिला आजमगढ़)—[८वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*३२—**श्री नौनिहालसिंह चौधरी** (जिला इलाहाबाद)—[८वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*३३–३४—**श्री नरसिंहनारायण**—[८वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*३५—३६—**श्री रामसिंह** (जिला सहारनपुर)—[८वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

रिआर्गेनाइजेशन आफ ट्रेजरीज रिपोर्ट की सिफारिशों का पालन

*३७—**श्री तेजनारायण** (जिला खीरी)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "Re-Organisation of Treasuries" की रिपोर्ट का पालन सरकार द्वारा प्रदेश के किन-किन जिलों में हुआ है? यदि अभी तक नहीं हुआ है, तो उसका क्या कारण है?

श्री जयराम वर्मा—रिआर्गेनाइजेशन आफ ट्रेजरीज की रिपोर्ट का पालन करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा समस्त जिलाधीशों को राजाज्ञा सं० ए०–५६७१/१०-५ (२९)–५७, दिनांक १ फरवरी, १९५८ में आदेश दिये जा चुके हैं। इन आदेशों का पालन समस्त जिलों में हो रहा है।

श्री तेजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि ट्रेजरी के समस्त बिल पार्सिंग क्लर्क्स का वेतन स्केल ८५-६-१४५ में अपग्रेड कर देने का उल्लेख इस रिपोर्ट में है?

श्री जयराम वर्मा—हां, रिपोर्ट में उनका यह वेतन कर देने की बात है।

श्री तेजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि ट्रेजरी मिनिस्ट्रीरियल स्टाफ के डीटेल्ड रूल्स उनकी सर्विस के विषय में बनाये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जयराम वर्मा—उनकी सर्विस के रूल्स के आलेख्य बन कर तैयार हैं। वह रेवेन्यू विभाग की सलाह से वित्त विभाग बना रहा है। लेकिन अभी उसमें कुछ काम बाकी है। अभी नियुक्ति विभाग से, न्याय विभाग से और आडिटर जनरल से तथा पब्लिक सर्विस कमीशन से सलाह लेनी है। इनकी सलाह लेने के बाद ही वह नियम अन्तिम हो सकेंगे।

श्री भीखालाल—क्या माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रीआर्गेनाइजेशन आफ ट्रेजरीज की रिपोर्ट की कौन-कौन सी मुख्य मुख्य बातें हैं जिनको सरकार ने मान लिया है और जिनका पालन करने के लिए आदेश जिलाधीशों को भेजे गये हैं?

श्री अध्यक्ष—इस रिआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में?

श्री भीखालाल— जी हां।

श्री जयराम वर्मा—एक तो प्रश्न ही उसके बारे में किया गया है। इसके अलावा और मुख्य-मुख्य बातें बतायी जा सकती हैं। एक तो ट्रेजरी के कर्मचारियों का कैडर कलेक्टरेट के कैडर से अलग कर दिया गया है। दूसरे ट्रेजरी के जो कर्मचारी हैं वह ट्रेजरी आफिसर के सुपरविजन में होंगे बजाय डिप्टी कमिश्नर के सुपरविजन के। सिर्फ डिप्टी कमिश्नर उनका नियुक्ति अधिकारी रह गया लेकिन टेम्पोरेरी स्टाफ की नियुक्ति का अधिकारी ट्रेजरी आफिसर हो गया। कुछ जगहों में ऐसा कर दिया गया कि हेडक्लर्क्स को असिस्टेंट ट्रेजरी आफिसर बना दिया जाय और उनको २०० रुपये तक बिल पास करने का अधिकार हो गया। इसके अलावा कबाल टाउन्स और मेरठ में ट्रेजरी आफिसर को स्पेशल भत्ता, चूंकि उनका काम बहुत ज्यादा है, ७५ रुपये का दिया गया जो अब १०० रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा रुपया जमा करने के सिलसिले में सुधार की बातें कही गई थीं। एक तो जो लोग रुपया चालान से जमा करते हैं पहले उनको ट्रेजरी से पास कराना पड़ता था तब वह रुपया जमा करते थे, लेकिन वह बात अब हटा दी गई और जो चालान से रुपया जमा करते हैं वह सीधे बैंक्स में जाकर रुपया जमा कर सकते हैं। दूसरी बात पेंशन के बारे में अब तक नियम यह था कि ५० रुपये तक पेंशन मनीआर्डर से भेज सकते थे और अब १०० रुपये तक पेन्शन मनीआर्डर द्वारा भेज सकते हैं। पेन्शन पाने वाले अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते थे, अब वे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाने के बाद जो पेन्शन बाकी रह जाती है उसको देने में आसानी हो। यही मुख्य-मुख्य सिफारिशें थीं।

श्री तेजनारायण—इस रिपोर्ट में दिया हुआ है कि समस्त ट्रेजरी के बिल पासिंग क्लर्क का वेतन ८५-६-१४५ अपग्रेड कर दिया गया है तो यह कब तक हो जायगा ?

श्री जयराम वर्मा—यह वेतन कर दिया गया है।

श्री ऊदल—क्या माननीय जी, इस बात को देखते हुये कि ट्रेजरी में जो कर्मचारी हैं, या क्लर्क वगैरा हैं वे सब सन् १९४८ से हैं और कबाल टाउन्स में बहुत काम बढ़ गया है उनको वहां पर मकानों का एलाउन्स भी नहीं मिलता है तो जल्द से जल्द इस बात पर फैसला करेंगे ताकि उनको वे सब सुविधा मिलने लगे ?

श्री जयराम वर्मा—किस चीज के बारे में आप पूछ रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं ?

श्री ऊदल—मैं ट्रेजरी के सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूं कि इसके काम का काफी विस्तार हो गया है और वह स्टाफ बहुत पुराना है, सन् १९४८ का है और उनको जो नई जगहें दी जाती हैं कबाल टाउन्स में वहां उनको मकानों का एलाउन्स भी नहीं मिलता है, तो इस सुविधा के सम्बन्ध में सरकार विचार करके फैसला करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं समझता हूं सवाल जो था वह तो था कि जो कमेटी बनी थी उस पर सरकार की क्या कार्यवाही हुई। अब यह जनरल सवाल है कि जो उनकी असुविधायें हैं उनको दूर करने के लिये सरकार विचार कर रही है या नहीं ? हमारे सामने कोई उनकी असुविधा का प्रश्न आयेगा तो विचार किया जायगा।

*३८—**श्री तेजनारायण**—[३१ मई, १९६२ के लिये प्रश्न ९९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३९—**श्री तेजनारायण**—[७वें गुरुवार के लिए प्रश्न ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४०—**श्री सूबेदारसिंह** (जिला मैनपुरी)—[८वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४१-४२—**श्री जगन्नाथ**—[८ वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*४३-४४--श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---[८ वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये ।]

*४५-४६---श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) तथा श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)---[८वें बुधवार के लिए स्थगित किये गये ।]

निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय भवन का किराया

*४७--श्री गयाप्रसाद--क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज का केन्द्रीय कार्यालय किन महानुभाव की इमारत में स्थित है और उसका मासिक किराया क्या है ?

श्री चन्द्रसिंह---निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, का कार्यालय महाराजकुमार महमूद हसन खाँ तथा महाराज कुमार मोहम्मद अमीर अली खां, वजीरगंज, लखनऊ, की इमारत इक़बाल मंजिल में स्थित है। उसका मासिक किराया २,००० रु० है।

श्री गयाप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी, यह जानते हुये कि इस वर्ष घाटे का बजट है और इतनी बड़ी रकम सरकार को मासिक किराये पर जा रही है, उसको बचाने के लिये रजिस्ट्रार का दफ्तर किसी सरकारी इमारत में शिफ्ट करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सरकार कोशिश कर रही है कि कहीं दूसरा सस्ता किराये का मकान मिल जाय, उसको लिया जाय। इसके लिये जिलाधीश को लिखा है। अगर सरकारी मकान खाली होता तो यह किराये की बिल्डिंग लेने की नौबत ही न आती।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या सरकार बतलायेगी कि जब यह पुरानी बिल्डिंग तोड़ी गई तो वहां पर नई बिल्डिंग बनाने का विचार था और वह कई वर्ष से विचार चल रहा है, तो यह देखते हुये कि किराया ज्यादा है अभी तक वह बिल्डिंग बनकर क्यों तैयार नहीं हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी प्रिलिमिनरी चीजें तैयार हो रही हैं। नई बिल्डिंग बनने में देर लगेगी। बनाना शुरू भी हो जाय तब भी टाइम लगेगा। इसलिये किराये पर लेने की जरूरत पड़ी।

श्री यादवेन्द्रदत्त---कई वर्ष से यह २ हजार पया महीना गवर्नमेंट किराया बिल्डिंग का दे रही है और अभी तक कोआपरेटिव दफ्तर की प्रिलिमिनरीज भी तैयार नहीं हो पाई है हालांकि ३, ४ वर्ष हो गये, तो इतनी देर होने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जैसा मैंने अर्ज किया कि यह हमारी जो विधान सभा मार्ग पर जमीन है उसके लिये कोशिश की जा रही है कि वह बिल्डिंग बन जाय। अभी कंट्रैक्ट देने की जो प्रिलिमिनरीज हैं उसमें देर हो रही है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बिल्डिंग २ हजार रुपया महीना किराये पर ली गई है उसका म्युनिसिपल असेसमेन्ट क्या है यानी मन्थली रेन्ट क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये मुझे नोटिस की आवश्यकता होगी। लेकिन उस बिल्डिंग का एरिया १३,८६१ वर्ग फीट का है।

श्री रामसुन्दर---क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्य किसी मकान के लिये जिलाधीश को कब पत्र लिखा गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जिलाधीश को इस इमारत को लेने के पहले ही लिखा गया था। जब कोई बिल्डिंग नहीं मिल सकी तो यह ली गयी और फिर दुबारा लिखा गया है कि कोई बिल्डिंग अगर मिल सके तो दिलवा दी जाय ?

श्री यादवेन्द्रदत्त---यह बिल्डिंग प्राइवेट नेगोशियेशन्स से ली गयी है या रेंट कंट्रोल से एलाटमेंट हुआ है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह प्राइवेट नेगोशियेशन्स द्वारा ली गयी थी ।

*४८---**श्री कल्पनार्थसिंह**---[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कोंच में तुलइया व्यापारियों से बिक्री-कर लेना

*४९---**श्री विजयसिंह** (जिला जालौन)---क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में तुलइया गल्ला तथा कच्चे आढ़तियों से कालपी तहसील में कोई सेल्स टैक्स लगता है, या नहीं ? यदि नहीं, तो उसी प्रकार के लोगों पर कोंच शहर में यह टैक्स क्यों लगता है ?

श्री जयराम वर्मा---कालपी, कोंच अथवा किसी भी अन्य जगह के ऐसे किसी व्यापारी पर, जो केवल तुलइया की तरह काम करता है और किसी माल की बिक्री नहीं करता, बिक्री-कर नहीं लगता है ।

श्री विजयसिंह---मेरी जानकारी है कि कोंच में यह टैक्स ऐसे व्यापारियों पर लगता है कि जो तुलइया का काम करते हैं, तो इस सूचना को आधार मानकर क्या मंत्री जी पुनः जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जयराम वर्मा---जो केवल तुलइया का काम करते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता । कोंच के बारे में वाकया यह है कि वहां के जो व्यक्ति अपने आप को तुलइया कहने लगे हैं इसके पहले अपने को वे कमीशन एजेंट कहते थे और वे १९५८-५९ तक मुख्य व्यापारियों की तरफ से बिक्री करते थे और टैक्स देते थे, रिटर्न देते थे और १९५९-६० में भी बिक्री कर ऐक्ट के अन्तर्गत उन्होंने अपने को रजिस्टर कराया । इस साल दो तिमाही का जो उन्होंने रिटर्न दाखिल किया है उस पर प्राविजिनल असेसमेंट हुआ है लेकिन उसकी वसूली उनकी प्रार्थना पर रोक जरूर दी गयी है, लेकिन १ अप्रैल, १९५९ से जब से संशोधन हुआ है तबसे वे अपने को तुलइया कहने लगे हैं और नाम बदल लिया है । इसकी जांच हो रही है और अगर जांच में वह तुलइया साबित होते हैं तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा और अगर वे व्यापारी साबित होते हैं और खरीद फरोख्त का काम करते हैं तो उन पर टैक्स जरूर लगेगा ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---उत्तर प्रदेश में किसी नगर में कुछ लोग तुलइया माने गये और उन पर कर छटा इस घोषणा के आधार पर ?

श्री जयराम वर्मा---यह सूचना देना कठिन है, लेकिन यह बात वाकयात पर निर्भर करती है । जो तुलइया साबित होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो अपने को तुलइया साबित नहीं कर पाता वह टैक्स से मुक्त नहीं होगा ।

कुंवर श्रीपाल---यह तुलइया कौन चीज है और इसके क्या माने होते हैं ?

श्री अध्यक्ष---उन से बाद में पूछ लीजियेगा ।

लखनऊ में जज रिवीजन सेल्स टैक्स से बचत

*५०---**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जज रिवीजन सेल्स टैक्स को केवल हेडक्वार्टर पर ही रिवीजन करने के निश्चय से सरकार को उक्त निर्णय लेने से अब तक कितने की बचत हुई और कितनी वार्षिक बचत का अनुमान है ?

श्री जयराम वर्मा--जज रिवीजन सेल्स टैक्स द्वारा केवल हेडक्वार्टर पर ही रिवीजन करने के सरकारी निर्णय के कारण अब तक ७,२८० ० की बचत हुई है और १२,४८० रु० की वार्षिक बचत का अनुमान है ।

*५१--**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**--क्या सरकार ने उक्त निर्णय केवल व्यय कम करने के विचार से लिया या कोई और भी आधार है ?

श्री जयराम वर्मा--उक्त निर्णय व्यय कम करने के उद्देश्य से नहीं लिया गया था । जज और एडीशनल जज (रिवीजन) जब दौरे पर जाया करते थे तो प्रत्येक माह के कुछ दिन यात्रा आदि में व्यय हो जाते थे । यह महसूस किया गया कि यदि उक्त अधिकारियों का दौरा बन्द कर दिया जाय, वे दिन भी जो यात्रा आदि में नष्ट हो जाते थे, मुकद्दमों के फैसलों के लिये बच रहेंगे और इस प्रकार मुकदमों के फैसलों की गति तीव्र हो जायेगी ।

*५२--**श्री जगदीशशरण अग्रवाल**--क्या सरकार के पास इस आशय के आवेदन आये हैं कि उक्त निर्णय से प्रदेश के कर देने वाले व्यक्तियों को भारी असुविधा हो रही है ?

श्री जयराम वर्मा--जी हां ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से उन्होंने इस नयी नीति का पालन किया है, यानी डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर्स के बजाय लखनऊ में रिवीजन करने की व्यवस्था की गयी है, तब से उससे कितनी प्रगति हुई है, तथा कितने प्रतिशत मुकदमें पहले से ज्यादा फैसले हुये हैं ?

श्री जयराम वर्मा--उसका निश्चित परसेंटेज बताना कठिन है, किन्तु मुकदमों के फैसले की तादाद में काफी तेजी हुई है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--श्रीमन्, इसका मूल कारण प्रगति बताया गया है । तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस नयी नीति से कितने प्रतिशत या लगभग कितने प्रतिशत की प्रगति हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बिना पूरी जानकारी हासिल किये हुये और आंकड़े इकट्ठा किये हुये, यह बताना मुश्किल है । लेकिन पहले जितने मुकदमें दायर होते थे उससे कहीं ज्यादा अब दायर होने लगे हैं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--अगर माननीय मंत्री जी इस निष्कर्ष पर आयें कि इससे कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, जो इसका मूल कारण बताया गया है, इसको देखते हुये, तथा सारे प्रदेश से जो शिकायतें आई हैं और यू०पी० सेलटैक्स बार एसोसियेशन की कान्फ्रेन्स ने जो शिकायत की है उस सब को देखते हुये इस प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, पहले सेल्सटैक्स के जो मुकदमें दायर होते थे उन पर फीस नहीं लगती थी और एक प्रार्थना-पत्र देकर स्टे आर्डर मिल जाता था और कर की वसूली रुक जाती थी । फिर यह तय हुआ कि फीस लगाई जाय और जजों की तादाद बढ़ाई जाय । उसके बाद हेड क्वार्टर्स तय हुये । अब इसमें कहां तक प्रगति हुई तथा जो मुकदमें दायर हुये उसको देखते हुये उसमें क्या परिवर्तन किया जाय, यह प्रश्न विचाराधीन है और सम्भव है, इस संबंध में अगर कोई कमेटी हमारी बने तो उसके सामने भी यह प्रश्न रखा जायेगा ।

*५३-५४--**श्री विजयपालसिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) तथा **श्री ऊदल**--[८ वें बुधवार के लिये स्थगित किय गये ।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री मेघनाथ शिशोदिया (जिला मेरठ)---मेरे दो व्यवस्था के प्रश्न हैं प्रश्नों के संबंध में। एक तो यह कि सरकार की ओर से जो प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं वे या तो विधान सभा में आने पर दिये जाते हैं या बिलकुल ही नहीं दिये जाते । दूसरा प्रश्न यह है कि एजेण्डे में इतने ज्यादा प्रश्न रख दिये गये हैं कि उनका नम्बर ही नहीं आता । अतः जिन सवालों को यहां डिस्कस नहीं किया जाता उनको आप कृपया दूसरे दिन के लिये स्थगित कर दिया करें ।

श्री अध्यक्ष---हम आपके सुझाव के लिये आभारी हैं, इसके लिये आप पहले अपने नियमों में संशोधन कर लीजिये, फिर ऐसा हो जायेगा ।

श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, यहां पर हम सब कोई बात पूछते हैं तो आप कह देते हैं कि मेरे कमरे में बात कर लें । मैं कल भी आपके कमरे में गया और आज भी किन्तु मैं आपको नहीं पा सका और बात नहीं हुई । मैंने दफा ५० के अन्तर्गत एक प्रार्थना-पत्र भेजा था ।

श्री अध्यक्ष---मैं ५ बजे से ६ बजे तक अपने कमरे में ही रहता हूं । उस समय आप कृपया आने का कष्ट करें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, सबेरे या शाम को ?

श्री अध्यक्ष---धन्यवाद, शाम को ।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मैंने एक प्रश्न किया था तारीख १२-५-६२ को । उपाध्यक्ष महोदय को काले झंडे दिखाये गये थे तो मैंने पूछा था कि किन लोगों ने दिखाये थे और सरकार ने यह कहकर वापस कर दिया कि यह व्यक्तिगत है । तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह तो शान्ति व्यवस्था से संबंध रखता है. . . . .

श्री अध्यक्ष---जो यहां प्रश्न आये उनके संबंध में आप पूछ सकते हैं । जो प्रश्न आपके अस्वीकृत हुये हैं उसके लिये बातचीत हो सकती है ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)---जो सवाल सहकारिता से संबंधित है वह स्थगित कर दिया गया है और इसमें लिखा है कि ८ वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया, सारे प्रश्न सहकारिता से संबंधित स्थगित कर दिये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि ८ वें बुधवार को असेम्बली है भी नहीं, तो ८ वें बुधवार को स्थगित करने का सवाल कहां से आया ?

श्री अध्यक्ष---पांडेय जी, मैंने पहले, आप शायद यहां नहीं थे, अपने विचार आदरणीय सदन के समक्ष रख दिये हैं । अगर वे इस अधिवेशन में नहीं आते हैं तो अगले में आवेंगे ।

श्री रामसुन्दर---आज कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई है । मैंने एक अल्पसूचित सवाल किया था चेचक के संबंध में, जिसकी सूचना से मालूम हो रहा है कि आपके कार्यालय ने स्वीकार किया था और मंत्री जी ने सूचना पर जवाब देने से इन्कार किया और वह अब १८ वें गुरुवार के लिये स्थगित हुआ है । तो चेचक का सवाल और १८ वें गुरुवार को आयेगा ?

श्री अध्यक्ष---आप इस सदन के नये सदस्य नहीं हैं । मैंने आमंत्रित किया है कि विभिन्न दलों के नेतागण बैठ जायं और प्रश्नों के संबंध में जो कठिनाइयां आती हैं वह देख लें । तो इस समय जो आप रख रहे हैं वह मेरे यहां पूछ लें ।

श्री रामसुन्दर---अध्यक्ष जी, आप यहां दफा ५२ के मंजूर नहीं करते हैं । अब यह १८ वां गुरुवार कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष---त्रुटि हो सकती है । हम में भी और आप में भी हो सकती है वह देख सकते हैं । अब आप बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर---जिस काम के लिये हम आये हैं वह पूरा नहीं होता ।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)---मैंने २५ तारीख को जवाब मांगा था, आजतक नहीं मिल सका ।

श्री अध्यक्ष---यह सब बातें मेरे कमरे में होंगी । माननीय श्रम मंत्री ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठिये, मैंने श्रम मंत्री को बुला लिया है ।

श्री श्यामलाल---बहुत गम्भीर प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---बाद में सुना जायगा ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (अतिरिक्त सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६२*

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १३२०-ए/३३-८ आर०-६१, दिनांक ३० अप्रैल, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (अतिरिक्त सदस्यों का अनुमेलन) नियमावली, १९६२ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष जी, जो नियम हमारे सामने रखे गये हैं, इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि इस नियम के अनुसार क्षेत्रों में क्षेत्र समिति के सदस्यों का कोआप्शन हो चुका । कोआप्शन हो जाने के बाद हमारे सामने यह नियम रखा जा रहा है । परिपाटी यह होनी चाहिये कि काम होने के पहले नियम रखे जाने चाहिये । यदि पहले रखे गये होते तो उनपर विचार किया गया होता, कुछ सुझाव दिये गये होते । सारा कोआप्शन हो जाने के बाद ये निरर्थक नियम रखे जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---(श्रम मंत्री से) इस आक्षेप का उत्तर आपके पास है कि ये लागू हो गये और सदन में इतने विलम्ब से रखे जा रहे हैं ? इसका कोई कारण है ?

मैं कई मर्तबा कह चुका हूं कि नियमों को सदन के समक्ष शीघ्रातिशीघ्र आना चाहिये । ३० अप्रैल, १९६२ को जो नियम बने थे वह अभी तक क्यों सदन के समक्ष नहीं रखे गये क्या इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय कुछ वक्तव्य देंगे ?

श्रम उपमन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)---अध्यक्ष जी, नियमों के सम्बन्ध में नियम रखने की जो सदन में परिपाटी रही है जब जल्दी से जल्दी समय मिले तब नियम आ जाते हैं । मैं अपने दफ्तर से पता करूंगा कि नियमों के भेजने में विलम्ब हुआ या आपके कार्यालय में चढ़ाने में देर हो गई । हमारी तरफ से विलम्ब करने का कोई कारण नहीं निकल रहा है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि यह बहुत अवैधानिक बात है इसके बारे में आपको मंत्री जी के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये । सरकार ने चुपके-चुपके अनुमेलन करा लिया और सदन के समक्ष नियम नहीं रखे····

श्री अध्यक्ष---माननीय उग्रसेन जी को बता दूं कि ये नियम ३० अप्रैल, १९६२ को गजट में छप चुके हैं । इसलिये यह कहना कि चुपके-चुपके अनुमेलन करा लिया गया मैं समझता हूं

---

*लायी नहीं गई ।

किसी माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता। गजट में एक मर्तबा छपने के बाद इस बात की कोई शिकायत नहीं हो सकती कि छपा दिया गया था कोई कार्यवाही की गई जिसके बारे में सरकार को अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार से लांछन नहीं लगाना चाहिये। यह अशोभनीय है। माननीय उग्रसेन जी ने जो दूसरा प्रश्न रखा है वह ठीक है। उसके सम्बन्ध में मैं कई मर्तबा इस सदन में कह चुका हूं।

बात यह है कि यह नियम विलम्ब से यहां रखे गये, अधिक अच्छा होता अगर बहुगुणा जी यह न कहते कि सम्भव है मेरे आफिस में विलम्ब हुआ होगा, यह अनुचित बात है। इस वास्ते कि हो सकता है हमारी गलती हो या आपकी गलती हो जिसकी भी गलती हो वह स्पष्ट रूप से सदन के सामने आनी चाहिये और जहां गलती हो हमारा कर्तव्य है कि हम खेद प्रकट करें कि गलती हो गई मैं आपको बता दूं कि इस समय मेरे पास जो लेखपत्र है उनसे विदित होता है कि यह २६ मई को गया है। इसके प्रेषक थे श्री शंकरदत्त मिश्र, सहायक सचिव, उत्तर प्रदेश शासन और यह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायिका विभाग की सेवा में २६ मई को गया है।

मैंने सिर्फ आपका ध्यान इस पर आकृष्ट किया कि अधिक अच्छा होता कि आप अपना खेद प्रकट कर देते बजाय यह कहने के कि कहां देरी हुई और कौन जिम्मेदार है। हमारे नियम यह कहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र सदन में आने चाहियें। अगर आपको रखने में कोई दिक्कत हुई है तो स्पष्ट कह दीजिये कि यह कठिनाई है।

दूसरी बात मैं मंत्रिमंडल से यह कहना चाहता हूं कि जब कभी ऐसे नियम सदन की मेज पर रखने में विलम्ब हो तो माननीय मंत्री स्वयं तैयार हो कर आवें कि वह सदन को बता सकें कि क्यों विलम्ब हुआ। ३० अप्रैल की ये सूचना और नियम आज ३० मई को ठीक एक महीने बाद सदन की मेज पर रखे जा रहे हैं। पूरा एक महीने का विलम्ब हुआ है इसमें कोई सन्देह नहीं। मैं आशा करता हूं कि मंत्रिगण इसका ध्यान रखेंगे और इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे सदन के समक्ष नियम शीघ्रातिशीघ्र आवें और अगर नहीं आते हैं तो वह कृपा करके विलम्ब के बारे में सूचित करेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—आपकी आज्ञा से मैं इस सम्बन्ध में अफसोस प्रकट करता हूं कि इनके भेजने में विलम्ब हुआ। जैसा मैंने पहले कहा मैं देर होने के कारण का पता लगाऊंगा इसमें हमारी कोई गड़बड़ी की मंशा नहीं है।

पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत राज रूल्स में पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २६३८-प/३३—५६-६१, दिनांक ११ मई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—यह सूचना हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)—यह अभी बांटी नहीं गई है। ११ बजे तक तो बंटी नहीं थी उसके बाद वहां रखवा दी हो तो दूसरी बात है।

श्री सहदेवसिंह—श्रीमन्, मैंने कहा कि यह सूचना अभी तक हम लोगों को मिली ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सहदेवसिंह जी मैं एक बात बताना चाहता हूं। सभी माननीय सदस्यों के लिये यह है। अगर आप रूल्स पूछें तो सदन की मेज पर रखने का मतलब यह है

---

*छापे नहीं गये।

[श्री अध्यक्ष]

कि एक प्रति यहां आ गई । हम उसे बंटवा देंगे । हो सकता है कि पिजन होल्स में रख दी गई हो । कुछ बंट चुकी हैं । हो सकता है कि किसी में न रखी गई हो । वह मिल जायगी ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---एक प्रस्ताव कार्य-स्थगन का आया है । उससे सम्बन्धित कल माननीय टम्बेश्वरप्रसाद जी का आया था, नाथूराम जी शिक्षक और कल्पनार्थसिंह जी का भी है सबकी शिकायत यह है कि लू बहुत चल रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है और कुछ लोगों की मृत्युयें भी हुईं । इसे कार्य-स्थगन के रूप में मैं स्वीकार नहीं करता हूं और न नियम ५२ के अधीन स्वीकार करता हूं, लेकिन मुख्य मंत्री जी अगर आप माननीय सदस्यों को यह बता दें कि यहां अस्पताल में या और कोई प्रबन्ध कर दिया गया है लू लगे हुये लोगों के उपचार के लिये तो अच्छा होगा ।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जब ज्यादा लू का अवसर आता है तो बलरामपुर अस्पताल में तथा मेडिकल कालेज के अस्पताल में इसका इन्तजाम रखा जाता है । इस वर्ष भी जरूरत के मुताबिक इस प्रकार का इन्तजाम है ।

कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---दूसरे नगरों का भी जिक्र है खासकर वाराणसी और कानपुर आदि का जहां पानी भी पीने के लिये नहीं मिलता है । वहां चन्द्र भानु सब गुप्त हो गये हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---जो लोग लू से मर गये हैं उनके परिवारवालों की सरकार कोई मदद करेगी ?

श्री अध्यक्ष---लू को रोकने लिये सरकार के पास कोई साधन नहीं है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---मेरे पास २-३ सूचनायें और आई हैं । एक माननीय हरीशकुमार गंगवारजी की है । एक माननीय जगदम्बाप्रसाद की है । मैं उन्हें नियम ५२ में स्वीकार नहीं कर पाया हूं । लेकिन अगर वे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करदें तो उनके उत्तर आ जायेंगे । एक श्रीरामचन्द्र जी विकल का है । मुझे खेद है कि मैं उसे भी स्वीकार करने में असमर्थ रहा हूं । कुछ अनिश्चित-सा है । कहीं एक कत्ल हो गया है उसके ऊपर नियम ५२ नहीं लग सकता है ।

विधायक निवास में ठंडे पानी की व्यवस्था की मांग

श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)---दारूलशफा और काउंसिलर्स रेजीडेंस में इतना गर्म पानी मिलता है कि वह शायद बदन के ऊपर डालने से फुलके पड़ जावें और पीने के लिये तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता । क्या ठंडे पानी का सरकार की ओर से कुछ इन्तजाम हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष---आप मुख्य मंत्री जी से या राजस्व मंत्री जी से मिल लीजिये ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अगर हमारे मित्र एक सुराही खरीद कर रख लें तो ठंढा पानी पीने के लिये मिल जायगा ।

१९६२–६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या २७––श्रम और सेवायोजन

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)––माननीय अध्यक्ष जी, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २७––श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९३,८२,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

सन् १९६१–६२ का जो पिछला साल है वह हमारे देश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में कदम उठाते हैं। जहां तक हम १९६१–६२ में पहुंचे हुये हैं उसके आर्थिक और औद्योगिक विकास में हम आगे बढ़े हुये दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अपनी श्रम नीति को कार्यान्वित करने में हम महत्वपूर्ण कदम उठाये हुये हैं। ऐसा हमको प्रतीत होता है। हमारे सामने, देश के सामने मैं कहती हूं सबसे बड़ी समस्या औद्योगिक और आर्थिक विकास की है। इसके साथ ही साथ हम चेष्टा कर रहे हैं कि सोशल जस्टिस और इकानोमिक डेवलपमेंट दोनों को हम साथ-साथ अपनावें, दोनों को आगे बढ़ावें। यह काम जरूर मुश्किल है और हम इसे सुचारु रूप से करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे सामने समस्या है कि ज्यादा से ज्यादा तेजी से हम उत्पादन कैसे बढ़ावें, मालिक और मजदूर के अन्दर सुन्दर सम्पर्क कैसे रखें ताकि वे दोनों उत्पादन बढ़ाने में अपना-अपना पूरा प्रयास कर सकें। देश में औद्योगिक शान्ति रखने की सारे देश की जिम्मेदारी है। इसके लिये गवर्नमेंट की ओर से यह प्रयत्न हो रहा है कि ऐसी श्रम नीति अपनाई जाय और उसे इस तरह से इम्पलीमेंट किया जाय ताकि यह जो ज्यादा बोझा हम आज श्रमिकों के ऊपर डाल रहे हैं कि मैक्सिमम प्रोडेक्शन हो उसके लिये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ने वाली है उसे वे कैसे उठावें हम उसके लिये उपयुक्त व्यवस्था करना चाहते हैं। श्रम विभाग के सामने ३ काम मुख्य हैं। प्रोमोशन आफ इंडस्ट्रियल हारमनी जो कुछ औद्योगिक कानून हमारे यहां बने हैं उन्हें हम कैसे शान्ति बनाये रखने के लिये इस्तेमाल करें, इफैक्टिव इनफोर्समेंट आफ लेबर लाज हमें करना है। श्रमिकों के लिये कल्याणकारी व्यवस्था हमें करनी है। ये तीन जिम्मेदारियां हमारे सामने हैं और उन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि उद्योग या श्रम के साथ-साथ हमारे श्रमिकों में कार्य-कुशलता भी यानी ऐफीशेंसी भी बढ़े। उनकी ऐफीशेंसी तभी बढ़ सकती है जबकि हम ऐसे हालात पैदा करें जिनमें वह अच्छी तरह से काम कर सकें। हम चाहते हैं कि उनके रहन-सहन की व्यवस्था अच्छी हो, उनके काम करने क हालात यानी कंडीशन्स अच्छी हों। हम कोशिश करते हैं कि शान्ति और अच्छे रिलेशन्स बने रहें और काम करने के लिये इफेक्टिव जाब कंडीशन्स रहें। श्रमिकों को बहुत से अधिकार हम नये कानूनों से दे रहे हैं। सिर्फ नये अधिकार देना ही हमारा काम नहीं है। देखना यह भी है कि उनके ये अधिकार सुरक्षित रहें। श्रमिक यह विश्वास करें कि उन्हें वे अधिकार मिले हुये हैं। सेंस आफ सिक्योरिटी हम श्रमिकों के अन्दर पैदा करना चाहते हैं।

मोटे तरीके से हम कह सकते हैं कि पिछले साल में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक हारमनी रही है और श्रमिकों का विकास हुआ है। जितने भी हमारे रजिस्टर्ड कारखाने हैं वहां श्रमिक जो आमदनी करते हैं उसमें काफी वृद्धि हुई है। १९५९ में एक श्रमिक की सालाना आय थी ९९२ रुपये या कहिये ९९३ रुपये। आज उसकी आमदनी है १०२० रुपये या १०२१ रुपये के करीब है। कई कारखानों में जो रजिस्टर्ड श्रमिक काम करते हैं उनकी तादाद में भी वृद्धि हुई है। उनकी तादाद जब कि पहले २.८५ लाख थी जो ३.९ लाख हो गयी है। रजिस्टर्ड कारखानों में भी वृद्धि हुई है वे १९५९ में २,४८३ थे अब २,६७२ हो गये हैं।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

औद्योगिक झगड़ों को तय करने के लिये हमने कई तरीके अपनाये हैं १—कंसीलियेशन, २, वालंटरी आर्बीट्रेशन और ३—एडजुडीकेशन। इन तीन तरीकों से हम उद्योग में शान्ति रखने का प्रयत्न करते हैं। मुझे यह कहने में खुशी है कि सन्, १९४९ से अब व्यवस्था करीब-करीब बहुत ठीक रही है। एक दो सालों में अवश्य कुछ दिक्कतों की वजह से कठिनाई रही।

कंसीलियेशन बोर्ड्स जो काम कर रहे हैं उनके बारे में शिकायत लोगों को रहती है कि उसमें देरी होती है। लेकिन यह एक जरिया है जिसमें तीनों दल एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं और अपनी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं और कंडीशन्स आफ सर्विस की प्राब्लम्स पर विचार करते हैं। कंसीलियेशन बोर्ड के सामने १९६१ में ५,०३३ मामले आये जिनमें से ४,२९९ तय हुए। यह जानकर भी आपको खुशी होगी कि २,३६० केसेज में आपसी समझौता हो गया अथवा विदड्रा कर लिये गये। बाकी जो केसेज बचे उनमें से ४१ प्रतिशत लेकर कोर्ट को रेफर किये गये। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका और भी बेहतर तरीका हो और लोगों को जो देरी की शिकायत है वह खत्म हो जाय। उसके कुछ कारण थे जिनको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट आ रहा है कुछ दिक्कतें तो उससे रफ़ा हो जायेंगी। जो देरी कानूनी दिक्कतों की वजह से होती थी, वह दूर हो जायगी। कुछ देरी स्टाफ की कमी की वजह से भी होती थी उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसका काम अधिकतर कानपुर में होता है। जो लेबर लीडर बाहर से आते थे उनको अलग-अलग दफ्तरों में, जो अलग-अलग थे, जाना पड़ता था। अब हम लेबर से संबंधित सब दफ्तरों को एक जगह पर ला रहे हैं। इससे लेबर के लीडरों की, जो कठिनाई थी, वह दूर हो जायगी और केसेज के फैसले होने में जल्दी होगी।

लेबर कोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये अवार्ड्स में से ४२१ मामले इम्प्लीमेन्ट किये जाने वाले थे जिनमें से ६७ प्रतिशत का बाकी अल्हैदा अल्हैदा इम्प्लीमेन्टेशन की स्टेजेज में हैं। इसके अलावा त्रिदलीय फोरम के सहारे हम बड़े-बड़े मसलों को तय कर पाये हैं और उसके अनुसार आगे काम हुआ है। एक वेज बोर्ड १९५७ में बैठा जिसने ६ रुपये मंजूर किया था जिसमें कानपुर और बाहर की सूती मिलें आती हैं। मोदी नगर के लिये ८ रुपया मंजूर किया गया था। इन दोनों का इम्प्लीमेन्टेशन हो गया है। १९६२ में उसने फिर २ रुपया मंजूर किया है। यह वृद्धि भी कानपुर में लोगों को मिल गयी है। इस वृद्धि के कारण कानपुर में ही ४६ लाख रुपया वेजेज का बढ़ा है। २—४ को छोड़कर इसका इम्प्लीमेंटेशन सभी फैक्टरीज में हो गया है। जिन दो चार में नहीं हुआ है वह माननीय सदस्यों को मालूम ही है उनके बारे में बराबर सवाल पूछे जाते हैं। इसके भी खास कारण रहे हैं। अथर्टन वेस्ट मिल में खास दिक्कतें थीं। हमारा डिपार्टमेंट बराबर उनके साथ बातचीत करता रहा है और उसका नतीजा भी आशाप्रद दिखायी देता है। मिल वालों को उसमें अब कोई एतराज नहीं मालूम देता है। अब नेगोशियेशन्स इस बात पर चल रहे हैं कि प्ले आफ कम्पेनसेशन के एरियर्स कितने इन्सटालमेंट्स में दिये जायं। मैं आशा करती हूं कि जल्दी ही यह समस्या हल हो जायगी और इसमें अब और अधिक देरी नहीं लगेगी। और जैसे ही अथर्टन वेस्ट मिल का मामला तय हो जायगा वैसे ही एलगिन मिल का मामला भी तय हो जायगा। पिछले दिनों बिजली काटन मिल, हाथरस के बारे में कई सवाल पूछे गये थे और उसके ऊपर ११ तारीख को मैंने एक लम्बा चौड़ा बयान दिया था। वहां पर वेज बोर्ड के फैसले को इम्प्लीमेंट करने की सारी तैयारी हो गयी थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट से स्टे आर्डर ले लिया फिर भी उस सिलसिले में स्ट्राइक हो रही है। मैंने ४ तारीख को बयान देने के लिये कहा था, लेकिन मुझे यह बतलाते हुए खुशी है कि वहां स्ट्राइक खत्म हो गयी है और आपस में समझौते की बातचीत चल रही है। और मैं उम्मीद रखती हूं कि इतने दिनों से जो झगड़ा चल रहा है वेज इनक्रीज का वह जल्द से जल्द तय हो जायगा।

फिर शुगर वेज बोर्ड के रिकमेंडेशंस के अनुसार शुगर वर्कर्स की तनख्वाह में काफी वृद्धि हुई है और पहले जहां मिनिमम तनख्वाह ५५ रुपये थी वहां अब उनको मिनिमम ७६ रुपये मिल रही है। डियरनेस एलाउंस, रिटेनिंग एलाउन्स व ग्रेचुट्स, हाउस रेंट में भी उनके साथ सहूलियत की गयी है। जहां तक बोनस की बात है १९६१-६२ के सीजन का ३७ लाख ५७ हजार रुपया ५४ शुगर मिलों के ४५ हजार वर्कर्स को दिया जायगा। जहां पर बोनस के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ वहां बहुत जल्द फैसला हो जायगा।

जूट वेज बोर्ड के अंतरिम रिकमेंडेशन के अनुसार २ रुपये ८५ नये पैसे अक्तूबर से दिसम्बर तक और जनवरी से अब तक ३ रु० ४५ नये पैसे देने का निर्णय किया गया है। इस सम्बन्ध में पहले भी कई सवाल पूछे गये थे। यदि वे इम्पलीमेंट हो गये तो सब जगह वह दिया जायगा। एरियर जो जे० के० मिल के पास है उसे चार इंस्टालमेंट्स में दिया जायगा और सहजनवां मिल के बारे में फैसला होना है कि किस रेट से कितने इंस्टालमेंट्स में एरियर दिया जायगा।

जब मैं यहां उत्तर प्रदेश में आयी तथा जब से मैंने लेबर डिपार्टमेंट का भार सम्भाला तबसे कानपुर में रेशनलाइजेशन का मामला हमारे सामने सबसे बड़ा रहा है। इस सम्बन्ध में बहुत से लोग हमारे पास आये और पूछते रहे। इस सवाल को माननीय सम्पूर्णानन्द जी के सुपुर्द कर दिया गया था और मुझे खुशी है कि वहां के मालिकों और मजदूरों ने श्री सम्पूर्णानन्द को आर्बीट्रेटर स्वीकार कर लिया है। माननीय सम्पूर्णानन्द जी उस तरफ काम कर रहे हैं और मैं आशा करती हूं कि जल्द से जल्द वह एवार्ड आ जाएगा और आशा की जाती है कि बहुत से मामले एमिकेबली तय हो जायेंगे।

अब मैं सरकारी अंडरटेकिंग्स के सम्बन्ध में दो चार बातें कह देना चाहती हूं। इस बारे में कई सवाल पूछे गये थे। मोटे तौर पर उनमें तथा मजदूरों में ठीक सम्पर्क चल रहा है, लेकिन वह बहुत सन्तोषजनक नहीं है यह कहने में मुझे कोई अड़चन नहीं है। हमारे सामने कई दिक्कतें आती हैं जिससे वहां श्रम कानून का इम्पलीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पाता। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं और मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें हमारी मदद करें ताकि जितनी सरकारी अंडरटेकिंग्स हैं वे एक माडर्न एम्पलायर साबित हो सकें। वहां के लिये हम वर्क्स कौंसिल बना रहे हैं और चाहते हैं कि मालिक और मजदूर आपस में बैठ कर समझौता से सारी बातें तय कर लें। २२ ऐसी यूनिट वर्क्स कौंसिल की बन गयी हैं ताकि जो सरकारी श्रमिक हैं वे अपने मसले को ढंग से सुलझा सकें। उसके लिये एक परमानेंट कंसिलियेशन बोर्ड बनाया हुआ है ताकि मजदूरों के बीच में शान्ति रह सके।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हम एक और प्रोग्राम लाना चाहते हैं और उसके लिये पर्सोनेल ऐडवाइजरी सर्विस बना रहे है। कानपुर में वह शुरू भी कर दिया गया है ताकि मालिकों और मजदूरों को जो भी दिक्कतें हैं वे समझौते से तय हो जायं और उनको सुलझाने के लिये तथा जितने हमारे कानून हैं उनको इम्पलीमेंट करने के लिये हम ज्यादा निगाह रखना चाहते हैं। उसे और अच्छी तरह से चालू करने के लिये कोशिश की जा रही है जिससे कि जो हमारी मशीनरी है वह और मजबूत बन जाय।

इसलिये फैक्टरी इंस्पेक्टोरेट को विकेन्द्रित किया जा चुका है और इस वर्ष अन्तिम क्षेत्र में कार्यालय खुल जाने के उपरान्त अब हर जोन में एक फैक्टरी इंस्पेक्टर होगा जिसके साथ में उसका स्टाफ होगा जो सब जगह जाकर इस बात को देखेगा कि जो हमारे कानून हैं उनको ठीक ढंग से लागू किया गया है या नहीं। एक नया कानून मोटर ट्रांसपोर्ट का आया है और हम बहुत जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि स्टाफ अप्वाइंट हो जाय ताकि यह चीज अमल में आ सके। इसके द्वारा मोटर पर काम करने वाले बहुत से वर्कर्स को बहुत से हक दिये गये हैं और उन को भी करीब-करीब फैक्टरी वर्कर्स के बराबर ही मिल सकेगा। मिनिमम वेजेज के सम्बन्ध में काफी काम हुआ है उनका रिवीजन भी हुआ है और उस के कारण सब जगहों पर काम करने

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

वाले लोगों की वेजेज बढ़ी हैं जैसे कि चावल, आटा, दाल मिल के काम करने वालों का, चाय का काम करने वाले लेबर का और टेनरीज लेबर आदि का काम करने वाले मजदूरों की वेजेज में बढ़ोत्तरी हुई है। कहीं-कहीं २६ रुपये से ४० रुपया, साढ़े ३७ रुपया से ४५ रुपया तक वह बढ़कर पहुंची है। इसके अलावा बीड़ी वर्कर्स की वेजेज भी हम ने रिवाइज की हैं उन को भी हमने २६ रुपये से ३६ और साढ़े ३७ रुपया तक कर दिया है। इसी तरह से एग्रीकल्चर वर्कर्स के भी वेजेज बढ़ाये गये है। उनकी वेजेज पूर्वी जिलों की साढ़े ३२ पया और पश्चिमी जिलों की ३९ रुपया रखी गई हैं।

इसके अलावा ट्रेड यूनियन्स का काम भी पिछले साल से काफी प्रगति किया है। सरकार का दृष्टिकोण यह नहीं है कि उन को दबाया जाय। आज हम चाहते हैं कि वे पनपें और संगठित रूप से आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि ट्रेड यूनियन्स का काम करने वाली नेगोशियेशन्स की मशीनरी अच्छी तरह से चले और एक कान्सटीट्यूशनल तरीके से, कानून से वाकिफ होकर शान्ति के साथ लोग अपनी समस्याओं को उनके द्वारा सुलझायें और इसी लिये हम ने उनके उत्थान के लिये काफी रुपया रखा है। पिछले साल हमने उन पर २० हजार रुपया खर्च किया, ४५ ट्रेड यूनियन्स पर वह खर्च किया गया। हम चाहते हैं कि उनका संगठन अच्छा हो और वह लेबर के ट्रेनिंग का कार्य करें कि किस तरह से मामलों को उसके द्वारा शान्ति से सुलझाया जा सकता है। आप देखें कि यू० पी० में किस तरह से ट्रेड यूनियन्स बढ़ी हैं सन् १९३८ में उन की तादाद १८ थी, अब हमारे यहां रजिस्टर्ड ट्रेड युनियन्स १,०५९ से ज्यादा हैं और इस मामले में यू० पी० का स्थान सारे भारत में काफी ऊंचा है। इन ट्रेड यूनियन्स का केवल नम्बर बढ़ जाना ही तरक्की की निशानी नहीं है, हम चाहते हैं कि वे अच्छी तरह से संगठित हों, उनमें अच्छी तरह से काम हो और जो काम हो वह कागजी और फर्जी न हो। इनमें से ८७३ ऐसी ट्रेड यूनियन्स हैं जिनके एनुअल रिटर्न्स आते हैं और जिनमें ३ लाख वर्कर्स शामिल हैं। यह ट्रेड यूनियन्स कुछ वेलफेयर और कल्चरल व एजुकेशनल एक्टिविटीज करती हैं। २ सेमिनार्स और एजुकेशनल ट्रेनिंग केम्पस् भी आर्गेनाइज किये गये। इतना मैं जरूर कहना चाहती हूं कि मुझे खेद है कि अभी इन यूनियन्स का इस्तेमाल पूरे तौर पर लेबर समस्याओं के हल के लिये नहीं हो सका ताकि एक संगठित रूप से बैठकर वहां कार्य हो सके।

तीसरा कार्य जिसका कि मैंने आरम्भ में जिक्र किया था वह है श्रम कल्याण का काम। उनको चाहे वेतन कितना ही दिया जाय, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको अन्य एमिनिटीज भी फेयर वेजेज के साथ-साथ मिलें, वह भी एक सुन्दर सामाजिक जीवन, अच्छे परिवार की तरह से स्वस्थ रहकर बिता सकें, उनको भी हर तरह की सहूलियतें मिलें ऐसी हमारी ख्वाहिश है। पिछले साल श्रम कल्याण के लिये १८ लाख रुपया रखा गया था, लेकिन इस साल हम ने उसको २५ लाख कर दिया है। पिछले साल तक हमारे पास ६७ वेलफेयर सेन्टर्स थे जहां श्रम परिवारों को मेडिकल फेसिलिटीज, रीडिंग रूम की सुविधा, खेलकूद के सामान का बच्चों के लिये प्रबन्ध, लाइब्रेरी, माताओं को बहुत से काम सीखने की सुविधा, कुछ सोसाइटीज भी उनकी हैं जिनकी मारफत हमने २ लाख लिटर मिल्क पाउडर और एक लाख लिटर ताजा दूध बांटा है। ४,००० मेटरनिटी केसेज हुए हैं, एक टी० बी० क्लीनिक भी कानपुर में खुला है, एक और खोलना है। उस की इमारत तैयार है। हमारा विचार थर्ड प्लान में १८ ऐसे श्रम कल्याण केन्द्र खोलने का है। एक नई योजना और हम बना रहे हैं जिसमें परिवार नियोजन के बारे में सलाह दी जायगी। ५ ट्रेनिंग सेन्टर श्रमिक औरतों को हैन्डीक्राफ्ट्स में ट्रेनिंग देने के लिये खोलने हैं जिनमें से दो खुल चुके हैं और ३ इस साल खोले जायेंगे। तीसरी टी० बी० क्लिनिक का निर्माण कार्य इस साल से शुरू किया जायेगा।

हाउसिंग के सम्बन्ध में भी यू० पी० भारत के दूसरे सूबों से पीछे नहीं है। हम अभी तक २५ हजार इंडस्ट्रियल हाउसेज बना चुके हैं और थर्ड प्लान में हमने इस काम के लिये और रुपया रखा है। इसमें केवल कानपुर में ६,००० मकान हैं। शुगर कारखानों के वर्कर्स के लिये पिछले साल १,४६८ मकान तैयार हो गये हैं ६१ शुगर फैक्ट्रीज में और २,००,०००

रुपया ईयर मार्क किया गया है शुगर वर्कर्स के लिये हालीडे होम बनाने के लिये। हम चाहते थे कि होलीडे होम तैयार हो जाते, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनें पड़ जाने की वजह से अभी तैयार नहीं हो पाये। रानीखेत में जमीन तय कर ली है और अगर लीगल अड़चन न आती तो अब तक बन जाते। फैसला हमारी तरफ से बहुत पहले से हो चुका था मगर काम चालू करने में कुछ कानूनी अड़चन आ गई है।

ओल्ड एज पेंशन में १५,००,००० रुपया रखा गया है। इस साल उस कानून में बहुत तब्दीली की गई है ताकि ओल्ड एज पेंशन और ज्यादा लोगों को मिल सके। पहले ७० साल की एज लिमिट थी अब उसको घटा कर ६५ साल कर दिया है। पहले बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन्स थे उनमें भी तब्दीली कर दी गई। इसके अलावा यह कानून भी बनाया है कि किसी का रिश्तेदार, लड़का या लड़की अगर १० रुपया माहवार कमाता हो तो उसको भी पेंशन देंगे। इन लिबरेलाइज्ड रूल्स से आशा करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठायेंगे। आप लोग जानते हैं भारतवर्ष में बहुत कम प्रान्त हैं जहां ओल्ड एज पेंशन मिलती है। अब शायद मद्रास और एक आध प्रान्त में अभी हाल में यह काम शुरू हुआ है।

एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम २१ शहरों में चल रही है जिसमें करीब २ लाख वर्कर्स इस स्कीम के अन्तर्गत आते हैं जिसमें उनको मेडिकल फेसिलिटी, मेटरनिटी आदि की फेसिलिटीज दी जाती हैं। अब मेडिकल फेसिलिटी परिवारों को भी देने की बात तय हो गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत १०० बेड्स का एक अस्पताल कानपुर में बन गया है जो माडर्न इक्विपमेंट्स से इक्विप्ड है। हमारी योजना है कि इतना ही बड़ा टी० बी० का अस्पताल भी कानपुर में खोला जाय। उसके लिये जमीन ली जा रही है। मैं आशा करती हूं अगले साल तक वह अस्पताल चल सकेगा।

ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वितीय योजना में ७ और बढ़ गये हैं। हमारी योजना ३,५६८ सीट्स बढ़ाने की थी। मगर मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि हम उस टार्गेट को एक्सीड कर गये हैं। १०० ज्यादा सीट्स बन चुकी हैं। कई जगह इमारत बन चुकी हैं। हमने इन इंस्टीट्यूट्स में टोटल १०,८९० आदमियों को ट्रेन किया है। तृतीय योजना में हम लोगों ने नये ढंग से काम किया है। पहले यह सर्वे कराया है कि किस ढंग के काम में लोगों को इम्प्लायमेंट मिल सकता है, इन-इन उद्योगों में किस टाइप के वर्कर्स चाहिये। इस सर्वे के बाद उसी के अनुसार हम ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। सर्वे से पता चलता है कि कम से कम १०,००० ट्रेन्ड आदमी हमको उत्तर प्रदेश में चल रहे विभिन्न उद्योगों के लिये चाहिये। इसलिये तृतीय योजना में २९ और इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे जिनकी कुल संख्या ४४ हो जायगी ५४ जिलों में। यह इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिये २६ जगहों में जमीन ऐक्वायर करने के लिये सेलेक्ट कर चुके हैं और काम जल्द से जल्द हो रहा है। जमीन लेने में और मकान बनाने में देर लगती है इसलिये हमने यह फैसला किया है कि जब तक बिल्डिंग बने तब तक किराये के मकान ले कर यह संस्थायें चालू कर दी जायं और जब इमारत बन जायं तब उसमें शिफ्ट कर दी जायं।

एक नया कानून केन्द्रीय सरकार ने, नेशनल एप्रेन्टिस ऐक्ट पास किया है जिसके अनुसार औद्योगिक स्थानों में कम्पलसरिली इन इंस्टीट्यूट्स के अपरेन्टिसेज लेने पड़ेंगे और उनकी ईवनिंग क्लासेज चलेंगी जहां थ्योरिटिकल ट्रेनिंग दी जायगी। इसके अनुसार १,००० सीट्स इस प्रदेश में चालू की जायंगी जिसमें से ६०० सीट्स इस साल खोलेंगे।

१९६०-६१ में १४ नये एम्प्लायमेंट एक्सचेंज खोले गये हैं और हमारे लाइव रजिस्टर पर रजिस्टर्ड लोगों की संख्या २,८३,००० से ऊपर है। एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के बारे में आप लोग बहुत शिकायतें करेंगे उनका जवाब मैं बाद में दूंगी। मगर आपको बताना चाहती हूं एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज की मारफत सन् १९६१ में ८,५४,००० से ऊपर लोगों को काम दिया गया है।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

पिछले साल ६५ हजार के लगभग थे और इस साल ८४ हजार हो गय। कुछ न्यु प्रोग्राम्स शुरू किये गये हैं जैसे कलेक्शन आफ एम्प्लायमेंट मार्केट इंफार्मेशन स्कीम। यह काम १९५७ में शुरू हुआ था और पहले हमने पब्लिक सेक्टर को कवर किया था। पब्लिक सेक्टर तो सारे कवर हो गये हैं और २९ जिलों में प्राइवेट सेक्टर भी कवर कर चुके हैं और आशा करती हूं कि १२ जिले और कवर कर लेंगे। दूसरी स्कीम चालू की है वोकेशनल गाइडेंस ऐंड एम्प्लायमेंट कौंसिलिंग की। इसके जरिये से स्कूल लीवर्स को गाइडेंस दी जा सकती है। इसमें ट्रेंड आफिसर्स आये हैं। जो लड़के हमारे स्कूल से निकलते हैं उनको वे सलाह देंगे कि किस-किस वोकेशनल में दरवाजा खुला है। १४ जगह दफ्तर खुल चुके हैं और चार जिले इस साल और कवर हो जायेंगे। इस डिपार्टमेंट के जरिये से हम एक काम्प्रिहेंसिव आकुपेशनल डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं। उसके तैयार करने का साइंटिफिक बेसिस होगा जिस बेसिस पर कुछ और हम आकुपेशन्स को जांच कर सकेंगे।

प्रोग्राम आफ आकुपेशनल रिसर्च ऐंड एनालिसिस भी हमने शुरू किया है। २,५०० एनालिस्ट अवेलेबिल हैं। १९६०-६१ में दो यूनिवर्सिटी इम्प्लायमेंट ब्यूरो खोले गये थे और १९६१-६२ में ४ खोले गये हैं।

कुछ रूरल इम्प्लायमेंट इंफार्मेशन ऐंड एसेस्मेंट ब्यूरो का काम हमने शुरू किया है। १९ ब्लाक्स में ऐसे दफ्तर खोले गये हैं और १७ ब्लाक्स में खोलने की आशा करते हैं। आज रूरल इम्प्लायमेंट की बड़ी भारी समस्या है। इन दफ्तरों के खोलने से यह जरूरी नहीं है कि वह समस्या हल हो जायगी। लेकिन जो पढ़े-लिखे नौजवान गांव में होते हैं उनको कुछ सलाह देनी होती है, कुछ रास्ते बतलाने होते हैं ताकि वह कुछ रास्ता अपना सकें।

जैसा हमने बतलाया हमारा उद्देश्य है हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन्स, एन्फोर्समेंट आफ लेबर लाज और वेलफेयर ये तीन काम हमारे हैं। इन तीनों दिशाओं में हमने काफी कदम उठाये हैं। जो खामी हैं वे तो हैं ही। उनके ऊपर आप कहेंगे ही। लेकिन सब खामी, कमजोरी के बावजूद मुझे खुशी है कि लेबर डिपार्टमेंट जितना मुमकिन है मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या २७---श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत जो अनुदान पेश है उस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय---कमी करने का उद्देश्य---विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना, यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रम मन्त्री जी का भाषण मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं सब से पहले सेवायोजन के ऊपर अपने विचार रखना चाहता हूं। जो तृतीय पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित पुस्तिका बंटी है उसी पर मेरे विचार आधारित हैं। दूसरे मुल्कों में खास कर ग्रेट ब्रिटेन में, यू० एस० ए० में और बेल्जियम में किस तरह सेवा योजनायें चल रही हैं उस बारे में भी मन्त्राणी महोदया की जानकारी कराना चाहूंगा और उन मेरे सुझावों पर मुझे आशा है अनुकरण किया जायगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बेरोजगारों की संख्या लगभग ९.४६ लाख थी। १६.५९ लाख की बेरोजगारी श्रमिक वर्ग में और बढ़ी यानी ३६.०५ लाख नौकरियों की जरूरत हुई। यह अनुमान किया गया है कि उत्तर प्रदेश में ७.३८ लाख नई नौकरियां योजना के अन्त तक मिलेंगी। आज तीसरी योजना के प्रारम्भ काल में १८.६७ लाख बेरोजगारों की संख्या हो गयी। जो इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी उसके बारे में मन्त्री जी ने कोई आंकड़े पेश नहीं किये। १९६० की जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में श्रमिक वर्ग के बारे में आंकड़े हैं वह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। १९६१-६२ में ३.२ पुरुषों की संख्या और १.० औरतों

की संख्या, टोटल ४.२। १९६२–६३ में ३.२ पुरुषों की संख्या और १.० औरतों की संख्या, टोटल ४.३। इसी प्रकार से १९६३–६४ में ३.३ पुरुषों की संख्या और १.० औरतों की संख्या, टोटल ४.३। इसके बाद १९६५ से १९६६ तक क्या प्लान है? १६.५ पुरुषों की संख्या और औरतों की संख्या ५.०, टोटल २१.५। इस प्रकार से १५ से ५९ वर्ष के शहरी क्षेत्र में ९० परसेंट पुरुष और १० परसेंट स्त्रियां तथा ग्रामीण क्षेत्र में ९५ परसेंट पुरुष और ३५ परसेंट स्त्रियां श्रमिक वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। जब हमारे गांवों में इस प्रकार से श्रमिक वर्ग की संख्या बढ़ती है उस समय तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारे इम्प्लायमेंट का क्या नक्शा है जो माननीया श्रम मन्त्राणी जी ने रोजगारों और बेरोजगारों की संख्या बतायी उससे कहीं अधिक वह संख्या जान पड़ती है। मैं इम्प्लायमेंट एक्सचेंज की फीगर्स भी कुछ बताना चाहता हूं। इनमें १९५१ में ३,५६,२४० लोग रजिस्टर किये गये जिनमें से १,६९,२४० आदमियों के नाम कार्ड इश्यू किये गये और १,१४,८३१ आदमी काम पर लगाये गये। १९६० में २,०८,०५४ आदमी रजिस्टर किये गये और अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं रखा गया। इससे साबित है कि इम्प्लायमेंट एक्सचेंज की क्या एफिशियेन्सी है।

आज हमारे यहां जिला स्तर पर जो सेवा योजनाओं की संस्थायें चलायी गयी हैं उनको देहाती क्षेत्रों में भी चालू किया जाय यह मेरा सुझाव है। हर ब्लाक के स्तर पर उनके संगठन को खोला जाय ताकि जो हमारे यहां सब से ज्यादा ऐसे मजदूर हैं जिनका जीवन ऐग्रीकल्चर पर निर्भर है और जिनका श्रम बेकार है उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। अगर ऐसा नहीं किया जाता है और केवल शहरों में ही एम्प्लायमेंट एक्सचेंज को खोला जाता है और देहाती क्षेत्रों में उसका प्रसार नहीं किया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि हम बैकवर्ड एकोनामी का जो नाम लेते हैं और जो नाम लेते हैं कि हम श्रम को ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्क में इस्तेमाल करना चाहते हैं उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पायेंगे। श्रीमन्, यह हमारे मुल्क की ऐसी हालत नहीं है और भी मुल्क जो आज अर्से से स्वराज्य को पा गये हैं और जो सही तरीके से अपने यहां श्रम को कीमत समझते हैं, उनके सम्बन्ध में आपके द्वारा मन्त्री जी के समक्ष कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं। ग्रेट ब्रिटेन में नेशनल इम्प्लायमेंट का कार्य कैसे चलाया जाता है। वहां डिस्ट्रिक्ट आफिसेज होते हैं जो कोआर्डीनेटिंग बाडीज होती हैं और उसके अन्तर्गत रीजनल आफिसेज और ब्रांच आफिसेज चालू किये जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा श्रम बेकार पड़ा हुआ है उसकी पूर्ति हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इम्प्लायमेंट दे पाते हैं। इसी तरह से नेशनल इम्प्लायमेंट सर्विसेज बेलजियम में हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। श्रीमन्, मैं इतना ही सुझाव देना चाहता हूं करप्शन कितना है यह तो मन्त्री जी ने खुद तस्लीम किया है। इसके कहने की क्या जरूरत है? लेकिन जो भी करप्शन है उसके बावजूद भी श्रम को जाया न होने दिया जाय। इसके लिये जरूरत है कि हर जगह पर इम्प्लायमेंट की ब्रांचेज खोल दें तो मुल्क में श्रम बेकार नहीं रहने पायेगा और हमारे मुल्क की फिर उन्नति हो सकती है। श्रीमन्, यही मेरा सुझाव है।

श्रीमन्, इसके बाद बड़ी-बड़ी बातें कोड आफ डिसिप्लिन और कोड आफ कंडक्ट की कही गयीं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज १९३२ से १९६२ तक का यानी ३० साल का जमाना हो रहा है। चीनी मिलों को १९३२ में प्रोटेक्शन दिया गया था और उसके बाद आज १९६२ में जिस मालिक के पास पहले एक चीनी की मिल थी उसके पास अब ३-४ चीनी की मिलें हैं। आज वह दिन रात तरक्की कर रहा है, लेकिन उन मजदूरों की क्या हालत हुई? यह देखने की बात है। १९३० में एक कमेटी मजदूरों की हालत की जांच करने के लिये बनाई गई थी और उसने यह जांच की कि मजदूरों की हालत कैसे ठीक की जाय। सहकारिता समिति बनाई जाय और सहकारी समितियां बनाकर किस तरह से गन्ने की उपज बढ़ाई जाय और किस तरह से रिकवरी बढ़ाई जाय। मजदूरों की हालत को सुधारने के लिये तथा उनमें सुख और समृद्धि लाने के लिये क्या-क्या उपाय किये जायं। दूसरी कमेटी बनी

[श्री नरसिंहनारायण]

जो खैतान कमेटी के नाम से मशहूर है। उसकी रिपोर्ट हमारे सामने है। उसने भी तमाम रिकमन्डेशन्स मजदूरों के सम्बन्ध में कीं। लेकिन कुछ नहीं हो सका। खैतान कमेटी के बाद, निम्बकर कमेटी बनी, भाटिया कमेटी बनी और इसके बाद बिन्धवासिनी प्रसाद कमेटी बनी, लेकिन तमाम कमेटियों की रिपोर्ट्स उठाकर देखी जायं तो उनमें एक ही टर्म्स आफ रिफरेंस पायेंगे। मजदूरों के वही टर्म्स आफ रिफ्रेंस हैं जो १९३० और १९३२ में थे और वही सेंट्रल बोर्ड के सामने भी पेश हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार हर साल कमेटी कायम करती है और कमेटी कायम करके इस बात का दावा करती है कि हम मजदूरों की स्थिति सुधारना चाहते हैं, हम फैक्ट्रीज ऐक्ट का प्रावोजन लागू करना चाहते हैं, हम इंडस्ट्रियल पीस चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मजदूरों को नेचुरल जस्टिस दी जाय, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आज हम जानते हैं कि १९५० में इस बात का सेंसस कराया गया कि आई० एन० टी० यू० सी० का यूनियन ज्यादा रिप्रेजेन्टेड है शुगर मिल मजदूरों में या यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन ज्यादा रिप्रेजेन्टेड है। उस सेंसस में ३१ परसेंट वोट आई० एन० टी० यू० सी० को मिले और ७१ परसेंट वोट यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को मिले जो वामपक्षीय संस्था है। आज उस यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन को जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेन्टेड है, कमेटियों में क्यों नहीं बुलाया जाता? आज जो तमाम त्रिदलीय सम्मेलन होते हैं उनमें उसके नुमाइन्दे क्यों नहीं रखे जाते? आज जो यूनियन सरकार की कठपुतली यूनियन है वह सेवायोजना के नाम पर लाखों रुपया पा लेती है, लेकिन वाम पक्षीय यूनियन की तरफ निगाह उठा कर भी नहीं देखा जाता।

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि वेज ७६ रुपये कर दी गयी है, लेकिन आज चीनी का उत्पादन कितना हुआ? आज सारे देश की आधी चीनी हमारा प्रदेश पैदा कर रहा है उस चार करोड़ मन चीनी के हिसाब से अगर एल० ए० टी० अवार्ड के मुताबिक बोनस लगाया जाय तो डेढ़ करोड़ रुपया होता है। माननीय श्रम मंत्राणी जी ने कहा कि ३८ लाख रुपया बोनस मजदूरों को मिला। आज इतना विरोधाभास क्यों? आपने ही लेबर अपीलेंट ट्राइबुनल का फैसला माना था। उसके प्रेजाइडिंग आफिसर बिन्दबासिनी प्रसाद ने कहा था कि मिल मालिकों के बैलेंस शीट के ऊपर बोनस नहीं मिलेगा। बोनस प्रोडक्शन पर मिलेगा। लेकिन आज एल० ए० टी० के अवार्ड को अलग कर दिया गया। उसको अलग करके बोनस दिया जाता है, सेंट्रल वेज बोर्ड के मुताबिक जिसको लेबर अपीलेट ट्राइबुनल ने बार-बार दुत्कार दिया है। आज डेढ़ करोड़ रुपया मजदूरों को बोनस मिल रहा है, जब कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मजदूरों ने रात दिन मेहनत करके हिन्दुस्तान की आधी चीनी पैदा की। उस पर आप उम्मीद रखते हैं मजदूरों से इंडस्ट्रियल पीस की। आज मजदूरों में और विशेषकर चीनी मिल मजदूरों में सरकार की नीति के कारण घोर असंतोष है।

जहां तक वेज की बात आपने कही कि वेज ७६ रुपये हो गया है, मैं कहता हूं कि लकड़ी पहले मजदूरों को मुफ्त मिलती थी, रोशनी मुफ्त मिलती थी। तमाम सुविधायें पहले थीं। श्री बिन्दबासनी प्रसाद की वेज बोर्ड रिपोर्ट लागू होने के बाद सारी सुविधायें छीन ली गयीं। नतीजा क्या हुआ कि उनके बोनस में कटौती कर दी गयी, और कुल कितना पड़ा? ६० रुपये। आज मजदूर ७६ रुपये के बजाय कटौती करने के बाद केवल ६० रुपये पा रहा है। ५५ रुपया पा रहा था अब ६० पा रहा है। ५ रुपये की बढ़ोत्तरी की जबकि आपने निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ाखाने में डाल दिया। उसके मुताबिक आज मजदूर को १२५ रुपया मिलना चाहिये था। फिफटीन्थ लेबर कान्फ्रेंस जो गुलजारीलाल नन्दा के सभापतित्व में नैनीताल में हुई थी उसका क्या हश्र हुआ जिसमें तमाम हिन्दुस्तान के मजदूरों की हालत देखने के बाद यह तय हुआ था कि औसत मजदूरी, कम से कम मजदूरी, सवा सौ रुपये एक मजदूर की होनी चाहिये। आज उसको कहां, किस कोठरी में आपने डाल दिया? कब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा क्या यह मैं माननीय मन्त्री जी से पूछ सकता हूं? श्रीमन्, आज मजदूरों की हालत बड़ी दयनीय हो रही है। केवल कोड आफ डिसिप्लिन की बात कह देने से काम नहीं चल सकता है। यह कोड आफ डिसिप्लिन आज केवल मालिकों के लिये ही

गया है। कोड आफ डिसिप्लिन मालिकों को खुश करने के लिये आप कह सकते हैं कि उसको मेन्टेन कीजिये, लेकिन जो गरीब मजदूर आज यूनियनों में काम करते हैं, आफिस बेयरर्स हैं उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है ? श्री राजनाथ सिंह, पिपराइच चीनी मिल के, जो प्रेसीडेंट हैं मजदूर यूनियन के वह निकाल दिये गये। इसलिये निकाल दिये गये कि वह ट्रेड यूनियन के वर्कर हैं। पंजाबी रामकोला मिल का कल्पनाथ सिंह निकाल दिया गया, प्रेसीडेंट था यूनियन का, जो यूनाइटेड फेडरेशन से अफिलिएटेड यूनियन है। आप कोड आफ डिसिप्लिन की बात करते हैं। बी० डी० शुक्ला, हरगांव चीनी मिल का, यूनियन का सेक्रेटरी था, निकाल दिया गया। तो किस तरह से आप कोड आफ डिसिप्लिन मजदूरों से मनवाना चाहते हैं ? आज होता क्या है ? सन् १९५० की रिपोर्ट आप देखें ९० हजार मजदूर ७१ चीनी मिलों में काम कर रहे थे। आज आपकी क्या लेबर फोर्स है ? आज वह ६० हजार रह गये हैं। न तो कोई मशीनरी में रैशनलाइजेशन आपने किया और न और कोई बात की। तो आखिर यह ९० हजार से ६० हजार इन मिलों में कैसे रह गये ? ३० हजार मजदूर कहां चले गये ? यह आपकी ही फिगर्स हैं। सन् १९५० में जो सेन्सेस हुआ है उसको उठाकर देख लीजिये और जो आज स्थिति है उसको देख लीजिये। तब आपको पता लगेगा कि कितना आपकी श्रम नीति के कारण अनएम्प्लायमेंट बढ़ा है और उसके बाद आप मजदूर से और हमसे यह उम्मीद करते हैं कि कोड आफ डिसिप्लिन का पालन करें। मैं कहता हूं कि जब इस तरह से मजदूर निकाले जाते हैं तो यह क्यों मजदूरों के लिये कोड आफ डिसिप्लिन और कोड आफ कान्डक्ट बनाया गया है ? यह सब महज हवाबाजी है। इससे काम चलने वाला नहीं है।

श्रीमन्, वेलफेयर की इतनी बड़ी बात की गई कि वेलफेयर के नाम पर इतना खर्च किया गया। यह रुपया किस यूनियन को दिया गया ? सारा वेलफेयर का पैसा आई० एन० टी० यू० सी० को आप दे रहे हैं जो आपकी जरखरीद गुलाम है। एक भी इंस्टांस, मैं माननीय मंत्री जी से चैलेंज के साथ कहता हूं कि वह बतायें कि उन्होंने जो रुपया श्रम कल्याण के नाम पर खर्च किया वह किसके जरिये खर्च हुआ और बहुत ईमानदारी के साथ वह बतायें। मैं कहता हूं कि सारा का सारा रुपया जो कांग्रेस की आई० एन० टी० यू० सी० है जो एक मरी हुई जमात है जिसका कोई वजूद नहीं है उसको दे दिया है और उसके जरिये श्रम कल्याण करा रहे हैं जिसके नेता नैनीताल और मसूरी की हवा खाते फिरते हैं। उनको किसी श्रम कल्याण की चिन्ता है ? उनको तो चिन्ता है नैनीताल और मसूरी कैसे गरमियों में पहुंचें और श्रम कल्याण पर खर्च कितना हुआ ? मैं आंकड़ों से बताना चाहता हूं, श्रम कल्याण में जितना रुपया हमको मिला है प्लान में वह भी खर्च नहीं हो पाया है। सेकेंड प्लान में १०० लाख रुपया इसके लिए मिला जिसमें से ७८,६०८ लाख रुपया ही श्रम कल्याण के लिए खर्च हो सका। यह आपकी श्रम कल्याण की योजना है जिसकी माननीय मंत्राणी जी तारीफ कर रही हैं। यह उनके ही आंकड़े हैं मेरे आंकड़े नहीं हैं। २५० लाख रुपया तीसरी योजना में व्यय करने का प्रारूप था अब केवल ८९.९८ लाख रुपया ही व्यय करने के लिये स्वीकार हुआ है। यह आपका श्रम कल्याण है जिसके ऊपर इस तरह से रुपया खर्च हो रहा है। यह श्रम कल्याण का जीता-जागता नमूना है।

अब मैं चीनी मिल मजदूरों के सेंट्रल वेज बोर्ड के निर्णय के इम्पलीमेंटेशन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरा कहना है कि इसमें बहुत ही गलत तरीके से मजदूरों का वर्गीकरण किया गया है। जो गन्ना विभाग का इन्चार्ज का काम करता था उसको इन्सपेक्टर का ग्रेड दे दिया गया है। इनके वर्ग का इस तरह से ग्रेडेशन किया गया कि आज जो जिस जगह है उसको कोई उत्साह नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि जो जिस जगह पर काम कर रहा है वह नीचे चला आ रहा है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि यह जो वेज बोर्ड की रिपोर्ट है इसके लागू होने पर हमारे लिये और हमारे चीनी मिल उद्योग के श्रमिकों के लिये एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जायगी। इसलिये मैं मांग करता हूं आपके द्वारा मान-

[श्री नरसिंहनारायण]

नीया मंत्राणी जी से कि दूसरी चीनी वेतन मंडल में ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन फेडरेशन के नुमाइन्दों का ही रखा जाय और इम्पलायर के नुमाइन्दे रखे जायं और सरकार के नुमाइन्दे रखे जायं। इसलिये एक कमेटी, सेकिन्ड वेज बोर्ड के लिये आप नियुक्त करें जो इन चीजों पर जांच कराये।

दूसरी बात मैं इम्पलीमेंटेशन कमेटी के बारे में कहना चाहता हूं। वह जो इम्पलीमेंटेशन हुआ है वह बहुत गलत है। वह वही आई० एन० टी० य० सी० है जिसने रिपोर्ट दी है। आज उसकी इतनी हालत खराब है फिर भी काशीनाथ जी जो वहां इम्पलीमेंटेशन कमेटी में रखा गया है फिर आगे क्या हालत होगी? अभी हाई कोर्ट से किसी तरीके से वह मुकदमा उपके पास आ गया है। मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि जो भी इम्पलीमेंटेशन किया जाय वह इम्पलीमेंटेशन ठीक तरीके से करायें। जो वहां पर बहुमत रखता है उसको ही उस कमेटी में रख कर करायें तब तो ठीक होगा। नहीं तो इससे ठीक होने वाला नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि सेकिंड वेज बोर्ड चीनी उद्योग के लिये बहुत जरूरी है और इसके साथ-साथ यह भी कहता हूं कि यह चीनी उद्योग हमारे प्रदेश का बड़ा उद्योग है। इस सदन में भी कई बार जब किसानों के मामले आते हैं तब इस तरह की स्थिति पैदा होती है। मिल मालिक कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि उनको हम ठीक से गन्ने की कीमत दे सकें और जब मजदूरों का बोनस का मामला आता है, वेज का मामला आता है तो प्रोडक्शन के बावजूद भी कहते हैं कि रिकवरी कम है इसलिये न हम पे बढ़ा सकते हैं और न बोनस दे सकते हैं। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि १।। करोड़ में से उनको ३८ लाख रुपया मिला है। इसलिये मिल मालिक प्राफिट करता है। इसलिये इसको खत्म करने की आवश्यकता है और जल्दी से करने की आवश्यकता है। अतः मैं मांग करता हूं कि शुगर फैक्टरी का नेशनलाइजेशन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। जब तक नेशनलाइजेशन नहीं होता तब तक मिल मालिक को प्राफिट होता चला जायगा और मजदूरों की स्थिति नहीं सुधरेगी और यही स्थिति रहेगी जो आज है। जब एक मजदूर सिविल सर्जन के पास सर्टिफिकेट लेने जाता है तो मिल मालिक सिविल सर्जन के पास पहले ही लिख कर भेज देते हैं और उनका ठेका हो जाता है। सिविल सर्जन ५० साल के मजदूर को भी ५८ साल लिख देता है और उसका परिणाम यह होता है कि उनका रिट्रेन्चमेंट होता है। इस अनामली को दूर करने के लिये सेकिंड वेज बोर्ड का अप्वाइन्ट होना निहायत जरूरी है और राष्ट्रीयकरण चीनी मिलों का होना बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष---अभी माननीय सदस्य कितना समय और लेंगे?

श्री नरसिंहनारायण---अभी ३० मिनट और लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप १५ मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री नरसिंहनारायण---उसके बाद जो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग धन्धा है वह काटन मिल का है। उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेशनलाइजेशन कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उस कमेटी की रिपोर्ट में से कुछ उद्धरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां काटन मिलों में इस उत्तर प्रदेश में इस समय कुल ५० हजार से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं और जो रेशनलाइजेशन हुआ है उसमें मजदूरों की छंटनी बहुत ज्यादा हुई है। मैं आपके सामने एक उद्धरण रेशनलाइजेशन के बारे में रखना चाहता हूं। डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने १० नवम्बर, १९३७ को जो राजेन्द्रप्रसाद कमेटी बनी थी, उसमें कहा था :—

"Whether schemes of rationalization and intensification of labour have been or being or are intended to be introduced and if so, on what lines what are the effects of such schemes on the labourers as regards their earnings, health, efficiency, etc.?

(pp,3 of the Kanpur Textile Mills Rationalization Enquiry Committee 1955—56)

और इसके बाद उन्होंने कहा :

"Exploitation r ot of the workers but of material and machinery should be the key note of our employers."

(Textile Mills Rationalizaton Enquiry Committee 1955-56)

उन्होंने कहा कि मैटीरियल और मशीनरी को इस्तेमाल करना और उससे उत्पादन बढ़ाना ही हमारे रेशनलाइजेशन का ध्येय होना चाहिये। यह डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद ने कहा है, लेकिन उसमें आज होता क्या है। रेशनलाइजेशन में मजदूरों की स्थिति वहां बड़ी गम्भीर होती जाती है। मिल मालिकान तरह-तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं उनको निकालने के लिये। आज ४५,००० मजदूर काटन मिलों में काम कर रहे हैं, अगर सेन्सस लिया जाय तो पता चलेगा कि रेशनलाइजेशन के पहले जितने मजदूर उन मिलों में काम करते थे उतने आज काम नहीं कर रहे हैं। उनमें बहुत कमी हुई है और हमारे बहुत से टेक्निकल मजदूर जो उत्पादन बढ़ा सकते थे निकाले जा रहे हैं और मारे मारे फिर रहे हैं। इस तरह की स्कीम से जिसमें हम मैटीरियल का इस्तेमाल न कर सकें, मजदूरों के वर्क लोड को बढ़ा दें, मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती यह मेरा कहना है। इसमें न तो तृतीय योजना में सफलता मिल सकती है और न हम ऐसा कर के मजदूरों का ही हित कर सकते हैं।

चमड़े के मजदूरों का हाल भी बड़ा खराब है। वहां भी कमेटियां बनी हैं और उनकी रिपोर्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। उनकी मांग है कि जूट बेज बोर्ड के स्तर से उनको तनख्वाह दी जाय, मजदूरों पर वर्क लोड ज्यादा है, उसे कम किया जाय, फैक्टरी ऐक्ट और दूसरे औद्योगिक कानून लागू किये जायं और मैं समझता हूं कि उनकी मांगें जायज हैं और आपके कानून की तहत में हैं और उनको पूरा करना श्रम मंत्रालय का कर्तव्य है। उनकी दशा बहुत शोचनीय है और उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके बाद पब्लिक सेक्टर में सीमेंट वेज बोर्ड है। अभी तक उसकी सिफारिशें लागू नहीं हुईं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वे लागू हो गयी हैं, लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि बहुत जगह वे लागू नहीं हुई हैं, आपकी फैक्टरी में लागू नहीं हुई हैं। सारी जो रेकमेंडेशन्स हैं वे लागू नहीं हुई हैं यह मैं बहुत नम्र तरीके से आपको बतला देना चाहता हूं। वहां की स्थिति को देखते हुए जो मजदूरों की स्थिति है वह अच्छी नहीं है और उसमें आपके कानूनों का पालन ठीक तरीके से वहां नहीं हो रहा है और मजदूरों में बड़ा असन्तोष है। स्टेट को एक माडल एम्प्लायर होना चाहिये, लेकिन स्टेट माडल एम्प्लायर नहीं हो पा रही है इसको समझने की नितान्त आवश्यकता है। तो मेरा निवेदन है कि स्टेट को माडल एम्प्लायर होना चाहिये। इसके अलावा जो आपकी प्राइवेट सेक्टर की मिलें हैं उनके लिये एक आदर्श स्थापित करना चाहिये उद्योगों के बढ़ाने में। लेकिन वह स्थिति आज नहीं हो पा रही है, क्योंकि मजदूर खुश नहीं है और जब वह खुश नहीं है तो आपको कोई उन्नति नहीं हो सकती।

मैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन के बारे में भी दो शब्द कहना चाहता हूं। जब रजिस्ट्रेशन का सवाल आता है तो उनके साथ आपकी नीति भेदभाव की रहती है। रोडवेज यूनियन का रजिस्ट्रेशन का सवाल दो साल से लटका हुआ है, सारे कागज जब कि पूरे हो चुके हैं। मजदूर सभा का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत सी चीनी मिलों की यूनियनों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है। आप सहयोग की बात करते हैं हमसे, तो हम भी आपसे यह उम्मीद करते हैं कि पक्षपात की नीति न बरतें और यह देखें कि किस फैक्ट्री की यूनिट में किस यूनियन का ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन है। जब तक आप इस तरफ उचित ध्यान नहीं देंगे। तब तक आपके प्लान का जो टारगेट है वह पूरा नहीं हो सकता।

एक निवेदन मैं माननीय श्रम मंत्री जी से और करना चाहता हूं और वह यह कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो श्रम नीति है वह बहुत बुरी चल रही है। उत्तर प्रदेश की

[श्री नरसिंहनारायण]

सरकार आज एक यूनियन और दूसरी यूनियन के साथ जिस तरह से एक पक्षीय व्यवहार कर रही है सरकार से उस तरह के व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। सरकार को भेदभाव की नीति त्याग कर, चाहे वह मजदूर यूनियन हो, चाहे वह आई० एन० टी० यू० सी० की हो, किसी की हो, सब के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिये, इससे पहले आप इन्डस्ट्रियल पीस की बात मत कहिये। प्राइवेट सेक्टर में जो आपके उद्योग हैं, चमड़े का उद्योग है, चीनी का उद्योग है, उन सब का आपको राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। यह सब करने पर ही हम कुछ प्रगति कर सकेंगे।

[अनुदान संख्या २७—श्रम और सेवा योजन

(लेखा शीर्षक: ३८—श्रम और सेवायोजन)

क्र०सं०	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का रूप
१	श्री यादवेन्द्रदत्त	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
२	श्री उग्रसेन	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में एक रुपये की कमी की जाय। कमी करने के उद्देश्य—संराधन एडजूडिकेशन में सक्रियता लाने का सुझाव देना तथा सूती, चीनी, जूट राजकीय मजदूरों की प्रमुख मांगों की चर्चा कर द्वितीय पे कमेटी की स्थापना की मांग करना।
३	श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री भानुप्रताप सिंह, श्री काशीनाथबहादुर, श्री प्रेमसिंह, श्री मुन्नूसिंह, श्री विजयसिंह, श्री बलवीरसिंह, श्री नवरंगसिंह तथा श्री चैतन्यराजसिंह।	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।]

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान श्रम मंत्री महोदय ने पेश किया है मैं उसको सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो स्टेटमेंट साल भर के काम का और सरकारी नीति का हमारे सामने सरकार की तरफ से पेश हुआ है उससे यह जाहिर होता है कि इस विभाग ने चौमुखी तरक्की की है और उसको देखते हुये हम उस विभाग पर फख्र कर सकते हैं और उसके लिये उसे मुबारकबाद दे सकते हैं। अभी हमारे दोस्त माननीय पांडेय जी फरमा रहे थे कि सन् १९५० में कोई इलेक्शन हुआ था, उसमें कुछ हुआ था और आज कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं—फिदरम सुल्तान बूद। इस तरह की बात कहने

[—] उक्त कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए माने गये।

से काम नहीं चलता। पोजीशन यह है कि जितनी भी यूनियनें हैं वे अपने ऐनुअल (Annual) फार्म पर मेम्बरशिप भर कर भेजती हैं। और इन्डियन लेबर कान्फ्रेन्स के फैसले के मुताबिक हम यह तय करते हैं कि कौन मैजारिटी में हैं और कौन माइनारिटी में हैं। जब आप अपने रिटर्न में लिख कर यह भेजते हैं कि हम माइनारिटी में हैं तो फिर कोई मिनिस्टर या सरकार किस तरह से उसमें सहयोग दे कि आप मैजारिटी में आ जायं और आपको तसलीम किया जाय। फिर यह भी कायदे के खिलाफ बात होगी कि जो मैजारिटी है उसको तसलीम न किया जाय। दूसरी बात मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि जब शुगर वेज बोर्ड चल रहा था, उसकी तहकीकात चल रही थी, क्या यह आई० एन० टी० यू० सी० नहीं थी जिसने जगह जगह जाकर स्टेटमेंट तैयार किया और उसके सामने वाकयात और मामलात पेश किये ? आप भाइयों को मुताद्दद बार बुलाया जाता था और आप पीछा छुड़ाने की कोशिश करते थे। लेकिन जब आपने देखा कि कुछ होने वाला है तो तेजी दिखलाई गयी। हमें कोई एतराज थोड़े ही है, लेकिन कहने का मंशा यह है कि जो वाकयात हैं उनको देखना चाहिए और एक ऐसे ढंग से काम करना चाहिए जिससे हमारा काम तरक्की कर सके और मजदूरों की ईमानदाराना खिदमत हो सके। आपको इस बात में एतमाद नहीं है कि हम कुछ चीजें सुलझाएं। यह कोई कोड आफ कंडक्ट बना कर ही कर सकते हैं ? जहां मौका होता है वहां आप हड़ताल और झगड़े खड़े कर देते हैं, जिसका नतीजा यह है कि जो प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल पीस और काम को आगे बढ़ाने की बात होती है रुक जाती है और बिला वजह आपको भी और मजदूरों को भी तकलीफ होती है।

मैं इन सब बातों को अर्ज करते हुए एक चीज अपनी गवर्नमेंट के सामने रखना चाहता हूं कि जो हमारे लेबर कानून हैं जो एक अर्से से रुके हुए हैं हाउस में उनको जल्द से जल्द लाया जाय। उसकी वजह से हमारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट में तरक्की भी बुरी तरह से रुकी हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट उनको जल्दी लाने की कोशिश करेगी।

आज सब भाई अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि हमारे यहां टेक्सटाइल और शुगर वेज बोर्ड बन जाने से हमारे मजदूर भाइयों की एक बड़ी तादाद की समस्या का हल हुई है। अगर सरकार दूसरे उद्योग जैसे बिजली है, चमड़ा है, ग्लास है, इनमें भी वेज बोर्ड कायम कर दे तो मैं यह समझता हूं कि हमारी तीन चौथाई समस्या हल हो जायगी और हम अपने प्रदेश में इंडस्ट्रियल पीस को कायम रखते हुए आगे बढ़ सकेंगे।

एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी मंत्री महोदय ने यह तसलीम किया कि कंसीलिएशन के काम में देर लगती है। मैं यह चाहता हूं कि कंसीलिएशन का काम जिस दिन दरख्वास्त दी जाय उसके ९० दिन के अन्दर खत्म हो जाना चाहिए। यह बात खास तौर से उन लोगों के लिए होना चाहिए जो डिस्चार्ज कर दिये जाते हैं। उनके बारे में एक और सहूलियत कानून द्वारा दिलवानी चाहिए और जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को सस्पेंड हो जाने के बाद मामले के तय होने तक कुछ पैसा दिया जाता है, इसी तरह से मजदूर को भी दिया जाय जिससे वह अपनी गुजर औकात कर सके। क्योंकि एक तो उसे मुकदमा लड़ना और दूसरे उसकी आमदनी का बन्द हो जाना, इससे बढ़ कर उस पर क्या जुल्म हो सकता है ? इस तरफ सरकार को तवज्जह देनी चाहिए।

एक बात यह है कि यहां हमारे ग्लास इंडस्ट्री काफी बढ़ी है और प्रावीडेंट फंड उस पर लागू नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि उस इंडस्ट्री पर भी प्रावीडेंट फंड लागू किया जाय ताकि वहां के श्रमिक भी उससे फायदा उठा सकें।

हमारे यहां रोडवेज में हड़तालें हो रही हैं और ट्रांस्पोर्ट में जो छोटे-छोटे यूनिट्स हैं उनमें वर्कर्स को आज सहूलियत नहीं मिलती है। अब केन्द्रीय सरकार ने इसके बारे में एक कानून पास कर दिया और सूबा सरकार उसको लागू भी करने जा रही है, उसका सेट अप भी तैयार कर

[श्री जयगोपाल]

दिया है । मेरा सुझाव यह है कि आप उसके लिये एक ट्राइपार्टाइट कमेटी बना दें तो उससे तमाम मामलात को जल्दी से हल किया जा सकेगा और सहूलियत होगी उन दिक्कतों को दूर करने के लिये बजाय इसके कि कानून पर कानूनी तरीके से अमल किया जाय और बहुत सा टाइम जाया हो जाय। फैक्टरी ऐक्ट एक ऐसा लेबर का कानून है जिसको एक तरह से बुनियादी कानून कहा जा सकता है और आज भी उसके एक लम्बे अर्से से मौजूद होने के बावजूद और फैक्ट्रीज के रजिस्टर होने के बावजूद बहुत सी फैक्ट्रीज में उसका मुकम्मिल तौर से इम्पलीमेंटेशन नहीं है ।

मैं इस बात को मानता हूं कि फैक्ट्रीज की एकोनामिक कन्डीशन्स जितनी इजाजत दें उतना लागू किये जाने की तजवीज होनी चाहिये । मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि काफी बड़ी बड़ी अन्डरटेकिंग्ज हैं जिनमें कैन्टीन नहीं हैं या उसकी कोई व्यवस्था नहीं है । अभी छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं जिनमें दस से ज्यादा आदमी इम्पलाय किये जाते हैं उसमें मुकम्मिल तौर पर फैक्टरी ऐक्ट को नहीं लागू किया जा सकता, लेकिन जितनी भी गुंजायश हो उतना लागू करना चाहिये ताकि मजदूरों को कम से कम बुनियादी चीजें, जैसे छुट्टी है, वीकली रेस्ट है, मुनासिब तनख्वाह है, वह मिल सकें । तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि सरकार इसके मुताल्लिक कार्यवाही करे ।

दूसरी बात यह है कि हमारी ओल्ड एज पेन्शन में चौथी शर्त यह लगी हुई है कि अगर १० रुपया आमदनी होगी तो पेन्शन नहीं दी जायगी। १५ रुपया आप पेंशन देते हैं और १० रुपये की आमदनी पर पेंशन रोक देने के माने यह है कि एक तो पहले ही से उसको इतना पैसा मिलता है कि जिसमें मुश्किल से गुजर कर सके और दूसरे १० रुपये पर रोक लगा देने से यह मतलब होता है कि आप उसको जिन्दा रहने का अख्तियार नहीं देना चाहते । यह हो सकता है कि जिसकी १५ रुपया आमदनी है उसको आप न दें, लेकिन १० रुपये वालों को रोकना जरा सख्त मालूम होता है । इस-लिये इसमें यह तब्दीली करनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है जो गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्ज हैं उनमें काम-काज की अच्छी व्यवस्था नहीं चलती और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से महंगा भी पड़ता है । उसके बारे में मेरे दो सुझाव हैं । एक तो यह कि वहां पर ऐसे अफसरान को पोस्ट कीजिये जिन्होंने लेबर साइकालोजी, लेबर वर्किंग और इस तरह की संस्थाओं को चलाने में ट्रेनिंग ली है । जो अफसरान यहां से जाते हैं उनमें अथारिटेटिव माद्दा होने की वजह से लेबर से ज्यादा टकराव होता है जिससे वह इन्डस्ट्रीज ज्यादा कामयाबी से नहीं चल पाती हैं । तो मेरा यह सुझाव है कि ऐसी जगहों पर स्पेशलिस्ट, ट्रेन्ड अफसरान रखे जायं । दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्ज में श्रम कानूनों को लागू न करना बल्कि अलग से कानून बनाकर या डिपार्टमेंटल तरीके से काम करना, यह मुनासिब नहीं है । अगर गवर्नमेंट अपने को माडेल एम्पलायर साबित करना चाहती है तो यह जरूरी है कि जो प्राइवेट अण्डरटेकिंग्ज में कानून लागू होते हैं वही सरकारी अण्डरटेकिंग्ज में भी लागू होने चाहियें ।

(इस समय १ बजकर २७ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये ।)

इस तरह का जो फर्क प्राइवेट और पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में रखा गया है उसको कायम न रखा जाय। इससे मैं उम्मीद करता हूं कि वहां भी एफिसिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और काम करने का तरीका भी अच्छा रहेगा और सब एट पार हो जायेंगे ।

एक बात मुझे यह अर्ज करनी है कि टैक्सटाइल वेज बोर्ड का कुछ हिस्सा अभी लागू होने से बाकी रह गया है । दो साल का अर्सा बीता जा रहा है जब यह वेज बोर्ड हमारे सामने आया था इसलिये इसके मामले में थोड़ी जल्दी होनी चाहिये । मैं पांडेय जी की मांग को गवर्नमेंट के सामने दोहराना चाहता हूं कि वे वेज बोर्ड के कैटेगोराइजेशन के बारे में जो केसेज पड़े हुये हैं उसके बारे में कोई रीजनल कमेटी बने या कोई ऐसा तरीका निकाला जाय जिससे अपने-अपने रीजन में वह केसेज

तय हो सकें क्योंकि तीन-चार हजार केसेज पड़े हुये हैं । इनके तय हो जाने से जो दिक्कतें और मसले हैं वह हल हो जायेंगे और इंडस्ट्रियल पीस के मामले में उससे बड़ी भारी मदद मिलेगी ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । हमारी कोआपरेटिव केन यूनियन्स में काफी मजदूर काम करते हैं, मैं समझता हूं यू० पी० में ५० हजार से कम आदमी नहीं होंगे । उनके अन्दर कोई कानून नहीं लागू है । वहां की यूनियन्स को आर्बिट्रेरी तरीके पर ए, बी, सी क्लास में रखा जाता है और जब चाहते हैं हटा देते हैं और ज्यादती करते हैं । मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि उनके केसेज भी एडजुडीकेशन और कंसीलिएशन में आने चाहिये और श्रम कानून उन पर भी लागू होना चाहिये ताकि उनको जिन बुनियादी सहूलियतों की जरूरत है, मिल सकें । ऐसी ही सहूलियतें पी० डब्ल्यू० डी० के वर्कर्स को भी मिलनी चाहिये ।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नरसिंह नारायण जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस सिलसिले में मुझे दो, चार बातें कहना है । पहली बात तो यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो मांग की वह बहुत अच्छे ढंग से पेश की जैसा कि सरकारी आंकड़ों को पेश करने का तरीका होता है । मेरा दावा है कि सरकार की श्रम नीति मजदूर विरोधी रही है और पूंजीपतियों को मदद करने की रही है । इस अर्से में पैदावार बढ़ी है और मिल मालिकों का मुनाफा भी बढ़ा है, लेकिन मजदूरों की हालत गिरी है । देश की आय बढ़ी है, लकिन मजदूरों की हालत गिरी है । मैं दूर नहीं जाऊंगा, इसी रिपोर्ट के आंकड़ों को आपके सामने रखना चाहता हूं ।

इसके पृष्ठ ६ पर वेज बोर्ड के बारे में लिखा है कि बंबई में मजदूरों की आय १३२ पया थी, अहमदाबाद में १२४ रुपया, शोलापुर में ११३ रुपया, मद्रास में १११ रुपया । इससे साफ मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम आमदनी मजदूरों की रही है । मैं खासतौर से बहुगुणा जी से कहना चाहता हूं कि पिछले १४ सालों में यहां के मजदूरों की हालत गिरी है । १४ साल पहले कानपुर के मजदूरों की तनख्वाहें सब इन्डस्ट्रियल सेंटर्स से ज्यादा थीं, लेकिन इस बीच में सबसे कम हो गयी हैं ।

सके बाद पेज ७ पर तनख्वाहों का एवरेज दिया हुआ है । उनमें मद्रास की दी हुई है १८५१ रुपया, बिहार की १६७६ रुपया, बाम्बे में १६०४ रुपया, केरल में ९०० रुपया, मद्रास में १२६१ और उत्तर प्रदेश में १११७ रुपया । एवरेज पे भी उत्तर प्रदेश में केरल को छोड़कर सबसे कम है । आज खास प्रश्न मजदूरों के सामने यह है कि जब हम समाजवाद के सिद्धान्त की बातें करते हैं तो यह बात भी तय हो जानी चाहिये कि जब मुनाफा बढ़ता है तो मजदूरों की हालत भी बढ़नी चाहिये । लेकिन यह नहीं होता । उनकी तनख्वाहों में तो इनडायरेक्टली कटौती हो रही है । क्योंकि एक ओर उसकी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई बराबर बढ़ती जा रही है । जो महंगाई बढ़ती है उसका बंबई में ९० प्रतिशत मिल जाता है, लेकिन यू० पी० में ५० प्रतिशत ही दिया जाता है । माना कि महंगाई १०० बढ़ी तो उनको सिर्फ ५० पया ही दिया जायगा । इस तरह यू० पी० के मजदूर की तनख्वाह दिन पर दिन कम होती जा रही है । यह खाली सूती मिल के मजदूरों की मांग हो, ऐसी ही बात नहीं है । सरकारी कर्मचारियों की तरफ से भी यह मांग उठ रही है और प्रेस कर्मचारियों की तरफ से भी यही मांग उठ रही है । यह कोई तरीका नहीं कि वेज बोर्ड ने २–४ रुपया दे दिया और मामला खत्म कर दिया । मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं सरकार से कि अगर वह वाकई शान्ति चाहती है और चाहती है कि देश फले फूले और आगे बढ़े तो उसको एक बात जरूर करनी होगी और वह यह कि या तो उसको चीजों के दाम कम करने होंगे और अगर वह चीजों के दाम कम नहीं कर सकती है तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जाती है उसी हिसाब से मजदूर का भत्ता भी बढ़ाया जाना चाहिये, यानी १०० प्रतिशत, न्यूट्रिलाईजेशन होना चाहिये ।

[श्री संतसिंह यूसुफ]

मुझे मजदूरों में २५-३० साल का काम करने का तजुरबा है, धमकी के तरीके पर नहीं, इत्तला के तरीके पर मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि आज मजदूरों में १९४७ से भी ज्यादा, बेचैनी है, चाहे वे सरकारी उद्योग हों या गैर-सरकारी हों। सब लोग वेज बोर्ड की मांग करते हैं, ऐसे वेज बोर्ड की मांग नहीं करते कि २-४ रुपया बढ़ा दें और मामले को खत्म कर दें। यह तो एक सैद्धान्तिक मामला है। इसका हल निकालने के लिये आपको एक वेज बोर्ड या एक हाई पावर लेबर इंक्वायरी कमीशन को बैठाना होगा। १४ साल पहले एक ऐसा कमीशन बना था, लेकिन उसकी रिपोर्ट को वेस्ट पेपर बासकेट में डाल दिया गया। सिर्फ ३ रुपया तनख्वाह मंजूर की गयी, लेकिन उसको छोड़ कर और कुछ नहीं किया गया।

चमड़े के मजदूरों को महंगाई और वेतन मिलाकर ४५ रुपया मिलता है, लेकिन पहले ६० रुपया मिलता था जो कट कर ५४ रुपया हो जाता था। सरकारी और गैर-सरकारी उद्योगों में करीब-करीब एक सी हालत है। आप यह न सोचिये कि मामला बिलकुल शान्त है आपकी रिपोर्ट के आंकड़े इस बात को बताते हैं कि हालत पहले से खराब है, झगड़े ज्यादा बढ़े हैं, इस वक्त मजदूर ज्यादा मुसीबत में है। इसलिये आम लोगों की मांग पर मौके से विचार कर लीजिये तो अच्छा है। लेबर कंसिलिएशन बोर्ड का बहुत जिक्र किया गया, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाय तो वहां भी फ्राड होता है, अधिकतर फैसले मजदूरों के खिलाफ जाते हैं। मिल मालिक और मजदूर एक साथ बैठ कर आपस में समझौते से हर मामले को तय कर लें जहां सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद हों, इस तरफ सरकार का ज्यादा जोर होना चाहिये। अगर आज आप शान्ति चाहते हैं तो कलेक्टिव बारगेनिंग का होना जरूरी है। तभी देश आगे बढ़ सकता है और यहां समाजवाद आ सकता है।

जहां तक मुकदमे बाजी की बात है, सरकार कहती है कि झगड़े न हों, यह ठीक है, लेकिन मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिये कोई रास्ता व कोई तरीका तो आप निकालें। आज अगर १०० केसेज झगड़े के रेफर होते हैं कांसिलिएशन के लिये, तो उनमें से ३४ परसेंट तो रेफर होते हैं और ६६ परसेंट इनएक्सपेडिएंट डिक्लेयर कर दिये जाते हैं यानी उनको ऐसे ही खतम कर दिया जाता है। ये सारी चीजें एक लेबर कमिश्नर करता है। कानपुर के लेबर कमिश्नर से मेरा कोई विरोध नहीं है, वे बड़े ही सज्जन हैं और अक्सर मेरी उनसे मुलाकात होती है, लेकिन उनके हाथ में कोई पावर नहीं है जिसकी वजह से मिल मालिक उनकी कोई परवाह नहीं करते। इसलिये सिद्धान्त यह होना चाहिये कि या तो लड़ाई से मामला तय हो या समझौते से तय हो और बिना किसी अपवाद के कांसिलिएशन बोर्ड में रेफर होना चाहिये। चूंकि वह सरकारी नौकर है इसलिये मिनिस्टर साहब जिस केस को रेफर करने के लिये कह दें वह तो रेफर हो जायगा और जिसको नहीं चाहेंगे वह केस रेफर नहीं होगा। अगर उसे नौकरी करनी है तो उनका कहना उसे करना ही पड़ेगा। इस तरह से पार्टी पालिटिक्स अन्दर भी चलती है और बाहर विरोधियों के साथ तो चलती ही है।

जो ३४ परसेंट केसेज कंसिलिएशन बोर्ड को रेफर होते हैं, उनमें से २० परसेंट के करीब तो वर्कर्स के पक्ष में फैसल होते हैं और ८० परसेंट उनके खिलाफ फैसल होते हैं। क्योंकि कोर्ट में तो सरकार की नीति के अनुसार ही मामले चलते हैं। अगर कोर्ट में ऐसे जजों का एप्वायंटमेंट किया जाता है जिनको सोशल व ट्रेड यूनियन ला के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर एविडेंस ला के अनुसार ही केस का फैसला होगा। चूंकि एम्पलायर के पास पैसा होता है इसलिये वह तो अच्छा से अच्छा वकील रखेगा और चूंकि मजदूरों के पास पैसे नहीं होते इसलिये ८० प्रतिशत फैसले उनके खिलाफ जाते हैं। इनमें भी २० परसेंट केसेज में से कई परसेंट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के डिसीजन के बाद भी उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। यह सरकार कहती है कि हम मजदूरों के साथ हमदर्दी रखते हैं और यहां पर समाजवाद लाना चाहते हैं, लेकिन इस मौके पर श्रीमन्, मुझे एक किस्सा याद आता है। एक लड़का अपनी मां से कहता है कि जब मैं अपने से किसी जबरदस्त आदमी को देखता हूं तो

मुझे बड़ा रहम आता है और जब किसी कमजोर को देखता हूं कि तो मुझे गुस्सा आता है। इसी तरह से यह सरकार पूंजीपतियों को तो टैक्स में छूट दे देती है, कर्जे में छट दे देती है फिर लेबर ला का इम्प्लीमेंटेशन न करने पर हाईकोर्ट, जो यहां की सबसे बड़ी अदालत है, उसके फैसले को क्यों नहीं माना जाता? उसका फैसला आप क्यों नहीं कर पाते हैं, उन की खुद की रिपोर्ट में है कि ३३ प्रतिशत जो फैसले हैं वह इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं लेकिन यह नम्बर और ज्यादा है और मेरे खयाल से यह ५० प्रतिशत से कम नहीं हैं बल्कि और ज्यादा ही है। इसी तरह से बहुत से केसेज होते हैं कि जिन में फैसले हो जाते हैं और उन एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता और अपने वादों को पूरा नहीं किया जाता।

मंत्राणी जी चली गईं अच्छा होता कि वह मेरी बात को सुन लेतीं, लेकिन बहुगुणा जी बैठे हैं वह मेरी बात सुन लें। नैनीताल में कांफ्रेंस हुई, मिल-मालिकान ने वायदा किया कि हम स्टेट्स को मेनटेन करेंगे जबतक कि सम्पूर्णानन्द अवार्ड नहीं आ जायगा। लेकिन उसके बाद एक बात को भी उन्होंने नहीं माना। रेशनलाइजेशन के संबंध में भी अभी सम्पूर्णानन्द जी के सामने जो इशूज हैं उनके संबंध में भी वह जो चाहे कर रहे हैं और सरकार बैठी तमाशा देख रही है। रेशनलाइजेशन करते चले जाते हैं। कल मैंने एडजर्नमेंट मोशन भी मूव किया था और उपमंत्री साहब से भी कहा था कि बूढ़े आदमियों को निकालने का और ग्रेचुटी का मसला पेश है और मामला एक अपील में सुप्रीम कोर्ट में है और दूसरा एडजूडिकेशन में है और बावजूद एश्योरेन्स के जे० के० मिल में उनको निकाला जा रहा है और स्वदेशी काटन मिल में बगैर नोटिस के ही उन को निकाला जा रहा है। मैंने डिप्टी मिनिस्टर साहब को तमाम कागज ले जाकर दिखाये कि यह हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह भी फैसला कमेटी का था कि रविवार की छुट्टी होनी चाहिये, बाबू राजेन्द्र प्रसाद कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने कमेटी से फैसला दिया था कि इतवार को काम नहीं लिया जायगा, लेकिन जे० के० वाले हालांकि कामयाब नहीं होते फिर भी हर इतवार को वह चालू करना चाहते हैं। मजदूर बराबर इसका विरोध करते हैं लेकिन सरकार तमाशा देखती है। जो आप का एग्रीमेण्ट है, जो वेज बोर्ड का फैसला है, मेरे दोस्त जय गोपाल जी भी कह रहे थे, लेकिन वह सब बातें नहीं कह सके। तो वेज बोर्ड और टेक्सटाइल बोर्ड का फैसला कानपुर में ही २ जगह लागू नहीं है और दूसरी जगहों में भी लागू नहीं है। यानी अथर्टन वेस्ट में जो यूनानिमस फैसला था वह भी ढाई साल तक लागू नहीं हो सका जब कि सम्पूर्णानन्द जी ने वायदा किया था कि वह अथर्टन वेस्ट में लागू होगा, लेकिन ढाई साल से नहीं हुआ। (लाल बत्ती होने पर) इतने समय में कुछ नहीं हो सकेगा, कम से कम मुझे आप आधा घंटा दें।

श्री उपाध्यक्ष--आप ५ मिनट और ले लें २० की जगह २५ में आप को दे दूंगा।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--मेरी बात तो दो, ढाई घंटे की है।

श्री उपाध्यक्ष--आप २५ मिनट ले लीजिये, मुझे २० मिनट की डायरेक्शन दी गई थी, मैं ५ मिनट और बढ़ाये दे रहा हूं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--तो मैं यह कह रहा था कि २ जगह कानपुर में और लखनऊ तथा सहारनपुर में वेजबोर्ड का फैसला इम्पलीमेंट नहीं हुआ। कानपुर की काटन मिल नम्बर २ में सरकार का जी० ओ० मौजूद है, लेकिन वह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वह इम्प्लीमेंट होना चाहिये। तो फिर आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? मालिक की एक दरख्वास्त आ गई थी इसलिये सरकार का वह आर्डर ढाई साल तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब सरकार वेज बोर्ड के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले न मनवाये तो कैसे इसे मजदूरों की हितकारी सरकार कहा जा सकता है? फिर मजदूरों से कहती है शान्ति रखो, हड़ताल न करो। यह सब गलत बात है। जितनी कांफ्रेन्स हुईं, मैंने निम्बकर कमेटी का हवाला दिया, यूनानीमस डिसीजन हुए १५ लेबर कांफरेंसेज के कि १२५ रुपया लीएस्ट पे होनी चाहिये। दूसरे कोड आफ डिसिप्लिन दोनों तरफ लागू हो, यह भी तय हुआ। लेकिन मिल मालिक उसको

[श्री संतसिंह यूसुफ]

नहीं मानते । कोड आफ डिस्पिलिन एक तरफा लागू हो रहा है, मालिक पर नहीं लागू हो रहा है ।

एक बुनियादी सिद्धान्त है, हमारे कांस्टीट्यूशन में अधिकार है, ट्रेड यूनियन ऐक्ट है, जिनके अनुसार वह सिद्धान्त रेलवे कर्मचारियों में लागू होना चाहिये, सरकारी रोडवेज में, बिजली घर में, सीमेंट फैक्ट्री में लागू होना चाहिये, तमाम सरकारी कारखानों में लागू होना चाहिये । मगर इनमें ट्रेड यूनियन ऐक्ट नहीं लागू होगा । संविधान के अनुसार राइट आफ ऐक्सप्रेशन इन कारखानों के मजदूरों को नहीं मिल रहा है । सरकार संविधान का उल्लंघन करती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है । आप ८ घंटे का दिन नहीं मानेंगे । बिजली घर, कानपुर में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, प्राइवेट ऐमप्लायर उतना क्राइम नहीं कर रहा है जितना सरकार करती है । आप देखिये, १ मजदूर का मामला है, चुर्क फैक्ट्री का, जिसका नाम जयन्ती लाल है, वह बेचारा ६ साल से बेकार है । हाई कोर्ट ने उसके माफिक फैसला दिया, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना, हाई कोर्ट के दो जजेज ने उसके हक में फैसला दिया, लेकिन समाजवादी सरकार उस मजदूर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई । बिजली घर वालों को १० रुपये महंगाई भत्ता और मजदूरों के मुकाबले में कम मिलता है । जब यह कारखाना नेशनेलाइज हुआ था तब से इसका मुनाफा १५ गुना बढ़ गया है । लेकिन बोनस का रेट वही है । उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ीं । आप जयपुरिया और बागला से कैसे मनवायेंगे जब आप खुद उस चीज को नहीं मानते । हमारे लिये एक हैंड एक है । साल भर से कोशिश कर रहे हैं और दो ट्रीपारटाइट कांफरेंसेज में कहा । ८०,००,००० रुपये स्वदेशी काटन मिल में मुनाफा है, बोनस नहीं मिला वहां के मजदूरों को । कल वहां हड़ताल हो जायगी तो मंत्री जी कहेंगे नहीं होनी चाहिये । ३९,००,००० रुपये का मुनाफा म्योर मिल्स में हुआ, २९,००,००० रुपये का मुनाफा विक्टोरिया मिल में हुआ । इतना मुनाफा अंग्रेजों के जमाने में होता था तो ४ आना के हिसाब से मजदूरों को बोनस मिलता था । बी० आई० सी० में साढ़े तीन आना के हिसाब से बोनस मिला है । लेकिन आज जब अपनी सरकार हो गई तो इतना मुनाफा होने पर भी सरकार बोनस नहीं दे रही है अपने बिजली घर में ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द की कमेटी है, सम्पूर्णानन्द जी चेयरमैन थे, उस कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने में टाइम ज्यादा लगेगा । उसका मकसद यह था "ईच एकार्डिगड् टु हिज नीड्स" । यह सारा इकोनामिक सिस्टम चेंज होना चाहिये । समाजवादी पैटर्न होना चाहिये । आज हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जो मुर्गी सोने का अंडा देती है उसको मत मारो । तो वह हमको नहीं देती है आपको देती है चुनाव फंड के काम में । इसलिये आप उस मुर्गी को पालिये, लेकिन कहना मेरा यह है कि आप मजदूर की हालत को ठीक कीजिये ।

मेरी एक मांग इंक्वायरी कमेटी की है । दूसरी मांग है कि सरकारी कारखानों के संबंध में हाई पावर कमीशन होना चाहिये जो देखे कि लेबर लाज का इम्पलिमेंटेशन ठीक होता है या नहीं । जो लेबर लाज को ठीक से इम्पलिमेंट नहीं कर पाते उनको प्रासीक्यूट कीजिये चाहे वह जयपुरिया हो, बागला हो, टाटा हो या बिरला हो ।

मंत्राणी जी ने मजदूरों के क्वार्टर्स के बारे में कहा । अंग्रेजों के जमाने में मालिकों ने क्वार्टर्स खुद बनाये । किराया उनका ५,६ रुपये था और उनमें आज भी वही किराया है । अंग्रेजी सरकार ने उनके लिये हैलट नगर बसाया और मिल मालिक उन क्वार्टर्स के लिये २५ और ५० परसेंट तक देने को तैयार थे । लेकिन अब जो क्वार्टर्स बनाये गये हैं उनका किराया है १० रुपये । २ रुपये पानी के और तीन रुपये बिजली के । इस तरह से १५ रुपये किराया पड़ता है और तनख्वाह एक लेबर को ४५ पये मिलती है । इससे भी कम तनख्वाह पाने वाले मजदूर हैं । यू०पी० की सरकार इस तरह से सब मामले में ब्लैक मार्केट करती है । ५० परसेंट केंद्रीय सरकार ने इन क्वार्टर्स के लिये अनुदान दिया और ५० परसेंट लोन दिया है जो

३५ साल में अदा करना है। मालिक आप बन बैठे हैं। जब कि पैसा एक भी नहीं दिया। मिल मालिकों से भी नहीं दिलाया। कारपोरेशन से जमीन उलटी मिल मालिकों ने १० आने ११ आने गज ले ली और सरकार उनसे कुछ पूछती भी नहीं है। उन्होंने क्वार्टर इसलिये नहीं बनाये कि सरकार जब बना ही रही है तो उन्हें क्या जरूरत है ? न सरकार उनसे तनख्वाह के बारे में पूछती है। मकानों के लिये जो वायदे किये थे उनके बारे में भी सरकार उनसे नहीं पूछती है और कोई हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी वे नहीं मानेंगे तो सरकार उस संबंध में भी नहीं पूछेगी। यह प्रथा मत डालिये। हम औद्योगीकरण चाहते हैं, लेकिन मजदूरों की कीमत पर नहीं। हम यह नहीं चाहते कि मालिक का मुनाफा बढ़े और मजदूर की हालत गिरे। अगर आप मजदूर की हालत पर हमला करेंगे तो हम यहां भी लड़ेंगे और बाहर भी लड़ेंगे। हमारे मुख्य मंत्री जो यहां नहीं हैं, वह होते तो मैं बताता, वह बहुत मिक्स्ड एकोनामी, मिक्स्ड एकोनामी कहा करते हैं। उनको यह भी नहीं मालूम कि मिक्स्ड एकोनामी समाजवाद की तरफ जरूरी तौर पर ले जाने वाली होती है, ऐसा नहीं है। मिक्स्ड एकोनामी तो हिटलर के राज्य में भी थी, ब्रिटेन और अमेरिका में भी है। मिक्स्ड एकोनामी में प्राइवेट सेक्टर मानोपली करता है। आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों को रुपया देते हैं। तीन करोड़ रुपया आपने रामरतन को दिया जिसका उसने सूद तक नहीं दिया और आप कहते हैं कि आप मानोपली को करटेल करेंगे। आपका ध्येय तो यह होना चाहिये कि मजदूर की हालत सुधारें,उनको सुविधा दें, उनकी मदद करें, प्राइवेट सेक्टर में ब्यूरोक्रेसी को खत्म करें। ये चीजें आपको समाजवाद की तरफ ले जायंगी।

(लाल बत्ती होने पर) वक्त नहीं है, चाहिये था दो घंटे का टाइम। सब से पहले बिजली वालों की चिट्ठियां और डयुटेशन रखे ह, पी०डब्लू० डी० वालों के रखे हैं। सरकारी मुलाजिम को यह मालूम तक नहीं कि उसकी तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं। अगर आपकी मिक्स्ड एकोनामी की पालिसी है तो आप प्राइसेज को कम करिये और जिस हिसाब से महंगाई बढ़े उस हिसाब से उनकी तनख्वाह बढ़ाइये। गवर्नमेंट का ला इम्प्लीमेंट करवाइये।

इसके अलावा केस वर्क में एक एक मुकदमें में ७–७, ८–८ साल लगते हैं। सात-सात साल से मालिकों ने पांच लाख रुपये नहीं दिये। सात साल में पांच लाख का सूद कई गुना हो जायगा। अगर बाद में उनको देना भी पड़ा तो सरकार बीच में आ जायगी और कहेगी कि किस्तें कर लो। तो इस तरह से यह समाजवादी सरकार करती है। वेज बोर्ड के अवार्ड को ही देख लीजिये। अभी तक उसे कानपुर की अथर्टन वेस्ट और एलगिन मिल्स और लखनऊ और सहारनपुर वगैरह में लागू नहीं किया गया। श्रम मंत्री जी ने यह गलत स्टेटमेंट दिया कि मालिक और मजदूरों का समझौता हो गया है। इस तरह से गलत स्टेटमेंट देने से मामला हल नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाषण प्रारम्भ करने से पहले निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुझे २,४ मिनट का ज्यादा समय देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—आप ८ मिनट ले लीजिये।

श्री रक्षपालसिंह—श्रीमन्, कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय श्रम मंत्री जी की ओर से सदन के सामने बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किये गये और उनको पढ़ने के पश्चात् यह दिखाने का प्रयत्न किया गया कि हमारी श्रम नीति सही है और उसके आधार पर हम अपने प्रदेश का विकास करते चले जा रहे है मजदूरों की समस्या हल होती जा रही है और कठिनाइयां दूर होती जा रही हैं। यह किताबी आंकड़े भले ही कैसे ही हों, लेकिन जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि १९४७ के पश्चात् जब से कांग्रेस

[श्री रक्षपालसिंह]

शासन में आई है, उसके बाद से देखने में आता है कि जो कानून और नियम बने हुये हैं उनका उपयोग मिल मालिकों के लिये ही किया जाता है और मजदूरों के लिये नहीं किया जाता है। जहां तक नियमों के पालन करने का प्रश्न है, प्रोसीजर का सवाल है, उनके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि मजदूरों के सामने रोजी का प्रश्न हमेशा रहता है और मजदूरी ही उनके जीवन का सहारा है। जब उसके सामने कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है तभी वह लड़ने के लिये तैयार होता है। कहा जाता है कि मजदूर हड़ताल करता है, यूनियन बनाता है, किन्तु, श्रीमन्, ऐसा वह उस स्थिति में करने आता है जब तबाह और बरबादी की स्थिति में आता है तभी हड़ताल के लिये तैयार होता है।

श्रीमन्, जैसा कि बताया गया कि जो उनके अधिकार हैं और जो उनको तनख्वाह मिलनी चाहिये, वह भी नहीं मिलती है। केंद्रीय बोर्ड से तय हो चुका फिर भी बड़े अफसोस की बात है कि प्रांतीय सरकार द्वारा इन मिल मालिकों से कानून का पालन नहीं कराया जाता है और जब मजदूर हड़ताल करते हैं और अपनी मांग करते हैं तो कहा जाता है कि श्रमिक हानि पहुंचाते और संघर्ष करते हैं। श्रीमन्, यह बड़ी विचित्र बात है। सरकार की नीति में और कानून में खामियां और खामियों के कारण काम में गड़बड़ी होती है। आज जो दूसरे कंसर्न्स हैं, उनके और मजदूरों के बीच में काम करने और समझौते की बात पैदा होती है, उसको छोड़ दें। मैं केवल दो उदाहरण रखना चाहता हूं जो सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कन्सर्न्स हैं। इनमें नियमों का पालन नहीं कराया गया तो बाहर के जो कारखाने हैं उनमें कैसे पालन करायेंगे ?

कानपुर में केसा इलेक्ट्रिक पावर हाउस है। उसके मजदूरों के बारे में मैं माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। १९४७ में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि १९४८ के अन्दर ९८ लाख रुपया लाभ था तो १९६१ में २५० लाख रुपया हो गया तथा ३ लाख के नेट लाभ को ४३ लाख तक पहुंचा दिया और इस तरह से वहां के मजदूरों ने राजभक्ति एवं कुशल कार्यक्षमता का परिचय दिया है। फिर भी उनकी हालत बड़ी शोचनीय है। १९४८ के आंकड़े बताते हैं कि मजदूरों की संख्या १,२०० थी जो १९६१ में २,४०० हो गई। जो उनको एमाउन्ट आफ बेसिक पे दिया जाता है वह १३.५० लाख था, अब जब कि उनकी दुगनी मजदूरी हो गई है फिर भी उनको २३.०० लाख दी जाती है। इसी प्रकार से श्रीमन्, एमाउन्ट आफ डी० ए० पहले १८.५० लाख था जो अब घटकर १५.५० लाख रुपया हो गया है। पहले टोटल एमाउन्ट ३२ लाख रुपया दिया जाता था वह १९६१ में केवल ३८.५० लाख ही दिया जाता है, जब कि मजदूरों की संख्या दुगुनी हो गई है। उसकी बेसिक पे १५ प्रतिशत घट गई है, डी० ए० ५८ प्रतिशत घटा है और टोटल एमाउन्ट ४० प्रतिशत घटा है। श्रीमन्, एक मजदूर को कुल मिलाकर ८२.१३ पैसे मिलते हैं जो कि पहले १०८ रुपये मिला करते थे। आज उस नौकर को ३० रुपये तनख्वाह और ५२ रुपये डी० एफ० ए०, सब मिलाकर ८२ रुपये मिलते हैं। जब सरकार स्वयं नियमों का पालन नहीं करती, इतना अधिक लाभ होने के पश्चात् कर्मचारियों को सुविधायें देने के लिये तैयार नहीं है तो, वह सरकार कैसे आशा कर सकती है कि दूसरे कन्सर्न्स नियमों का पालन करेंगे।

मजदूरों का निम्नवेतन क्रम निर्धारित होने के पश्चात् उसको लागू नहीं किया गया। आज जो महंगाई का भत्ता मिलता है वह दस रुपये कम मिलता है। इसी तरह से १५ गुना मुनाफा होने के पश्चात् केवल ८२ पये उनको दिया जाता है। इस प्रकार सरकार जब स्वयं नियमों का पालन नहीं करती और उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाती, तो दूसरे कन्सर्न्स कैसे बढ़ायेंगे ? इसी लखनऊ में प्रोड्यूसर्स कोआपरेटिव मिल्स सप्लाई यूनियन लिमिटेड है, जिसके बारे में किसी दिन इस सदन में प्रश्न भी किये गये हैं, उसके अन्तर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं, एक स्टेंडिंग आर्डर निकलता है, उसका पालन नहीं किया जाता है।

मैं कुछ वर्क कौंसिल के बारे में भी बताना चाहता हूं कि २५-५-६१ से मार्च, १९६२ तक वर्क कौंसिल की कोई बैठक नहीं हुई। परमानेंट सी०बी० को उसकी रिपोर्ट भी नहीं भेजी गयी।

सेल्स सेक्शन के अन्दर दो सौ कर्मचारियों को इतवार की छुट्टियां भी नहीं दी जाती हैं। ५०० जो साधारण वर्कर्स हैं उनको नेशनल हालिडेज भी नहीं दी जाती हैं। ८५ वर्कर्स निकाल दिये गये हैं।

परमानेंट कंसीलियेशन बोर्ड ने जो निर्णय किये हैं, मालिक स्वयं सरकार है, उनको भी वह मानने के लिये तैयार नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जिनकी स्वयं मालिक है, मजदूरों के बारे में इस प्रकार की नीति बरत रही है तो दूसरे कंसर्न्स कैसे पालन करेंगे ?

एक छोटा-सा उदाहरण और है। हम लोग विधायक निवास में रहते हैं। वहां पर जो कर्मचारी हैं, उनका काम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के समान है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं दिया जाता है ? डी०ए० भी उनको वह नहीं दिया जाता। उनके रहने के लिये जो क्वार्टर्स हैं, वह केयरटेकर के गाय बांधने की जो जगह है उससे भी खराब हैं। उसके अन्दर उनको रहने के लिये कहा जाता है। एक खुशालसिंह नाम का कर्मचारी था जो तीन साल से काम कर रहा था, बगैर कारण बताये हुये, नोटिस देकर निकाल दिया — उसके चचा के नाम घर अलाट था, और यह कहा गया कि तुम ने उस घर में दूसरे को रख रखा है। उसका सामान जमा कर लिया गया है, लेकिन वह नहीं दिया जाता है।

श्रीमन्, कंसीलिएशन बोर्ड को जो केसेज रेफर किये गये वह ये हैं २३५/६१, १८६९/६०, २१८७/६१। नियम तो बाद में लागू हुआ है। इस संबंध में मेरे दो तीन सुझाव हैं। जब सी०बी० का प्रार्थना-पत्र दिया जाय तो तीन चार महीने की डेट निश्चित हो जाय कि इतने दिन के अन्दर यह केस निश्चित रूप से समाप्त कर दिया जाय। इसी तरह से सी०बी० केसेज में लिखा दिया जाता है कि तथ्यहीन पाया गया, दाखिल दफ्तर किया गया। ऐसे केसेज जो दाखिल दफ्तर किये जाते हैं उनके कारण बताने चाहिये कि किस कारण दाखिल दफ्तर किये गये और उसकी सूचना कंसर्न्ड मजदूर को जरूर देनी चाहिये। सेक्शन ६६, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में डिसमिसल की जो कार्यवाही होती है उसके बारे में श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि केवल एक ही स्थायी न्यायालय होना चाहिये जिसके अन्दर ऐसे आदेश देने चाहिये। हरएक न्यायालय को यह अधिकार नहीं होना चाहिये, क्योंकि जब किसी की कार्यवाही होती रहती है तो गम्भीर आरोप लगाकर के कोई दरख्वास्त दे देता है, तो वह तुरन्त ही डिसमिस कर दिया जाता है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस लेबर अनुदान की सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। मैंने इस अनुदान पर इधर और उधर दोनों तरफ के सदस्यों के विचार सुने। यह सही है कि हमारा देश किसान और मजदूर का देश है और मालिक किसान और मजदूर है इस देश का। डेमोक्रेसी के लिहाज से जिसकी भी अक्सरियत होती है वही उसका मालिक होता है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मालिक की हालत बदतर है और जो अकलियत में है वह इतनी बेहतर हालत में है कि वह अक्सरियत को खाये जा रहा है। मजदूर पिट रहा है। आजादी के बाद हम लोगों ने जो मजदूर वर्ग के साथ वायदे किये थे, जब हमारी हुकूमत बनी तो हमने उनको पूरा करने के लिये अपनी पूरी पूरी कोशश की। लेबर लाज ऐसे बनाये कि जिससे लेबर की एकोनामिक कंडीशन और उसकी रहाइश, उसकी जिन्दगी, बेहतर बने और उसके लिये हमने लेबर आफिस मुकर्रर किये, लेबर कोर्ट मुकर्रर किये और तरह तरह की शाखों में हमने खर्च और अखराजात किये। इसमें कोई कहे कि कांग्रेस सरकार की नीति में मजदूर के बारे में कोई फर्क है तो मैं समझता हूं कि वह गलत कहता है। जो दर्द मेरे इन भाइयों को मजदूर के लिये है मैं यकीन के साथ

[श्री एस० जी० दत्त]

कह सकता हूं कि अगर ज्यादा नहीं तो उनसे कम दर्द हमको उनके लिये नहीं है, क्योंकि हम भी उसी वर्ग से हैं, मजदूर वर्ग से हैं और मजदूर की हालत को हम बेहतर जानते हैं। इसलिये जो कुछ हमसे हो सका वह हमने किया। लेकिन मैं कहता हूं कि इस पर भी क्या वजह है कि कमी रही। क्यों हमारे मजदूर आज दर्द से कराह रहे हैं? क्यों मजदूर की माली हालत आज बेहतर नहीं हो रही है, क्यों इस तरह के झगड़े पैदा होते हैं? कहीं तो कमी है, कहीं तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से यह कमी है। और मैं यह समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी इसके लिये ज्यादा जिम्मेदार है। ब्यूरोक्रेसी के हाथ में मजदूर की इतनी जिम्मेदारी दे दी गई है कि ब्यूरोक्रेसी उसको चलाने में अपने को असमर्थ समझती है और जो कवानीन और लेबर लाज बने हैं उन पर अमल नहीं हो रहा है। इस वास्ते मजदूर की तरक्की रुक जाती है।

मान्यवर, मैं उस जिले से आता हूं जिस जिले से मेरे भाई युसुफ जी हैं। इनकी कुर्बानी मजदूर मैदान में मैं समझता हूं बहुत ज्यादा जिन्दगी उन्होंने अपनी उनके लिये खत्म की है और उनको दर्द है। लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि पोलिटिकल पार्टीज जो हैं वह मजदूर के बजाय फायदे के उसके नुकसान के बायस ठहराये जाते हैं। आपस की मफाद की वजह से हम मजदूर को उसमें घसीटना शुरू कर देते हैं जिससे कि पोलिटिकल मफाद उससे ज्यादा से ज्यादा हम ले सकें। इस वास्ते जो ट्रेड यूनियनिज्म है वह आज ज्यादा से ज्यादा तनज्जुली की तरफ है, तरक्की की तरफ नहीं है। यह सही बात है कि पोलिटिकल जमाअत हट जाय और खुद ऐसी शखसियत उसमें आ जाय जिनका पोलिटिकल मुद्दा न हो। वह इस ट्रेड यूनियन को चलायें तो बेहतर सूरत से ट्रेड यूनियन चलेगी। न तो ट्रेड यूनियनिस्ट को एलेक्शन में खड़ा होना चाहिये और न पोलिटिकल पार्टी में हिस्सा लेना चाहिये। उसकी सिर्फ मजदूरों की इकानामिक और सोशल हालत की तरफ रगबत होनी चाहिये। यह सही है कि अगर ट्रेड यूनियनिस्ट उनकी तहरीक को चलाना चाहते हैं तो किसी पोलिटिकल पार्टी का उसमें हाथ नहीं होना चाहिये। उनको आजाद तरीके से काम करना चाहिये। कोई पोलिटिकल आदमी उसमें हिस्सा न ले। वह ट्रेड यूनियन में रहे और उनका मजदूरों की माली जिन्दगी और समाजवादी हालत से ताल्लुक रहना चाहिये ताकि उसकी अच्छी हालत बनाने के लिये वह काम करे। मैं देखता हूं कि अपने इलाके में कई बातों में मुझे यूसुफ साहब से मुत्तफिक होना पड़ा है। आज कानपुर शहर में ही नहीं और जगहों में भी मजदूरों की क्या हालत है? मजदूरों के बच्चों की तालीम नहीं हो रही है। एक मजदूर जो एक खानदान की कमाई करने वाला आदमी है, वह टी०बी० से बीमार हो जाता है। वह चारपाई पर पड़ जाता है तो उसकी हिम्मत नहीं कि अपना इलाज करा सके। न तो सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी है और न मिल मालिक की तरफ से कोई जिम्मेदारी है। आज यह मजदूरों की हालत है। यह सही बात है। सरकार को उस तरफ तवज्जह देना चाहिये। जो मजदूर कारखाने में काम करता है अगर वह ऐसी बीमारी का शिकार हो जाता है, रेला-इज्ड हो जाता है तो उसकी पूरी-पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये। उनके बच्चों की एजूकेशन की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये। उनके रिहायश की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिये। मिल-मालिक को भी अपना हिस्सा उसमें देना चाहिये जिससे वह अपनी जिन्दगी व्यतीत कर सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अच्छे अच्छे काम किये हैं। सरकार ने प्राविडेंड फंड कायम किया है जिससे उसको फंड मिलता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुलजारी लाल नन्दा ने कहा है कि मिल-मालिक मजदूरों से फंड तो ले लेते हैं, लेकिन अपने पास से उस फंड में जमा नहीं करते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार मिल-मालिकों को इस तरह से कहे कि वे अपना हिस्सा प्रावीडेन्ट फंड में जमा करें ताकि उनको सही तरीके से प्रावीडेन्ड फंड मिले। जो मिल-मालिक और मजदूरों के दर्मियान समझौता हुआ था वेज बोर्ड की सिफारिशों के मुताल्लिक, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस समझौते को अमल में लाने की वह पूरी-पूरी कोशिश करे। मैं

चाहता हूं कि सरकार एक कमेटी एम० एल० एज० की बनाये जो हरएक कारखाने में जाकर वर्कर्स की हालत को देखे और देखे कि वर्कर्स की क्या ग्रीवेन्सेज हैं। उसकी रिपोर्ट वह सरकार को दे ताकि सरकार उसके ऊपर फौरन अमल करे।

इसमें आपने एक अनुदान दिया है कि जिससे टी०बी० क्लिनिक कानपुर में बनने जा रहा है। मैं आपका इसके लिये बड़ा आभारी हूं कि आपने ऐसा किया। उसका बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि कानपुर शहर ही एक ऐसा मर्कज है दनियां में कि जहां पर टी०बी० के बीमारों की सब से ज्यादा संख्या है और अगर कोई टी० बी० का शिकार वहां पर है तो वह मजदूर है। उस गरीब के बच्चे शिकार हैं और उसका खानदान शिकार है। अगर किसी बड़े आदमी को टी०बी० हो जाती है तो वह इलाज के लिये भुवाली या देहरादून भेज दिया जाता है मगर मजदूर के बच्चों के लिये दवा का प्रबन्ध नहीं होता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। मैं सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूं कि सरकार ने कानपुर में टी० बी० का क्लिनिक खोलने का विचार किया है, लेकिन उस टी० बी० क्लिनिक में सब को दवा मिलनी चाहिये। रायपुरवा में जो टी०बी० का क्लिनिक है उसमें मजदूरों को दवा नहीं मिलती है और वैसे देखते हैं, एक्स-रे भी होता है जिस मजदूर के पास पैसा नहीं है उसे दवा नहीं मिलती और कहा जाता है कि स्टेट इंश्योरेन्स के पास जाओ। लेकिन मजदूर जब वहां जाता है तो वहां भी उसे पूरी दवा नहीं मिलती। आज मजदूर की हालत बहुत खराब है, नाजुक है। उसका स्टैंडर्ड आफ लिविंग जरूर बढ़ गया है, लेकिन उसकी इनकम नहीं बढ़ी। अभी यूसुफ साहब ने कहा कि काटन मिलों, चमड़े की मिलों और लोहे के कारखाने वालों की आमदनी बढ़ गयी है, लेकिन मजदूरों की आमदनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। यह बात सही है और मैं इसे मानता हूं। दो-चार रुपया बढ़ जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कानपुर में मजदूर का रहना कयामत का बायस है। जिसके ६ बच्चे हों और ८० रुपया माहवार जिसे मिलता हो और कभी-कभी जो छटनी में बैठा दिया जाता हो वह सोचिये कि किस तरह कानपुर में गुजर करता होगा। इस वास्ते मैं अनुरोध करूंगा कि कोई तरीका निकाला जाय मजदूरों के वेजेज बढ़ाने का। आज प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है और वह मजदूरों की वजह से हुआ है, इसलिये आप उनकी सेहत का खयाल रखिये। आपने जो घर बनाये हैं उसके लिये शुक्रिया। उससे यह कम्युनिस्ट भाई भी इन्कार नहीं कर सकते, लेकिन जब उनका किराया मकान बढ़ा दिया जाय....

श्री संतसिंह यूसुफ--यू० पी० की सरकार ने कितने बनाये हैं ?

श्री एस० जी० दत्त--मेरा कहना है कि मजदूरों की हालत के मुताबिक उन मकानों का किराया होना चाहिये। पानी और बिजली की शरह कम होनी चाहिये ताकि उनको सहूलियत हो। मैं जानता हूं कि हमारे भाई ज्यादा बोलें हैं और आजकल उनका दौरदौरा नजर आ रहा है लेकिन याद रखिये कि उनकी पालिसी की वजह से ही कानपुर में मजदूरों की हालत खराब हुई, कम्युनिस्टों की पालिसी की वहज से। यह न हड़ताल कराते, न मजदूरों को गलत रास्ते पर ले जाते और न उनकी हालत खराब होती। हड़ताल न होने में उनमें डिस्पिलिन ज्यादा रहता, उनकी हालत अच्छी रहती। शुरू करते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन चले जाते हैं गलत रास्ते पर। हड़ताल कराने से मिल के मजदूर का, कारखानेदार का नुकसान है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--मिल मालिक भी कहता है कि हड़ताल नहीं करनी चाहिये।

श्री एस० जी० दत्त--तो वह गलती नहीं करता। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मजदूर की हालत की तरफ, उसकी जिन्दगी की रहाइश की तरफ, उसकी सोशल लाइफ की तरफ उसे ज्यादा ध्यान देना चाहिये। जितना ध्यान है उससे ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

[श्री एस० जी० दत्त]

(लाल बत्ती होने पर) मुझे २० मिनट के लिये मौका मिला था। मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं।

श्री उपाध्यक्ष---१५ मिनट हो चुके हैं।

श्री एस० जी० दत्त---ठीक है, लेकिन २० मिनट मेरे लिये तय हुये थे। ट्रेड यूनियन्स ही एक ऐसी जमाअत है कि जो मजदूर की हालत को सुधार सकती है। मैं कोई यूनियनिस्ट नहीं हूं, लेकिन ट्रेड यूनियन्स अच्छे तरीके पर नहीं चल रही है यू० पी० में। यू० पी० सरकार की रिपोर्ट की तहत में अभी मंत्राणी जी ने कहा था कि आज १०९५ यूनियन्स है। मैं इसको मानता हूं, लेकिन लिखा हुआ है कि आज तक कुल १०४५ यूनियन्स हैं। १९५१ में टोटल यूनियन ५७० थीं और ऐवरेज मेम्बरशिप पर यूनियन ५७८ थी। १९६०-६१ की रिपोर्ट के तहत में टोटल नम्बर आफ यूनियन १०४५ हो गयीं और ऐवरेज मेम्बरशिप पर यूनियन करीब ३२५ रह गयी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि हमारे आफिसर्स की पालिसी सरकार की तरफ स कुछ एसी रही और इम्पलीसिटी आफ यूनियन का कुछ ऐसा दौर चला कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा तादाद को बढ़ाया और ट्रेड यूनियंस में ज्यादा डिवीजन पैदा हुआ और उसके कारण यह संख्या बढ़ गयी। मेरा यह निवेदन है कि आप उसी यूनियन को मान्यता दें जिसकी २५ परसेंट मेम्बरशिप हो और दो साल तक के लिये वह मान्यता दें और बाकी को मान्यता न दें। सरकार की यह पालिसी नहीं होनी चाहिये कि एक इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा यूनियन हों।

इम्पलायमेंट एक्सचेंज के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं। उसकी रिपोर्ट से ऐसा पता चलता है कि जिस मजदूर के हित के लिये वे खोले गये हैं उससे उनका हित नहीं हो रहा है। आज उनके द्वारा उस मजदूर को नौकरी नहीं मिल रही है। १९५५ में जिन लोगों ने इसमें अपने प्रार्थना-पत्र नौकरी के लिये दर्ज कराये उनकी संख्या ३ लाख, ३१ हजार, ९७७ थी और १९६०-६१ में वह ५ लाख, २१ हजार है जिसमें से केवल ६० हजार को यह नौकरी दिलवा सके हैं बाकी लोग अनइम्पलायड हैं। इस बेकारी की समस्या को हल करने के लिये सरकार को ज्यादा स ज्यादा तरीक इस्तमाल करने चाहिये। मुझे ताज्जुब है कि हमारे द्वारा इतना काम करने पर भी हमारे दोस्त हमको इतनी बुरी गालियां देते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम मजदूर के आप से ज्यादा हितैषी हैं और आप से ज्यादा उसके हित में काम करने वाले हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हम लोग निरन्तर औद्योगीकरण की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और जब देश या राज्य में उद्योग बढ़ रहे हैं तो उसके साथ-साथ श्रमिकों से संबंध रखने वाली समस्यायें भी बढ़ रही हैं। अभी तक सदन में जो चर्चा की गयी वह ज्यादातर केन्द्रित उद्योगों की या बड़े-बड़े शहरों की की गयी जहां पर बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक हैं और जहां उनके संगठन भी अच्छे हैं और जो सरकार की तरफ से श्रमिकों की हिफाजत के लिये लेबर लाज या फैक्टरी लाज हैं उनका ज्यादातर जोर वहीं पर है। जैसा कि अभी कहा गया, हालांकि वहां पर उनका इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपका ध्यान एक दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। देश में बढ़ते हुये औद्योगीकरण के साथ-साथ जो छोटे-छोटे नये केन्द्र उद्योगों के छोटे-छोटे कस्बों में, शहरों में बढ़ रहे हैं और छोटे-छोटे कारखाने स्थापित हो रहे हैं, सरकार का श्रम विभाग उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स या लेबर डिपार्टमेंट के दूसरे अफसर, चाहे वह कस्बा और शहर उनके क्षेत्र में न आता हो, लेकिन वह वहां जाते हैं, लेकिन कानून का पालन होता है इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ज्यादातर फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स का माहवरी रुपया बंधा होता है, उसको लेकर चले आते हैं। अगर वहां की स्थिति को देखा जाय तो न तो वहां काम के घंटों का पालन होता है और न ओवर वर्क का

उनको पैसा मिलता है और छुट्टी ही नहीं मिलती। न वहां फर्स्ट एड का इन्तजाम है न पीने के पानी का और न कानून द्वारा दी गयी सुविधायें उनको दी जाती हैं। अगर कारखानेदार इन कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो लेबर डिपार्टमेंट उनको मजबूर करे कि वह उनका पालन करें। मैं सुझाव दूंगा कि बढ़ते हुये औद्योगीकरण में शांति रखने के लिये और श्रमिकों के हितों की हिफाजत के लिये इन चीजों की तरफ ध्यान देना आवश्यक है। जो नये सेंटर्स खुल रहे हैं उनमें भी कानूनों का पालन भावनाओं से और अक्षरशः होना चाहिये जिससे मजदूर हिफाजत से रह सकें। जहां चावल की, धान की, तेल की मिलें और छोटे-छोटे कारखाने हैं अगर उनमें अभी से इन नियमों को लागू नहीं किया जायगा तो समस्या गंभीर और भयावह हो जायगी, फिर उसको हल करना मुश्किल होगा।

आपने एक शाप्स एंड कार्मशियल इस्टैबलिशमेन्ट ऐक्ट बनाया है, उसके मातहत बहुत से नियम बने हैं कि उद्योगों या संस्थाओं के मालिक अपने मजदूरों के साथ किस तरह का व्यवहार करें, लेकिन जो वहां सैकड़ों और हजारों कर्मचारी काम करते हैं उनके हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है और उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यद्यपि शाप इंस्पेक्टर्स मुकर्रर किये हुये हैं जो महीने, पन्द्रह दिन में कस्बे या शहर में जाते और कुछ लोगों का चालान करके चले आते हैं, लेकिन वहां काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं की ओर वे ध्यान नहीं देते। वहां उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। ऐक्ट में दिया हुआ है कि मालिक मजदूर की मजदूरी में कोई कटौती नहीं कर सकता, लेकिन एक नियम के तौर पर कटौती की जाती है। गल्ले के बाजार में पल्लेदार और गाड़ीवान होते हैं। पल्लेदार दिन में दो-तीन पया पैदा करता है उसमें से धर्मादा या और किसी और नाम से एक या दो आना रुपया काट लिया जाता है और इस प्रकार से सैकड़ों रुपया दूकानदार और आढ़तिये एक पल्लेदार से काट लिया करते हैं। अगर तमाम पल्लेदारों की कटौती जोड़ी जाय तो वह हजारों रुपये की पहुंचती है जो धर्मादा खाते में उनकी गाढ़ी कमाई से काट कर रख ली जाती है। ऐसे ही सर्राफों के यहां सुनार काम करते हैं। सुनारों की मजदूरी का बहुत बड़ा हिस्सा सर्राफ काट कर अपने पास रख लेता है। जहां सरकार संगठित ट्रेड यूनियन और मजदूरों की तरफ ध्यान देती है, वहां उसका कर्तव्य है कि वह पल्लेदार और गाड़ीवान और सुनारों की तरफ जो इन कार्मशियल इस्टैबलिशमेंट्स में काम करते हैं उनके हितों की भी सरकार रक्षा करे। अभी तक तो यह है कि अगर इस तरह की शिकायत की जाय, मुकदमा दायर किया जाय तभी उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही हो सकती है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से क्रिमिनल ऐक्ट्स में दस्तंदाजी की दफायें हैं जिनमें पुलिस नोटिस लेती है और मुकदमें चलाती है उसी तरह से श्रमिक कानूनों में भी होना चाहिये और जो लोग उल्लंघन करते हैं उनको अपने आप ही सजा देनी चाहिये और उनको नियम पालन करना सिखाना चाहिये।

यहां पर इंडस्ट्रियल पीस की बात कही गई। श्री मंत्राणी जी ने कहा कि कुछ दिनों से हाथरस में एक बड़ी हड़ताल हो रही है। वहां के मजदूर, जिनकी संख्या करीब तीन हजार है, वह इस बात पर हड़ताल कर रहे हैं कि वेज बोर्ड के फैसले उन पर लागू किये जायं। सरकार ने उन फैसलों के इम्पलीमेन्टेशन के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की और बहाना यह बना दिया कि मालिक बाहर चले गये हैं। इसके माने यह नहीं हैं कि उस इस्टैबलिशमेन्ट के सारे काम बन्द हैं, बल्कि सारे काम बदस्तूर चल रहे हैं।

मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि उसको एक आदर्श मालिक होना चाहिये, लेकिन सरकार अपने कर्मचारियों के साथ इतना असमानता का व्यवहार कर रही है जिसका ठिकाना नहीं है। आज केन्द्रीय और राज्य कर्मचारियों में बड़ा अन्तर है, फिर राज्य और लोकल बाडीज के कर्मचारियों में बड़ा अन्तर है और जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों के क्लर्कों के वेतन में भी बड़ा अन्तर है। क्षेत्र समिति के जो क्लर्क हैं उनका वेतन बहुत ज्यादा है जबकि जिला परिषद् (जिसके अधीन क्षेत्र समिति होती है) जोकि ऊपर की संस्था है उसके कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे इन सुझावों पर विचार करेगी तथा छोटे-छोटे कस्बों में श्रम कानूनों को लागू

श्री सहदेवसिंह]

कराने के लिये कोशिश करेगी क्योंकि वहां पर मालिक अपने कर्मचारियों को अस्थायी बनाये रखते हैं और तरह तरह से उनको परेशान करते रहते हैं। इस संबंध में भी सरकार को कदम उठाना चाहिये।

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—माननीय उपाध्यक्ष जी, श्रम मंत्राणी द्वारा जो श्रम संबंधी अनुदान सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन हेतु मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूं। वास्तव में अभी तक माननीय सदस्यों के जो व्याख्यान हुये वह मैंने ध्यान से सुने। इस बात की चर्चा माननीय सदस्यों ने नहीं की कि आज हमारे प्रदेश के श्रमिकों का स्तर ऊंचा हुआ है या नीचा, आज श्रमिकों के रहन-सहन में तब्दीली आई है या नहीं। केवल वेज बोर्ड और प्राविडेन्ड फंड, ऐसी बातों की आम तौर पर चर्चा की गई। मैं समझती हूं कि आज प्रदेश और केन्द्र में जो मजदूर नीति अपनाई गई है और जो उसके कार्य के लिये साधन जुटाये गये हैं उससे मजदूरों का स्तर ऊंचा उठा है। आज केवल १५ वर्ष आजादी प्राप्त किये हुये हैं। एक समय वह था, १५ वर्ष पूर्व, जबकि मजदूर यह जानता ही नहीं था कि उसके क्या अधिकार हैं, लेकिन आजादी के बाद अब मैं कह सकती हूं, तथ्यों के आधार पर कि श्रमिकों का जीवन वह जीवन नहीं रह गया है। इन १५ वर्षों में श्रमिकों के जीवन के विभिन्न पहलुओं में हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। अगर मैं उन तथ्यों को गिनाऊं तो शायद पंचवर्षीय योजना का एक ग्रन्थ तैयार हो सकता है। लेकिन मोटी-मोटी बातों पर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान अवश्य दिलाऊंगी।

सबसे पहले हम इस बात को देखें कि आज के मजदूर की वेतन वृद्धि में और पहले के वेतन में क्या अन्तर है। जिस समय वेज बोर्ड बना था, मजदूरों के वेतन में ६ रुपये की वृद्धि हुई। यही नहीं, बल्कि जनवरी सन् १९६२ के बाद ८ रुपये की वृद्धि हुई। इन मजदूरों के प्रावीडेंड फंड में जो भावी जीवन के साधन जुटाये गये हैं वे भी सराहनीय हैं। आज मजदूरों का जो प्ले-आफ होता है, जो छटनी होती है, उसमें मुआवजा देने के साधन प्राप्त हैं। एक दिन वह था जबकि मजदूर ऐसा खराब जीवन यापन करता था जो कि मानव जीवन ही नहीं कहा जा सकता था। लेकिन प्रदेश में आज सैकड़ों की संख्या में लेबर कालोनीज बन गई हैं, जहां मजदूर अपने जीवन में वह स्थान पा सकता है जो कि एक मनुष्य के जीवन में आवश्यक है। आज श्रमिकों को वे चिकित्सा संबंधी सुविधायें प्राप्त हैं जो कि मध्यम वर्ग के लोगों को भी नहीं हैं। जगह जगह पर स्टेट इंश्योरेन्स की डिसपैंसरीज खुली हैं, सैकड़ों अस्पतालों का निर्माण हो गया है, टी० बी० क्लीनिक खुल गये हैं। कानपुर की नगरी में, जो कि प्रदेश की आधी आबादी का नगर कहलाती है मैं वहां देखती हूं कि वहां बीमारों के लिये श्रमिकों के लिये, वह चिकित्सा व्यवस्था है जो कि वास्तव में होना चाहिये। इंश्योरेंस, बीमा योजना के द्वारा जो एक अस्पताल का निर्माण कानपुर शहर में हुआ है उसके लिये तो वास्तव में अपने श्रम मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं, यही नहीं, आज उन मजदूरों के लिये जिस प्रकार के आवास गृहों के साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ, उनके आपस के झगड़े निपटाने के लिये श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच में जो तनाव था, जो लीगल सहायता लेने के लिये मजदूर बेकरार था, उसके लिये भी हमारी प्रदेशीय सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है।

माननीय सदस्यों ने कहा कि मिल मालिकों के पास धन है, उनके पास साधन हैं, वे सुप्रीम कोर्ट में जाकर श्रमिकों के विरुद्ध अपील दाखिल कर सकते हैं। वह यह भी कहते हैं कि यह सरकार मिल मालिकों की सरकार है, उसने श्रमिकों के लिये क्या किया है? मैं बड़ी नम्रता के साथ बताना चाहती हूं कि आज हमारी सरकार ने श्रमिकों के लिये, उसकी सहायता के लिये, लीगल एडवाइस की निःशुल्क व्यवस्था की है। जिससे वे सुप्रीम कोर्ट में जाकर निःशुल्क सहायता ले सकें, और मिलमालिकों के खिलाफ अपनी पैरवी कराने में समर्थ हो सकें। अगर यह सरकार पूंजीपतियों की होती तो श्रमिकों के लिये निःशुल्क लीगल एडवाइज की कैसे व्यवस्था करती? यही नहीं, आज सरकार ने जो कुछ भी कार्य किये, मैं समझती हूं कि

उनसे मजदूरों के लिये काफी सुविधायें हुई हैं। पहले श्रमिकों को सड़क पर आकर नाश्ते पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी, लेकिन अब कारखानों में कैन्टीन की व्यवस्था है जो मजदूरों के द्वारा ही चलाई जाती है। (लाल बत्ती होने पर)

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं ५ मिनट और चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष—आप ४ मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्रीमती तारा अग्रवाल—आज मजदूर बच्चों के लिये, मजदूर महिलाओं के लिये मनोरंजन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्र और मजदूरों के लिये आने-जाने के समय आराम के लिये पहाड़ पर रेस्ट हाउस के साधन भी जुटाये गये हैं। लेकिन एक बात मैं यह भी जानती हूं कि कानपुर शहर आज बहुत बड़ी आबादी का शहर है। आज लगभग २५ लाख आबादी उस नगर में रहती है जो प्रदेश का आधा हिस्सा कही जाती है। किन्तु हमारी प्रदेशीय सरकार को इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि जो अनुदान देने का अनुपात रखते हैं, जो श्रमिकों की योजनाओं के लिये अनुदान दिया जाता है, वह कानपुर की बड़ी आबादी को देखकर दिया जाना चाहिये। इसके साथ-साथ यह भी जानती हूं कि वास्तव में आज इतनी सारी योजनायें चालू होते हुये भी, इतने साधन होते हुये भी, क्या कारण है कि श्रमिकों के अन्दर वह उत्साह, विश्वास और राष्ट्रीय भावना नहीं है। इसका अभाव क्यों है? मैं समझती हूं कि अगर प्रदेशीय सरकार थोड़ा-सा साधन और जुटा दे तो वह समस्या भी हल हो सकती है। मिसाल के तौर पर, आवास को लीजिये। आवास के लिये जो किराया निर्धारित है वह वास्तव में मजदूर की आर्थिक स्थिति को देखते हुये उचित नहीं है। मैं समझती हूं कि आज मजदूरों के लिये जो क्वार्टर बने हैं वे हायर परचेज पर बनाये जावें। ऐसे क्वार्टर जैसे पहले कानपुर में खलासी लाइन में बनाये गये थे वे लाभदायक सिद्ध हुये हैं। इसके साथ जो मुकदमेबाजी का कार्य है वह बहुत देर तक होता है। मैं चाहती हूं कि इसके लिये भी बहुत जल्दी फैसला किया जाय ताकि मजदूरों को जल्दी न्याय प्राप्त हो सके। वे हतोत्साह हो जाते हैं जब वर्षों लग जाते हैं न्याय प्राप्त करने में।

हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि ओवरटाइम के लिये हमारी सरकार कोई जी० ओ० लाने वाली है और उसके लिये कोशिश कर रही है। आज मिसाल के तौर पर ओवरटाइम जैसे कानपुर केसा में लिया जाता है, लेकिन उसके लिये पैसा नहीं दिया जाता है। जहां से मैं निर्वाचित हुई हूं वह सबसे अधिक मजदूर बस्ती का क्षेत्र है और उनकी समस्याओं को मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मेरी प्रार्थना है कि सरकार अपने आदेश से ओवरटाइम वाले कार्य को भी पूरा करावे। इसके साथ-साथ बोनस का मामला है जो वास्तव में समस्या बना हुआ है। बहुत सी जगहों के मामले हल हो गये, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जानती हूं कि विक्टोरिया मिल, म्योर मिल और केसा आदि ऐसे स्थान हैं वहां आज भी वह समस्या बनी हुई है। यदि बोनस के मामले में हमारी सरकार इस बात की कोशिश करे कि जल्दी मिलमालिकों को बुलाकर बात करके इसको तय करे तो अधिक अच्छा होगा।

इसी के साथ-साथ अन्तिम बात उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि आज केन्द्रीय स्तर पर और प्रदेशीय स्तर पर श्रम और मिल मालिकों की कमेटियां बनी हुई हैं। बहुत दिनों से सुन रही हूं कि फैक्टरी लेविल पर इस प्रकार की कमेटियों का निर्माण किया जायगा और जब मैं अपर हाउस की सदस्या थी तो मैंने सुना था कि इस प्रकार का एक विधेयक शीघ्र ही आने वाला है, सरकार के विचाराधीन है, लेकिन आज तक नहीं मालूम हुआ कि उस विधेयक का क्या हुआ और कब तक वह आयेगा। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि इस प्रकार से जो आये दिन झगड़े हो रहे हैं और आये दिन श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच समस्यायें खड़ी हो जाती हैं उनका फैक्टरी लेविल पर निबटारा करने के लिये शीघ्र ही सरकार निर्णय ले।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि तीन घंटे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सका और मुझे इस सदन के सामने

[श्री चैतन्यराजसिंह]

अपने विचार रखने का अवसर दिया। इस ग्रान्ट पर जो अभी सदन में बहस हो रही है उस पर पांडेय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं और उसका समर्थन करता हूं।

इस तीन घंटे में मैंने माननीय मंत्री जी और दूसरे माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। मंत्राणी जी ने भी अपने भाषण में यह बताया कि मजदूरों के बारे में क्या प्रगति हुई और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी काफी बातों पर प्रकाश डाला, लेकिन जैसी आशा मैं लेकर आया था उन भाषणों से मुझे कोई संतोष प्राप्त नहीं हुआ। यह तो सब को भलीभांति विदित है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी जितनी बातें कही गयीं वे सब अरबन लेबर के बारे में ही कही गयीं। साधारण रूप से भी जब श्रम की बात कही जाती है तो फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर से ही उसका मतलब लगाया जाता है, चाहे वह कानपुर की किसी फैक्टरी का हो अथवा आगरा की किसी फैक्टरी का। न तो इधर की ओर से और न ट्रेजरी बेंचेज की ओर से ही किसी माननीय सदस्य ने एग्रीकल्चर लेबर के बारे में कोई बात कही, मुझे इस बात का बड़ा दुःख है। फैक्टरी के मजदूरों की संख्या केवल एक, डेढ़ लाख ही होगी लेकिन जो एग्रीकल्चरल में काम करते हैं उनकी संख्या डेढ़ करोड़ के लगभग है। जिक्र किया गया कि ५ आदमी जे० के० मिल से निकाल दिये गये जिसके बारे में वहां प्रदर्शन भी हुआ। उसके बारे में सब कुछ कहा गया, लेकिन अभी बाढ़ आ गयी और खेती नष्ट हो गयी, वह खेती जो कि हजारों गांव के मजदूरों की जीविका का आधार है, लेकिन उनके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया और न सरकार के कान पर जूं तक रेंगी। श्रम जितना आवश्यक शहरों में है उतना ही आवश्यक देहात में है। हमारे प्रदेश में जो आठ लाख लैन्डलेस फैमिलीज थीं जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, जिसका खेती ही साधन है, उसके लिये कदाचित् श्रम मंत्रालय की राय से ही लैन्ड पर सीलिंग की गयी कि जिससे लैन्ड लेस लेबरर को कुछ फायदा हो सके, कुछ जमीन मिल सके। गांव में जो मजदूर रहता है उसको कुछ फायदा हो।

अब इन ८ लाख फैमिलीज के लिये क्या करने का सरकार का विचार है, यह न तो मुझे माननीय श्रम मंत्राणी के भाषण से विदित हुआ, न ट्रेजरी बेंच के किसी माननीय सदस्य के भाषण से विदित हुआ और न किसी रिपोर्ट से ही विदित हुआ।

दूसरी बात यह है कि आज गांव के मजदूरों को साल भर में २७६ दिन ही काम मिलता है और वे उतने दिन की ही तनख्वाह या मजदूरी पाते हैं, जब कि शहर के मजदूरों को साल भर में ५२ सनडेज मिल जाते हैं और ३० गजटेड छुट्टियां मिलती हैं व १४–१५ दिन की कैजुअल लीव भी मिल जाती है और फिर भी उन्हें साल भर की तनख्वाह या मजदूरी मिलती है, लेकिन सरकार गांव के मजदूरों के लिये ऐसा कोई बिल नहीं ला रही है जिससे उनको साल भर की मजदूरी या तनख्वाह मिले। अगर शहर की किसी फैक्टरी से कोई मजदूर निकाला जाता है तो दुनिया भर का हल्ला होता है, लेकिन गांव के मजदूरों के लिये सरकार क्या करने जा रही है इसके बारे में किसी ने कोई जिक्र नहीं किया है। ये महात्मा गांधी के सेवकों से वोट लेकर आये हैं, लेकिन ट्रेजरी बेंच पर बैठ कर उनके लिये क्या कर रहे हैं ?

जहां तक जमीन का सवाल है, आप कहते हैं कि हर काश्तकार के पास एवरेज होल्डिंग ५ एकड़ की है और ६ एकड़ तक को आप इकोनामिक होल्डिंग मानते हैं। तो ८ लाख फैमिली के लिये क्या आप इतनी जमीन मुहैया कर पायेंगे कि ये सब इकोनामिक होल्डिंग के रूप में उससे अपनी गुजर बसर कर सकें ? अलावा इसके इन ग्रामीणों की दिक्कतों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाया गया है, इसका पता हमें नहीं चलता है। पहले तो मैं सदन में नहीं था, लेकिन मुझे रिलायेबिल सोर्स से मालूम हुआ है कि श्री मोहन लाल गौतम जब एग्रीकल्चर के मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में इस सदन को बतलाया था कि सरकारी फार्म्स प्रोफिटेबिल इसलिये नहीं हैं, क्योंकि उनके अन्दर लेबरर्स को उचित मात्रा में तनख्वाह दी जाती है यानी

सरकारी फार्म्स में जमींदारी व ताल्लुकेदारों की तरह से बेगार नहीं ली जाती है। चूंकि सरकार एग्रीकल्चरल लेबर को ४५ रु० तनख्वाह देती है इसलिये उसके फार्म्स प्रोफिटेबिल नहीं हैं, लेकिन जिन खेतिहर मजदूरों को २५ रु० या ३० रु० तनख्वाह दी जाती है उनके लिये न तो डाक्टरी का कोई प्रबंध है, न उनके लिये कोई कैन्टिन का प्रबंध है जहां आराम से बैठ कर वे चाय पी सकें। जैसा कि लोग कहते हैं वे सड़कों पर ही बैठ कर चाय पी लेते हैं। जो ६०, ८० या १०० रु० तनख्वाह पाते हैं उनके लिये तो आप तमाम किस्म की फैसिलिटीज देते हैं। इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है कि औरों के लिये आप यह क्यों कर रहे हैं, आप बखूबी इसको करें, शौक से करें, लेकिन जहां शहरी मजदूरों के लिये आप ये सब कर रहे हैं वहां खेतिहर मजदूरों के लिये भी कोई ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि उनके लिये कैन्टिन भले ही न बनें, लेकिन उनके लिये कम से कम दवा आदि का प्रबंध तो होना ही चाहिये जिससे मलेरिया, फाइलेरिया आदि बीमारियों से उनका बचाव हो सके।

उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिये आपने क्या किया है ? हमने सुना है कि शहरी मजदूरों के लिये रिक्रिएशन क्लब बनाने की बात है, लेकिन खेतिहर मजदूरों के लिये रिक्रियेशन क्लब के बजाय सिर्फ उनके रहने के लिये झोपड़ियां ही बनवा दीजिये। मैं उम्मीद कर रहा था कि माननीय मंत्राणी या श्रम मंत्रालय की तरफ से कोई सुझाव दिया जायगा। वह कोई ऐसा सुझाव देंगे जिससे कि बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस न देकर ऐसी छोटी एग्रो-इंडस्ट्रीज को लाइसेंस दें जो काटेज इंडस्ट्रीज के रूप में ग्रामों में स्थापित हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज माननीय मंत्राणी जी के भाषण से विदित नहीं हुई है। मेरी माननीय मंत्राणी जी से प्रार्थना है कि जहां पर स्कूल्स खोले जा रहे हैं उनको न खोल कर वह स्कूल्स केवल देहातों में काटेज इंडस्ट्रीज स्कूल्स खोलें और वह शहर के बजाय ग्रामीण क्षेत्र में ही रहें। (लाल बत्ती होने पर) आप समय ज्यादा नहीं दे रहे हैं, कुछ और समय मुझे दे दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष---२ मिनट अभी और हैं।

श्री चैतन्यराजसिंह---जिस तरह कि इजिप्ट में भी सीलिंग आन लैन्ड होलडिंग है, लेकिन वहां नियम यह है कि जो १०० एकड़ बंजर को तोड़ेगा तो वह ५० एकड़ भूमि तो उसमें से अपने लिये रख सकेगा और बाकी ५० एकड़ वह लैंडलेस लेबर के लिये दे देगा, हमारी मंत्राणी जी श्रम मंत्री भी हैं और विकास मंत्री भी हैं इसलिये वह अपने यहां भी इस बात की कोशिश करें कि सीलिंग ऐक्ट में इस तरह का प्राविजन रहे कि इतनी जमीन लैन्डलेस लेबर के लिये सुरक्षित रहेगी। हमारे यहां ७० लाख एकड़ जमीन इस तरह की बंजर है जो कम से कम आधी लैन्डलेस लेबर में बांटी जा सकती है।

अन्त में चूंकि अब समय नहीं है मैं एक बार फिर मंत्राणी जी से प्रार्थना करूंगा कि वह ग्रामीण मजदूरों का भी उतना ही ध्यान रखें जितना कि वह शहर के मजदूरों का रखती हैं। इतना कहकर मैं भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरा बजट खत्म होने के समय मुझे भी आपने बोलने का अवसर दिया। मैं श्रम विभाग के इस अनुदान का समर्थन करती हूं। मैं चन्द बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। मजदूर आंदोलन का इतिहास देखने से पता चलता है कि मजदूरों के अन्दर जो भिन्न-भिन्न राजनीतिक दल काम करते हैं, उनके बने बनाये ढांचे में वह पूंजीपतियों से संगठन करने की कोशिश करते हैं। इस में बड़ा भारी संदेह यह होता है कि उन लोगों के पार्टी सिद्धांत और आदर्श तो प्रमुख बन जाते हैं और मजदूरों की सहायता उन के लिये दूसरे नम्बर पर आ जाती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाऊंगी कि देश की तरक्की और खुशहाली के लिये जरूरी है कि यहां हर चीज की पैदावार बढ़े और वह तभी हो सकता है जबकि पैदा करने वालों के दिलों में उत्साह होगा। लेकिन वह कैसे पैदा होगा ? वह तभी पैदा होगा जब कि उनकी तरफ हमारी सरकार की नजर जायगी और वह उनकी रहनुमाई करेगी। यह अपनापन तभी पैदा होगा जब मजदूरों की रहनुमाई उन्हीं पर छोड़ दी जाय और उनके

[श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी]

बीच में कोई राजनीतिक पार्टी न पड़े । सब राजनीतिक पार्टियों को अपना हाथ खींचकर मजदूर वर्ग के हाथ में ही उनका इंतजाम दे देना चाहिए ।

दूसरी बात यह है मजदूरों और मिल मालिकों के बीच हमेशा मुकदमेबाजी हुआ ही करती है इसलिये उनके मुकदमों के लिये एक कमेटी ऐसी बनायी जाय तो तत्काल तय कर दे कि इतने दिनों में मुकदमा फैसल हो जाय । हाई कोर्ट में मजदूरों के मुकदमे करने के लिये १ या २ जजेज ऐसे मुकर्रर कर दिये जायं जो उन्हीं के मुकदमे करें ।

यूनियनों के बारे में मेरा यह सुझाव है कि जिनको सरकार मान्यता दे वही मजदूरों की बात कर सकें और जिनको सरकार मान्यता नहीं देती उनको मजदूरों के बीच में बिलकुल न पड़ने दिया जाय । अगर कोई और नई यूनियन बनाना चाहते हैं तो पहले जांच की जाय कि कितने मजदूर उसमें हैं, तभी मान्यता दी जाय । मुझे आशा है जो सुझाव मैंने दिये हैं सरकार मजदूरों के हित में उन पर ध्यान देगी । सरकार जो कमेटी मजदूरों के मुकदमे के सिलसिले में नियुक्त करे उसका सभापति और मंत्री मजदूर वर्ग का ही हो ताकि वह उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकें ।

अब मुझे श्रम कल्याण कार्यों के बारे में कुछ कहना है । जितने श्रम कल्याण कार्य होते हैं वे संतोषजनक नहीं हैं । मेरा सुझाव है कि जो भी काम हो वह संतोषजनक होना चाहिये ताकि मजदूरों को सहायता मिल सके । मजदूरों को जितनी मदद सरकार से मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिलती है, ऐसा कई अन्य सदस्यों का मत है । इस विषय में मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि मजदूरों के बीच में जो लेबर वेलफेयर रखे जाते हैं और जिस सिद्धांत से रखे जाते हैं वे उस सिद्धांत से कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई अथारिटी सरकार नहीं देती जिस से वे मजदूरों के बीच जा कर उनकी हालत सम्हाल सकें । इसलिये मेरा कहना है कि या तो इस पद को समाप्त कर दिया जाय और अगर सरकार को उनको कायम रखना है तो उनको और ताकतवर बनाया जाय ताकि वे मजदूरों के बीच कुछ कर सकें ।

इसके अलावा सरकार को मजदूरों के हित में जितना ध्यान देना चाहिये उतना नहीं दिया जा रहा है । मुझे आशा है सरकार मेरे दिये हुये सुझावों पर गम्भीरता पूर्वक सोच करके मजदूर वर्ग को जितनी भी मदद उससे हो सकेगी, करेगी ।

अभी हमारे भाई साहब ने फरमाया कि सरकार मजदूरों से वोट ले कर आती है, तो यह बात समझ में नहीं आती । क्या सिर्फ मजदूरों का ही वोट ले कर आती है ? सभी के वोट होते हैं । तो न यही कहा जा सकता है कि केवल मजदूरों का ही ध्यान उसे करना चाहिये और न यही कहा जा सकता है कि सरकार ने मजदूरों के लिये कुछ नहीं किया । जो कुछ किया वह आपके सामने है और जो कुछ करेगी वह आपके सामने होगा । आपको कन्धे से कन्धा मिला कर सरकार के साथ चलना चाहिये और सहूलियत से बतलायें कि आप यह चाहते हैं । अगर उस काम के करने में सरकार आनाकानी करे तब तो आप कहिये, लेकिन आपका तो पुराना रवैया है कि आप सरकार को पलटेंगे और जो कुछ सरकार करेगी उसका आप विरोध करेंगे । जब आप सहायक होंगे तभी पंचवर्षीय योजना कामयाब होगी । अगर अड़ंगेबाजी डालेंगे तो कोई भी सरकार आये, वह सफल नहीं हो पायेगी । यह सरकार तो १२–१४ साल चल भी सकी, लेकिन अगर किसी अन्य पार्टी की सरकार आयेगी तो वह एक दिन नहीं चलेगी । जो वायदे आपने जनता के बीच किये हैं वे थोथे हैं । जिसको राज्य चलाना होता है वह ऐसे वायदे नहीं कर सकता । जब आपकी सरकार आयेगी तो जनता मजबूर करेगी कि जो वायदे आपने किये हैं वे पूरे किये जायें । कोई भी गवर्नमेन्ट ऐसी नहीं होगी जो टैक्स न लगाये या मालगुजारी वसूल न करे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान पेश है और उसके विरोध में जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं कुछ निवेदन

करना चाहता हूं। श्रमिकों के बारे में और श्रम अधिनियमों के बारे में जो लगातार होता आया है उससे साफ जाहिर है कि सरकार के पास कोई श्रम नीति नहीं है। अगर कुछ है तो वह कानपुर के बागला, सिंहानिया, रामरतन गुप्त के घर में बनती है और पनपती है और उसे समाजवादी कतई नहीं कहा जा सकता। वह बिलकुल गैर-समाजवादी है और पूंजीवादी है। कामरेड यूसुफ ने सही कहा कि सरकार की श्रम नीति जो है वह पूंजीवादी श्रमनीति है। चाहे प्राइवेट सेक्टर के मजदूरों की हालत देखी जाय या पब्लिक सेक्टर के मजदूरों की हालत देखी जाय, जब से यह सरकार शासन में आई है तब से वही हो रहा है जो मिलमालिक चाहते हैं।

रेशनलाइजेशन की बात की गयी तो बिन्दवासिनी कमेटी बन गयी। बड़ी मोटी रपट आई और मेज पर रख दी गयी। जनतंत्र में गरीबों और सर्वहारा की मांग को टालने के लिये पूंजीपतियों ने बड़ा अच्छा नुस्खा बना रखा है और योरप में भी, अमेरिका में भी इस नुस्खे का खासा इस्तेमाल किया जाता है। किया यह जाता है कि अगर गरीबों की मांग को टालना है और उनकी क्रांतिकारी भावनाओं को समाप्त करना हो, वर्ग भावना का हनन करना है तो उनकी मांगों को लेकर एक कमेटी बना दी जाय। निम्बकर कमेटी लीजिये, राजेन्द्र प्रसाद कमेटी लीजिये, बिन्दबासिनी प्रसाद कमेटी लीजिये, टेक्सटाइल वेज बोर्ड, जूट वेज बोर्ड लीजिये और बिजली के मजदूरों के लिये बिजली मजदूर वेज बोर्ड लीजिये, वेज बोर्ड और कमेटीज रूपी शंकर की जटा में गरीबों की भागीरथी लिपटी जा रही हैं। और ये जो सगर के ६० हजार पुत्र हैं ये बेचारे तरने के लिये तड़प रहे हैं, गंगा आवे जटा से तब तो? उसको तो कुछ दूसरे लोगों ने रोक रखा है।

यह प्रशंसा की बात है कि माननीय सम्पूर्णानन्दजी ने कानपुर के सूती मिल मजदूरों और मालिकों के बीच जो विवाद था उनके वेतन के बारे में, उनके काम करने के घंटों के बारे में, उनके महंगाई के बारे में, उसमें आर्बिट्रेशन देना स्वीकार किया है। मगर उसमें भी बहुत देरी हो रही है। मैं मांग करता हूं कि सम्पूर्णानन्दजी का एवार्ड जल्द के जल्द आना चाहिये। यदि वह जल्दी न आये तो कानपुर के सूती मिलों में काम करने वाले मजदूरों को तत्काल अन्तरिम सहायता दी जानी चाहिये, जैसे कि चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूरों को, जब उनका एवार्ड देर से आया तो केन्द्रीय सरकार ने अन्तरिम रिलीफ दिलवायी थी और मिलमालिकों को देना पड़ा। सम्पूर्णानन्द जी का एवार्ड आने में काफी देर हो रही है। सूती मिल मजदूर सभा ने सम्पूर्णानन्दजी को एक स्मृतिपत्र दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि जहां सन् ४७ में सूती मिल में काम करने वाले मजदूर की आय ९४ रुपये थी वहां सन् ५८ में वह ८७.७३ नये पैसे रह गयी और उसी समय में अहमदाबाद और पूरे सेन्टर्स में सौ रुपये से ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग के मजदूरों को मिलता था। मैं तो अभी हाल ही में बम्बई गया था। वहां के कारपोरेशन में जो मजदूर काम करते हैं उनको महंगाई भत्ता ९० रुपये से ज्यादा मिलता है। निम्बकर साहब ने अपनी रपट में कहा कि ३० रुपया मिनिमम वेज कायम किया जाय और सब से पहले सूती वस्त्र उद्योग में निम्बकर कमेटी की रपट लागू हुई, दूसरों में नहीं लागू हुई। मगर आज उनके वेतन-क्रम को किस तरह से ढीला किया जा रहा है।

आज जो दूसरी सबसे ज्यादा परेशानी सूती वस्त्र उद्योग में है वह यह है कि जो बुड्ढे मजदूर हैं, जो अनुभवयुक्त कुशल कारीगर हैं उन पर यह चार्ज लगा कर कि यह तो बुड्ढा हो गया, निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एवार्ड हुआ था कि सूती वस्त्र उद्योग के मजदूर की सुपरेनुएशन एज कम से कम ६० वर्ष रखी जाय। इस बीच क्या किया जाता है कि फर्जी सर्टिफिकेट लेकर १ १/२ दिन की नोटिस पकड़ा दी गयी और उन्हें कोई भी बेनिफिट्स पेन्शन वगैरह के नहीं दिये गये। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे पांच मिनट और दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, आपकी पार्टी को तो बहुत टाइम दिया गया।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मुझे बहुत कहना है, पांच मिनट तो और दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं । आप दो मिनट में खत्म कीजिये ।

श्री उग्रसेन---दूसरी बात मैं यूनियन के रजिस्ट्रेशन के बारे में कहता हूं। रोडवेज मजदूर सभा को रजिस्ट्री के सारे कागजात आज डेढ़ साल से मंत्रीजी की फाइल में पड़े हुये हैं। मंत्रीजी से बार-बार कहा गया कि जब सीमेंट मजदूर सभा और रेलवे मजदूर सभा का रजिस्ट्रेशन हो गया तो उनको क्यों नहीं किया जाता, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला ।

इम्प्लीमेंटेशन आफ एवार्ड के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बहेड़ी के शुगर मिल मजदूरों का एवार्ड हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के पक्ष में फैसला किया, काफी मुकदमेबाजी हुई और उसके बाद जब मजदूरों ने स्ट्राइक की तो पुलिस और मिलमालिकों ने मिल कर मजदूरों का ही चालान कर दिया और एवार्ड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इसके अलावा गीता प्रेस गोरखपुर में पांच आदमियों के सी० बी० केस थे। मंत्रीजी ने वादा किया था कि हम रेफरेन्स देंगे। हमने कानपुर में दरख्वास्त दी। वहां से वे इनएक्सपीडिएंट डिक्लेयर कर दिये गये। श्रीमन्, दो मिनट और दें। मैं वर्किंग जर्नलिस्टों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---जी नहीं ।

श्री उग्रसेन---श्रमजीवी पत्रकारों का एक वेज बोर्ड बना। उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। वे मांग करते हैं कि जब करोड़ों रुपये अखबारों के मालिक कमा कर अपनी जेब में रखते हैं तो कम से कम जो तीन साल के बाद रिव्यू करने का वादा किया था उसे देखने के लिये एक कमेटी तो बना दीजिये। अभी कलकत्ते में कांफेन्स हुई, उसमें उन्होंने मांग की है। मैं मांग करता हूं कि अगर महंगाई खत्म करनी है तो सोशलिस्ट पार्टी की दाम नीति को मान लीजिये तब खत्म कीजिये। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के मजदूरों को आप राहत देना चाहते हैं तो उनका वेतन कम से कम १०० पया करना पड़ेगा और ट्रेड यूनियन की सहूलियतें देना पड़ेगा। आज हजारों कर्मचारी और चपरासी आपके नाम पर रो रहे हैं और आपको बददुआ दे रहे हैं और बगावत पैदा हो रही है सारे प्रदेश में और ज्वाला मुखी पहाड़ पर आज आप बैठे हैं। अगर आपको समाजवाद कायम करना है तो मजदूरों को हक देने होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इस सदन में श्रम मंत्राणी जी ने अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आज माननीय सदस्यों के वक्तव्य मजदूरों के विषय में सुने और उनके विचार ज्ञात हुए उन्होंने मजदूरों के हित की बात कही है, परन्तु मुझे खेद है कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता, विशेष तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और जन संघ पार्टी के लोगों ने भी मजदूरों की बात कही और उन मजदूरों की बात कही जिनको हमारी सरकार ने दुनिया भर की सुविधायें प्रदान कर रखी हैं। उनके लिये सरकार ने स्कूल, अस्पताल खुलवाये, खाने-पीने का प्रबन्ध किया और मकान आदि का इंतजाम किया, फिर भी मैं यह नहीं कहता कि उनको सारी सुविधायें मिल गई हैं जितनी चाहते हैं। इस प्रदेश में करोड़ों की संख्या में दूसरे मजदूर रहते हैं। स्वतंत्र पार्टी के एक माननीय सदस्य ने उन मजदूरों के बारे में कहा जिनका वे स्वयं शोषण करते हैं ।

श्रीमन्, बड़ी खुशी की बात है और आज मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि स्वतंत्र पार्टी के एक माननीय सदस्य ने उन मजदूरों की जो तकलीफ सदन के सामने रखी है। हमारी सरकार ने उनका न्यूनतम वेतन निर्धारित किया है। पश्चिमी जिलों में ३९ रुपये और पूर्वी जिलों में ३२ रुपये। मैं कहना चाहता हूं कि इन मजदूरों के काम करने के घंटों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। मिल के मजदूरों के काम करने के घंटों की सीमा निर्धारित है, लेकिन खेतिहर मजदूरों की नहीं है। वह सुबह से जाकर रात तक काम करते हैं। मिल के मजदूर

जब चाहे हड़ताल कर दें और ये नेता लोग करा दें, लेकिन खेतिहर मजदूर नहीं कर पाता है और न अपनी मांग ही रख सकता है क्योंकि वह संगठित नहीं है और उनके वोटों से ही लोग अधिक संख्या में यहां आते हैं। आज किसान का लड़का जो मिल में काम करता है वह भी मजदूर है क्योंकि आज खेती में उसकी गुजर नहीं हो पाती है।

श्रीमन्, हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार ने खेतिहर मजदूरों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की है। उनके पास न मकान हैं और न उनके लिये स्कूल ही हैं और जब बाढ़ आती है तो उनके ही मकान बहते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारी सरकार ने अन्य कारखाने के मजदूरों को सुविधायें दीं। यद्यपि इतनी नहीं दीं जितनी वे चाहते हैं, फिर भी उन्हें सुविधायें दीं। लेकिन क्या खेतिहर मजदूरों के लिये जिनके बल पर बैठे हुए हैं, जिनकी राय से आज हम सारे इस माननीय सदन के सदस्य आये हुए हैं, उनको कोई सुविधा है? मैं आशा करता हूं कि आप मेरे सुझाव पर विशेष ध्यान देंगे। उनके लिये शिक्षा, दवाखाना, और उनका वेतन निर्धारित करेंगे। क्या कोई भी मनुष्य ३२ रुपये में आज गुजर कर सकता है? अपने बच्चों को कपड़े पहना सकता है, उनकी शादी विवाह कर सकता है? आपको दस पये रोज और २०० रुपये महीना मिलता है, लेकिन फिर भी परेशानी है। जब आपको परेशानी है तो मैं आपसे और माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने उनके लिये क्या किया? विरोधी दलों का तो कर्त्तव्य है कि वह हड़ताल करवाएं, लेकिन असली काम नहीं करेंगे। समाजवाद की दुहाई देंगे। तुम्हारा समाजवाद है क्या? तुम्हारा समाजवाद है कांग्रेस का विरोध करना। मिल मजदूरों के लिये आन्दोलन करेंगे अपनी लीडरी कायम रखने के लिये। कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं को क्या कहूं! मैं उनसे पूछता है कि उन्होंने कोई भी खेतिहर मजदूरों की कोई यूनियन इस प्रान्त में कायम की? माननीय उग्रसेन जी बतायें, उन्होंने कोई कायम की?

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अब श्रम विभाग का बजट चल रहा है उस समय श्रम मंत्री मौजूद नहीं हैं। मंत्री जी का रहना बड़ा जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष—गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव काफी है। एक मंत्री साहब बैठे हैं। इसलिये यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। वह लखनऊ से बाहर जा रही हैं।

श्री उग्रसेन—कहां जा रही हैं यह तो बता दीजिये?

श्रम उपमन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—उपाध्यक्ष जी, वैसे जो इस सभा के नियम हैं, उसमें मिनिस्टर की यह परिभाषा है कि "मिनिस्टर इनक्लूड्स डिप्टी मिनिस्टर"। इसलिये अगर एक भी कोई यहां रहे तो कोई ऐतराज की बात नहीं है। फिर भी माननीय सदस्यों की सूचना के लिये मैं कहना चाहता हूं कि उनको आई० एल० ओ० डेलीगेशन लीड करने के लिये दिल्ली जाना है। उसके लिये रात की गाड़ी से जाने के लिये तैयारी कर रही हैं। वह विदेश जायंगी इसलिये कुछ समय के लिये वह चली गयी हैं।

श्री हरीसिंह—विरोधी दल की विरोध करने की तो नीति है, लेकिन हमारे श्रम विभाग के अधिकारियों को लीजिये। एक भी मजदूर श्रम विभाग में नहीं है। जो मजदूरों के दुख की बात जानते हैं, जो भी निर्धन, गरीब आदमी श्रम विभाग में पहुंच जाता है वह वहां से टरका दिया जाता है। श्रम विभाग के अधिकारियों को विचारना चाहिये हमारा भी उनके प्रति कोई कर्त्तव्य है।

अभी तारावती जी ने कानपुर के मजदूर के बारे में कुछ सुझाव दिया। मुझे दुख है कि सरकार के जो अंग हैं उनकी बात पर भी सरकार अगर विचार न करे तो यह खेद की बात है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिये और उसको सोचना चाहिये कि कहां तक वह उचित

[श्री हरीसिंह]

है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना पड़ता है कि आप खेतिहर मजदूरों की ओर ध्यान दीजिये और मंत्री महोदय को मैं यह सुझाव दूंगा कि आप उनके लिये अधिनियम बनाइए क्योंकि करोड़ों की संख्या में खेतिहर मजदूर हमारे प्रदेश में हैं। पन्द्रह वर्ष आजादी मिले हो गया लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कोई पार्टी उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। मिलों में काम करने वाले मजदूरों को जिनकी ५०–६० वर्ष की आयु हो जाती है, उनको पेंशन मिलना अनिवार्य है। उनको ऐसी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए कि जिससे वह अपना बाकी जीवन ठीक तरह से निर्वाह कर सकें। यह सारी सुविधायें खेतिहर मजदूरों को भी मिलनी चाहिये और ६० रुपये से कम उनकी पे नहीं होनी चाहिये। उनके काम का समय भी निर्धारित होना चाहिये कि आठ घंटे से अधिक काम उन्हें न करना पड़े। जो सुविधायें कारखाने के मजदूरों को दी जाती हैं वही सुविधायें खेत पर काम करने वाले मजदूरों को भी दी जायं, क्योंकि खेतिहर मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो देश डांवाडोल हो जायगा, अन्न की पैदावार बन्द हो जायगी, इसलिये उनकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक मजदूरों के लिये कार्य करने का सवाल है, सरकार ने उनके लिये बहुत कार्य किया है और सरकार हमेशा कटिबद्ध है। जितनी सुविधा वह उन्हें पहुंचा सके, वह पहुंचाने के लिये हमेशा तैयार रहती है, लेकिन खेतिहर मजदूरों की तरफ ध्यान नहीं है। मैं आशा करता हूं कि खेतिहर मजदूरों के लिये भी वह विशेष ध्यान देगी।

श्री बसंतसिंह (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि आज मजदूरों की हालत बहुत दयनीय और शोचनीय है और सरकार की अपनी अब तक श्रमनीति बिलकुल गलत रही है। हमारे समाज में काफी दिनों से एक बात रही है कि जो सबसे कम काम करे वह समाज में सबसे ऊंचा गिना जाय, उसे सबसे ज्यादा वेतन मिले और जो सबसे ज्यादा काम करे, उसे सबसे नीचा गिना जाय और उसे सबसे कम वेतन मिले। लेकिन जब यह सरकार समाजवादी समाज का नारा लगाती है, समाजवादी समाज की रचना की बात करती है तब भी समाज की उसी वृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया है, उसको दूर करने की बात नहीं की गई है। अभी हाल ही में सप्लाई अफसरों का वेतन ८५० रुपये तक कर लिया गया है जबकि उनकी आज कोई जरूरत नहीं है और मजदूर की अगर ५ रुपये की वृद्धि की जाती है तो यह दीख जाता है कि मजदूर के लिये स्वर्ग आ गया। अभी-अभी मन्त्राणी जी ने कहा था कि हम ऐसा वातावरण निर्माण करें कि जो प्रेरक हों मजदूर के लिये, उनके आवास की सुन्दर व्यवस्था करें, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, उनके रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने की व्यवस्था करें। लेकिन जिस मजदूर को ४५ रु० मिलता है क्या उसके लिये यह सारी सुखद कल्पनायें सत्य सिद्ध हो सकती हैं? जैसा अभी कहा गया, ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स के बारे में, मैं यह समझता हूं कि उनकी हालत तो खराब है, लेकिन उनकी हालत को सुधारने के लिये उससे पहले किसान की हालत को हमें सुधारना पड़ेगा। मिल मालिक और मिलों में काम करने वाले मजदूरों के हालात कुछ और हैं। पूंजीपतियों के मुनाफे की रकम बहुत ज्यादा होती है और किसान की आमदनी बहुत कम होती है। मैं नहीं कहता कि वह उसी हालत में रहे। उसका सुधार होना जरूरी है, लेकिन उससे पहले किसान की आमदनी को और बढ़ाना होगा। लेकिन अगर सरकार अपनी ओर से उन्हें सुविधायें देने की बात इस समय करे तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

मिल मालिकों और मिलों में काम करने वाले मजदूरों की तरफ देखें तो सबसे पहला प्रश्न आज यह है कि उनकी सेवा की आज सुरक्षा नहीं है। उनकी सिक्योरिटी आफ सर्विस नहीं है और मिल मालिक उन्हें स्थायी नहीं होने देते क्योंकि तब उन्हें स्थायी मजदूरों की सुविधायें उनको देनी होंगी, बोनस देना होगा, इन्श्योरेंस की सुविधा देनी होगी और और कई चीजें करनी होंगी। इसलिये वे कोई तरीका निकालते हैं। एक ठेकेदारी का सिस्टम चल रहा है। एक ठेकेदार का नाम लिखा लिया जाता है। उसके जरिये लेबरर्स भरती किये गये यह दिखाया जाता है।

जब कि लेबर कांफ्रेन्स में जिसमें गवर्नमेंट के नुमायन्दे होते हैं, लेबरर के नुमायन्दे होते हैं और मिल मालिकों के नुमायन्दे होते हैं, यह तय कर दिया गया कि यह प्रथा गलत है और नहीं होनी चाहिये तब भी आज वह प्रथा जारी है ।

दूसरा तरीका जो स्थायीकरण के लिये बरता जाता है वह भी ठीक नहीं है । कुछ अपरेन्टिस रख लिये जाते हैं और उनको बहुत कम वेतन दिया जाता है । अधिकतर मजदूरों को २६ दिन के लिये भरती की जाती है और उनको फिर दोबारा भरती किया जाता है । इस तरह से १२-१२ और १४-१४ साल से वहां मजदूर काम कर रहे हैं । उनको स्थायी नहीं किया जाता है । वह टेम्पोरेरी रहते हैं । आज उनकी सेक्योरिटी आफ सर्विस की कोई गारन्टी नहीं है । अगर दूसरी तरफ देखा जाय तो सरकारी मजदूरों की हालत और भी ज्यादा खराब है । आपके पी० डब्लू० डी०, बिजली विभाग, रोडवेज में हजारों की तादाद में मजदूर अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं । वहां पर मजदूर टेम्पोरेरी रूप से काम कर रहे हैं । उनके सामने और भी समस्याएं हैं । वह सरकारी कर्मचारी होने के नाते न तो अपना एसोसियेशन बना सकते हैं और न अपनी ग्रीवेन्सेज व्यक्त करने के लिये सभा कर सकते हैं और न सिविल कोर्ट में जा सकते हैं । उनके पास अपनी ग्रीवेन्सेज को रखने का क्या तरीका है यह मैं नहीं समझ पाता हूं । अगर उनको अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ती है तो उनके ऊपर जो इमीडियेट बास होता है वही सुप्रीम डिक्टेटर होता है वह चाहे तो उनकी एप्लीकेशन को फारवर्ड करे या न करे । यदि वह फारवर्ड हो भी गई तो उसको एक तरफ जांच कर के समाप्त कर दिया जाता है, उनसे उनके बारे में पूछा भी नहीं जाता । इस तरह से उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है । इसकी व्यवस्था होनी चाहिये । उनको सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार होना चाहिये । अभी मेरे सामने एक केस आया । माननीय यूसुफ साहब लेबर कमिश्नर, कानपुर की बड़ी तारीफ कर रहे थे । मुझे मालूम नहीं कि यह घटना कैसे घटी । जो मुझे जानकारी दी गई है वह इस प्रकार है कि लेबर कमिश्नर को कुछ आदमी नियुक्त करने थे जो प्रमोशन से होने चाहिये थे । उनको अपने कुछ आदमी रखने थे । इसलिये उन्होंने प्रमोशन न करके एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में उनके आदमियों के अच्छे नम्बर नहीं आये तब भी उन्होंने अपने आदमी रखे । जो प्रमोशन पाने के लिये अधिकारी थे उन्होंने इनके खिलाफ सिविल कोर्ट में एक केस दायर कर दिया, लेकिन सिविल कोर्ट केस उसके जुरिस्डिक्शन के अन्तर्गत न होने की वजह से खारिज हो गया, लेकिन जो जजमेंट दिया है वह भी देखने लायक है । विद्वान् मुन्सिफ ने जो फैसला दिया है उससे पता चलता है कि किस प्रकार से ज्यादती होती है । वह फैसला इस प्रकार है—

"मुन्सिफ ने अपने फैसले में कहा है कि लेबर कमिश्नर ने राज्यपाल के वैधानिक नियमों का घोर अनादर किया है । उसका उल्लंघन पर उल्लंघन किया है । कर्मचारियों के साथ घोर ज्यादती की है तथा पक्षपात और भाई भतीजावाद हुआ है । लेबर कमिश्नर को टेस्ट लेने का कोई अधिकार नहीं था । नियुक्ति प्रोमोशन द्वारा होनी चाहिये थी । अन्त में सिविल कोर्ट ने चूंकि केस उसके जुरिस्डिक्शन के अन्तर्गत नहीं था, केस को खारिज कर दिया ।"

इसी तरह की बहुत सी बातें हैं ।

माननीया सुचेता जी हाल ही में हाथरस गई थीं । वहां पर मजदूरों ने लम्बी हड़ताल की थी । उनकी जायज मांग थी कि उनकी सर्विस की सिक्योरिटी होनी चाहिये । उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिये । वे चाहते थे कि औद्योगिक शान्ति रहे, लेकिन जो कायदे की बात है, जो ठोस बात है और कानून की बात है वह मजदूरों को नहीं देना चाहते हैं । तो क्या यह शान्ति एक तरफ से रहने की चीज है ? क्या एक तरफ से रहनी चाहिये ? मजदूरों के सामने कौन सी शकल रह जाती है ? उनको कानून मजबूर कर देता है । उनके लिये कानून का दरवाजा बन्द है । तो फिर उनके लिये कौन सा रास्ता रह जाता है जिससे अपनी बातों को कह सकें ? वही मजदूर जो दिन रात काम करता है उसको रविवार को छुट्टी नहीं दी जाती है । उनको सवेतन छुट्टी नहीं देते । छटनी की बात होती है तो उसको मुआविजा मिलना चाहिये । मुआवजे के प्रार्थना-पत्रों पर एक-एक वर्ष अमल नहीं किया जाता । ध्यान

[श्री बसंतसिंह]

नहीं दिया जाता। एक वर्ष के बाद एक तरफा फैसला हो जाता है। कुछ पेंडिंग केस पड़े रह जाते हैं। लेदर इंडस्ट्री में आगरा और कानपुर में एक लाख मजदूर काम करते हैं, परन्तु फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत केवल १० हजार के लगभग ही आते हैं। शेष मजदूर चमड़े को रंगने, चप्पल और जूते बनाने में लगे हुये हैं। जब वहां पर दस परसेंट ड्यूटी लगा दी गयी, कारखाने वालों पर, तो उस ड्यूटी से बचने के लिये उन्होंने अपने कारखानों को छोटे-छोटे भागों में बांट दिया और मिस्त्रियों को इंचार्ज बना दिया। गवर्नमेंट उनको बड़े-बड़े आर्डर देती है, लेकिन वह एक्साइज ड्यूटी से बच जाते हैं और बड़े कारखानों को चला रहे हैं और मजदूरों को स्थायी नहीं होने देते, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वहां के केसेज कई साल तक पेंडिंग रखे गये और बाद में उनको खटाई में डाल दिया गया। इसके दो तीन रेफरेंस मेरे पास हैं।

(इस समय ३ बज कर ४६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक ४५४/५८ नम्बर का केस है, जिसमें कानपुर में २३ मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने की बात थी। ये टैनरी के मजदूर थे और इस प्रश्न को एन० आई० टी० यू० सी० ने उठाया था। दूसरा केस इसी विषय पर ४६१/५९ का था। यह आई० एन० टी० यू० सी० ने उठाया था और बाद में इसमें समझौता करा दिया गया और पहला इसी प्रकार उठाया गया प्रश्न दाखिल दफ्तर कर दिया गया। तो इस प्रकार पार्शियेलिटी बरती जाती है और दूसरी मजदूर जमातों को कुचला जाता है। दूसरा केस है १६-५१ और ५५-५३ यह स्टेट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, इलाहाबाद का मामला था और ५८ में उठा लिया गया और बाद में पता नहीं इसमें क्या हुआ। मजदूरों के पास इतना पैसा कहां होता है कि वे हाई कोर्ट तक जायं, और अगर हाईकोर्ट में उनके पक्ष में फैसला हो जाता है तो उसे लागू नहीं किया जाता और इस तरह से वे परेशान रहते हैं। आप चाहते हैं कि शान्ति रहे, लेकिन मजदूरों के लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता।

अभी लेबर वेलफेयर सेंटर्स पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी के डाक्टर्स भेजे गये, लेकिन उनके वेतन में बड़ा अन्तर होता है। एलोपैथिक डाक्टर का वेतन २०० से ४०० रुपये तक होता है जबकि आयुर्वेदिक तथा यूनानी के डाक्टरों को ७५ से २०० रुपये तक मिलते हैं जो कि एक कम्पाउन्डर का वेतन है और यह बात मानी गयी है कि दोनों का काम एक समान है। दोनों का वेतन एक-सा होना चाहिये, लेकिन उनमें असमानता विद्यमान है। जो श्रम नीति सरकार की है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदन से एक निवेदन था। निवेदन यह था कि माननीया सुचेता जी विवश हो गयी हैं, वह आ नहीं सकतीं। उन्होंने एक पत्र भेजा है मेरे पास कि सदन से क्षमा मांग ली जाय और माननीय बहुगुणा जी को इस विवाद में जबाव देने की इजाजत दी जाय। तो मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि बजाय इसके कि सुचेता जी रिप्लाई दें, माननीय बहुगुणा जी जबाब दें, इसमें क्या किसी को कोई आपत्ति है?

(किसी के आपत्ति न करने पर)

तो यह तय हुआ कि बहुगुणा जी रिप्लाई दें। श्री मिश्र जी।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--बहुत बहुत धन्यवाद। २० बार परेड के बाद आपने मुझे मौका तो दिया।

श्री अध्यक्ष--ऐसी बात कहने से सदन में कुछ शोभा नहीं बढ़ती।

श्री जे० पी० मिश्र--तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––माननीय सदस्य की यह तो ज्यादती की बात है कि २० बार दंड बैठक के बाद भी माननीय सदस्य हर दूसरे तीसरे दिन बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष––उन्होंने उन शब्दों को वापस ले लिया। मैं तो चाहता हूं कि लोग बोलें, लेकिन समय के अभाव से मजबूरी हो जाती है। लेकिन यह शोभा नहीं देता कि इस प्रकार की आलोचना की जाय इस सदन की।

श्री जे० पी० मिश्र––माननीय अध्यक्ष जी, कटौती का जो प्रस्ताव माननीय नरसिंह नारायण जी की ओर से प्रस्तुत हुआ है उसका विरोध करने के लिये मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। श्रम एवं सामुदायिक विकास मंत्राणी महोदया की ओर से जो अनुदान प्राप्त किया गया है उसका समर्थन करता हूं। माननीय पांडेय जी ने सदन के सामने जो आलोचनाएं प्रस्तुत कीं उनके संबंध में आपके माध्यम से कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने हैं जो माननीय पांडेय जी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को निर्मूल साबित करने में मदद देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में और तृतीय योजना के आरम्भ में राज्य सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये थे उनके अनुसार साढ़े १८ लाख श्रमिकों को रोजगार देना था तथा इस योजना में पौने २२ लाख और बढ़ने वाले थे। इसलिये तृतीय योजना में सवा ४० लाख श्रमिक वर्ग का प्रबन्ध उत्तर प्रदेश की सरकार को करना है। तो मुझे आपके सामने यह निवेदन करना है कि अपने निर्माण तथा विकास के कार्यों में करीब ९ लाख श्रमिक वर्ग को खपाने की फिक्र हमने की है और यदि ५०९ करोड़ की जो हमारी योजनाएं हैं वे लागू कर दी गयीं तो बाकी बचे हुये श्रमिकों के लिये भी रोटी का प्रबन्ध हो जायेगा तृतीय योजना काल में।

इसके अलावा, श्रीमन्, प्लानिंग कमीशन के हिसाब से २३ लाख श्रमिक वर्ग की बढ़ोत्तरी होगी और यदि हमारी योजनाओं में तरक्की हुई तो ६ लाख श्रमिक तो कृषि में और १७ लाख श्रमिक कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों में लगाये जाने का कार्यक्रम है। कृषि के संबंध में, इस योजना के अन्तर्गत, ३४–४० फीसदी तक बढ़ोत्तरी होने की आशा है और इस प्रकार उन श्रमिकों को काम में लगाया जा सकेगा।

मुझे एक बात और आपके सामने निवेदन करना है। श्री पांडेय जी की आलोचना केवल चीनी मिलों के मजदूरों के संबंध में ही सीमित रही और माननीय युसूफ जी की आलोचना कानपुर के चारों तरफ तक ही केन्द्रित रही। उनको पूरे प्रदेश या देश के श्रमिकों के बारे में चिन्ता नहीं है। मुझे आपके द्वारा यह निवेदन करना है कि १९५८ के मध्य में एक कोड आफ डिसिप्लिन का निर्माण हुआ था जिसमें केन्द्रीय संघ के दोनों पक्षों के लोग थे और उन्होंने उसको बनाया था। उसमें कितनी पाबन्दी थी, इसको यदि आप याद करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वे सब दो–तर्फा थीं। मैनेजमेंट और श्रमिक दोनों के लिये उसमें पाबन्दी थी, और यह था उसमें कि श्रमिक वर्ग हड़ताल नहीं करेगा। इस किस्म की तमाम बातें नहीं होंगी जब मैनेजमेंट भी पाबन्द होगा। कंसीलिएशन, आर्बिट्रेशन, ऐडजुडीकेशन के जरिये से जो निर्णय होंगे उन पर मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों पाबन्द होंगे, उत्पादन को बढ़ाने में दोनों मिल कर काम करेंगे। शिकायतें मैनेजमेंट की तरफ से आईं, शिकायतें श्रमिक वर्ग की तरफ से आईं, लेकिन वह दोतरफा हैं एक तरफा नहीं हैं। इंटर यूनियन राइवलरी है, कि कौन यूनियन बड़ी है। इस होड़ में जो श्रमिक वर्ग का नुक्सान इस प्रदेश में और देश में हो रहा है वह आज छिपा नहीं है। १५ फीसदी और सदस्य हैं किसी यूनियन के तो सरकार इतनी लिबरल है कि उसको मान्यता देने के लिए हर वक्त तैयार है। जिस तरह से पिछले दिनों चीनी मिलों की हड़तालें हुईं और जिस तरह से जबरन एवार्ड, ऐडजूडीकेशन और आर्बिट्रेशन के खिलाफ आपने काम किया, कदम उठाया उसका परिणाम श्रमिक वर्ग के मत्थे गया और जाता है, अफसोस होता है जब इस प्रकार की गैर-कानूनी हड़तालों में भाग लेने के लिए

[श्री जे० पी० मिश्र]

आगे बढ़ाये गये अच्छे-अच्छे कार्यकर्त्ता अलहदा कर दिये जाते हैं। मैं भी हरदोई चीनी मिल में एक छोटे ओहदे पर काम कर रहा था। उन दिनों हड़ताल बहुत तेजी से जारी थी और वहां से इतने कीमती कार्यकर्त्ता गये जिसका पश्चात्ताप आज भी है। आज आप इंडस्ट्रियल ट्रस डिक्लेयर कीजिये, उसमें जिस तरह का कदम सरकार की तरफ से आये और आपको संतोष न हो तो बाहर बैठिये, एक ट्रायब्युनल बना लीजिये और उन कार्यकर्त्ताओं का जिनकी मजदूरों से दिलचस्ती है, मजदूर आन्दोलन से दिलचस्पी है और इंडस्ट्रियल ट्रस का ऐलान करने के बाद में आपके सामने यह निश्चित तरीके से कह सकता हूं कि सरकार हमारी आपकी बात तो तय होगी उससे इन्कार नहीं करेगी।

अब मुझे ट्रेड यूनियनिज्म के मुताल्लिक थोड़ा-सा निवेदन करना है। ट्रेड यूनियन्स को भी थोड़ा-सा रुख बदलना पड़ेगा। प्लान्ड इकोनामी जिस बात से बढ़ती है उसके अनुसार उद्योग और श्रम दोनों को अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा और तृतीय पंच वर्षीय योजना के अनुरूप बदलना पड़ेगा। सरकार ने प्लान्ड लेविल पर वर्क्स कमेटियां बना दी हैं और उसके बाद ज्वाइंट कौंसिल का निर्माण बहुत जगह हो चुका है, बहुत जगह नहीं हुआ। तो वर्क्स कमेटी, ज्वाइंट कौंसिल के माध्यम से, आर्बिट्रेशन के माध्यम से ऐडजुडीकेशन, कंसीलिएशन बोर्ड के माध्यम से आप काम लें। इंडस्ट्रियल ट्रस का ऐलान करने के बाद तीसरी योजना तक इन्तजार करें, कोई बड़ी हानि होने वाली नहीं है। आप देखें कि सरकार कितनी खैरख्वाहिशमन्द है और किस तरह से १९३ लाख की बड़ी रकम जो अनुदान के रूप में मांगी जा रही है और उसका कैसा सदुपयोग होने को है . . . .

(लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, दो मिनट और चाहता हूं।

आप देखेंगे कि वेज कमीशन, बोनस कमीशन इत्यादि सारी दिक्कतों को दूर करनेके लिये बनाये गये। सोशल सिक्योरिटी, स्टेट इंश्योरेंस, प्राविडेंट फंड, सेफ्टी ऐंड वेलफ़ेयर, इन सारी चीजों को ध्यान में रख कर अपनी सारी श्रम और सेवाएं योजनाओं का निर्माण किया है। मैं समझता हूं कि आपको राज्य सरकार को मौका देना होगा। तृतीय योजना काल में औद्योगिक शांति के ऐलान के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से सारी योजनायें कार्यान्वित होती हैं और किस तरह से अनिपुण, अर्ध निपुण और पूर्ण निपुण लेबर इस्तेमाल किया जाता है। सरकार ने खेतिहर मजदूर को काफी मौका दिया है। इस प्रदेश में विद्युत् योजनायें, बाढ़ नियंत्रण योजनाएं और अधिक अन्न उपजाने के लिये सिंचाई योजनाएं तृतीय योजना में चलने वाली हैं जिसमें शहर और देहात, दोनों प्रकार के मजदूरों की तरफ समुचित ध्यान दिया गया है। लेकिन इन योजनाओं की सफलता के लिये पहले आपको औद्योगिक शांति का ऐलान करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष ---प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा, अर्थात् साढ़े ५ बजे तक, बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---श्रीमन्, सुबह से श्रम विभाग की मांग पर जो विवाद चल रहा है उसको मैं सुनता रहा। मैंने मंत्राणी जी के मुख से यह भी सुना कि इस प्रदेश में संगठित उद्योगों में लगे हुये मजदूरों की संख्या ढाई लाख से कुछ थोड़ी सी ज्यादा है। जिस प्रदेश की आबादी ७ करोड़ ३० लाख हो उसके लिये यह ढाई लाख की संख्या नगण्य है।

फिर भी जिस प्रकार से सभी दलों के नेताओं तथा अन्य बोलने वालों ने इन ढाई लाख आदमियों को महत्व दिया है उसके विषय में तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं यह कह सकता हूं कि उनको आप महत्व दीजिये, लेकिन इस प्रदेश में दूसरे मजदूर भी हैं जिनकी बातें यहां पर बहुत कम कही गई हैं। जो छोटे उद्योगों में काम करते हैं, पीतल के बर्तन बनाते हैं या कालीनें बुनते हैं, उनके बारे में न तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात कही गयी जिससे उनको सान्त्वना हो कि उनकी भी कोई उन्नति होगी और न इधर से ही इस विषय में कोई बात कही गयी। मैंने देखा है कि आये दिन इस सदन में खेतिहर मजदूरों की कोई बात आती है तो उनके प्रति दिखावटी आंसू बहुत बहाये जाते हैं, लेकिन जब उनके लिये कोई ठोस कदम उठाने का सवाल आता है तो उनकी तरफ से बोलने वाले बहुत ही कम लोग सामने आते हैं। खेतिहर मजदूरों की संख्या औद्योगिक मजदूरों से कई गुना अधिक है और उनकी दशा भी बहुत खराब है। औद्योगिक मजदूरों की औसत आमदनी की तुलना में खेतिहर मजदूरों की आमदनी एक तिहाई भी नहीं है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे मजदूर किसी ऐसे बिना महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं जिनकी उपेक्षा की जा सकती है, लेकिन इस देश का यह एक दुर्भाग्य है कि कृषि से जो भी सम्बन्धित हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। कृषक कृषि विभाग और खेतिहर मजदूरों की भी उपेक्षा इस देश में होती है, यह मेरे देखने में आया है। ज्यादा समय नहीं है, इसलिये मैं आंकड़े नहीं पेश करना चाहता, लेकिन मैं दो एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं जिससे खेतिहर मजदूरों की दशा सुधर सकती है।

मंत्राणी जी ने बतलाया कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट खेतिहर मजदूरों के लिये भी लागू है लेकिन मैं बतला दूं कि देहात के रहने वाले जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सब मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट लगभग नहीं के बराबर लागू है, व्यवहार में वह बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। उस मिनिमम वेजेज ऐक्ट से एग्रीकल्चर लेबर को लगभग नहीं के बराबर लाभ हो रहा है और इसका कारण यह है कि उसका इनफोर्समेंट करने वाले एक लेबर इंस्पेक्टर साहब हैं जिनके पास औद्योगिक काम भी है। उनसे यह आशा की जाती है कि वे सारे जिले के कृषि फार्मों पर जाकर उस ऐक्ट का इनफोर्समेंट करावें। मैं कहता हूं कि किसी एक आदमी के लिये यह सम्भव नहीं है।

सबसे पहली बात यह है, कि यदि आप चाहते हैं कि खेतिहर मजदूरों की उन्नति हो, तो आपको उनसे सम्बन्धित कायदे कानून को जरा भिन्न बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी दशा भी औरों से बिलकुल भिन्न है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कार्य को इन्स्पेक्टर साहब के ताल्लुक न करके यदि आप गांव पंचायत के ताल्लुक कर दें तो इससे कहीं ज्यादा लाभ हो सकता है। बेगार को समाप्त करने के लिये उसे आपने कागनीजेबिल आफेंस बना दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि बेगार समाप्त हो गयी। किसी मजदूर को मिनिमम वेतन नहीं मिलता है तो क्या वह मजदूर उसकी शिकायत करने के लिये गांव से चल कर ४०–४२ मील दूर शहर में जायगा और तब उसकी सुनवायी होगी? मैं समझता हूं कि उसकी सुनवायी के लिये गांव में ही कोई व्यवस्था होनी चाहिये और मेरा निवेदन है कि पंचायती अदालतों को यह अधिकार दे दिय जाय कि उनके क्षेत्र के अन्दर यदि मिनिमम वेजेज ऐक्ट का उल्लंघन होता है तो उसकी सुनवायी वे कर सकें। यदि गांव के अन्दर ही सुनवाई शुरू हो जायगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो अन्याय आज खेतिहर मजदूरों के साथ हो रहा है वह बहुत कम हो जायगा।

तीसरी बात मैं खेतिहर मजदूरों के विषय में और कहना चाहता हूं। मैंने आशा की थी कि कटौती के प्रस्तावक महोदय ही इस पर कुछ कहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी बराबर यह कहती रही है कि लैन्ड आर्मी बनाई जाय तो खेतिहर मजदूरों की समस्या हल होगी, लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया है। जब कभी यह बात आती है कि नयी जमीन तोड़ी जाय और भूमिहीन किसानों को उस पर बसाया जाय तो सरकार की तरफ से कहा जाता है

[श्री भानुप्रतापसिंह]

कि फाजिल भूमि नहीं है या भूमि कम है, लेकिन जितने सरकारी पब्लिकेशन्स हैं उन सब में एग्रीकल्चरेबिल वेस्ट लैन्ड का रकबा लिखा हुआ है और उसको देखने से मालूम होता है कि काफी जमीन है। जंगलो की बात कही जाती है, लेकिन उसका रकबा अलग दिया हुआ है। अगर जंगल भी लगाना है तो वहीं लगा दीजिये, उस जमीन को वेस्ट क्यों रखा गया। वह जमीन जंगल के बहाने से पचासों वर्ष से बेकार पड़ी हुई है और न मालूम कब तक बेकार पड़ी रहेगी। इसलिये इस समस्या को हल करने के लिये एक लैन्ड आर्मी खड़ी की जाय और उसमें इन बेकार मजदूरों की भरती की जाय, आप उनकी कालोनीज बसायें और इस तरह से उनकी बेरोजगारी की समस्या को हल कीजिये।

अन्त में मैं एक और बात कह कर यह विषय समाप्त करूंगा, क्योंकि लाल बत्ती जल चुकी है। आप अपने यहां समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, लेकिन जिस समय यह चीज हो जायगी तो उस समय अधिक से अधिक लोग सरकार पर ही अपनी रोजी के लिये निर्भर रहेंगे और सारे आदमी सरकार के ही उद्योग, कल-कारखानों में काम करने लगेंगे। हमारी सरकार अपने कर्मचारियों में या अपने कारखानों में ट्रेड यूनियनिज्म को बढ़ने का अवसर नहीं देती है और उनको स्ट्राइक का अवसर भी नहीं देती है। अभी यहां सेन्ट्रल एम्प्लाईज का स्ट्राइक पिछली बार हुआ तो सरकार की तरफ से आर्डिनेस जारी किया गया था। हमारे मुख्य मंत्री जी का भी कहना है कि अगर सरकारी कर्मचारियों के असोसियेशन्स बनेंगे तो उनको बनाने वालों को बरखास्त कर दिया जायगा। जब आप समाजवादी व्यवस्था कायम कर रहे हैं तो नतीजा यह होगा कि अधिक से अधिक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हो जायंगे। तो क्या आप सब को डिफ्रेन्वाइज करना चाहते हैं? अगर सरकारी कल-कारखानों और उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को आप वह हकूक नहीं देते हैं जो कि एक साधारण नागरिक के फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमें सोचना होगा कि आप किस तरह का समाजवाद यहां लाना चाहते हैं और उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यह होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने फंडामेंटल राइट्स का उपयोग करने से वंचित रह जायेंगे।

श्री बलवानसिंह—श्रीमन्, मुझे यह उम्मीद थी कि खास तौर से उस तरफ के कांग्रेसी लोगों की श्रम की जो पालिसी है और जो उनकी आन्दोलन की रफ्तार से वह इतनी धीमी है कि उससे, इस सड़ी हुई नीति से वह स्वयं ही असन्तुष्ट होंगे। मुझे यह नहीं मालूम कि अगर यही श्रम नीति है कि फी लेबर का हिसाब शायद ५० नये पैसे का आता होगा जबकि ४० प्रतिशत लेबर इस देश में है और खेती का ७० प्रतिशत है। यहां पर ४० लाख लेबरर हैं और अगर आप लैंडलेस लेबरर को जोड़ें तो आप का उन पर ५० नया पैसा खर्च होता है। जैसा कि यूसुफ साहब ने कहा कि शहरों में बेकारों की भीड़ है। बहुगुणा जी इस का जबाव दें कि सन् १९४७ में टेक्सटाइल मिल्स में जितने मजदूर थे उससे आज वहां कम मजदूर हैं और उस वक्त से आज अगर मंहगाई भत्ते को छोड़ दिया जाय तो मजदूरों लेबरर की कम है। आपने कहा कि एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से ८४ हजार का रजिस्ट्रेशन हुआ और वह काम में भेजे गये, लेकिन मेरा खयाल है कि जितने बेकार हैं उनमें से दसवें भाग को भी रजिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं भेजा जाता। मैं क्या कहूं श्रम का वेस्ट जितना इस देश में होता है उतना वेस्ट शायद संसार के किसी देश में भी नहीं होता है। मुश्किल से ३ घंटे का एवरेज हिन्दुस्तान के लेबर का आता है और आप कहते हैं कि यह श्रम की नीति ठीक है। हिन्दुस्तान आज गरीबी और गड्ढे में इसलिये है कि इस सरकार की अभी श्रम की कोई पालिसी नहीं है। आज योरोपियन कंट्रीज में जहां को आप कापी करते हैं कोई आदमी बेकार होता है तो उसे बेकारी का भत्ता मिलता है, लेकिन हमारी सरकार वैसी कोई व्यवस्था नहीं करती। हमारे सामने वह अंग्रेजी जमाने की सड़ी हुई कानूनी व्यवस्था को उपस्थित करती है और वोटों से जीत कर आती है। आखिरकार हिन्दुस्तान में आज भी तो यह कि नागपंचमी के दिनों सांपों को दूध पिलाया जाता है। आज भी गांधी जी के नारे पर आप लोग उन बैचेंज पर बैठे हुए हैं। हमसे कहा जाता है कि हम क्यों नहीं उन बैचेंज पर आ जाते?

मेरा कहना है कि : इस देश में नागों की पूजा होती है तो अगर आप लोग जीत कर आजाते हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लिहाजा जो श्रम की नीति है उसे तब्दील करना होगा।

मेरा एक सुझाव यह है कि एक मिल के अन्दर एक ही यूनियन रजिस्टर की जाय। वहां कई यूनियन्स होती हैं। जहां २० मेम्बर हुए नयी यूनियन रजिस्टर हो गयी। मेरा कहना है कि एक मिल के अन्दर एक ही यूनियन को रिकगनीशन दिया जाय और इस तरह से मिलों की जो यूनियन्स हैं उनका एक फेडरेशन यू० पी० में बने और एक फेडरेशन आल इंडिया के बेसिस पर हो।

आपकी जो मिक्सड एकोनामी है उसमें ५०० करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर में खर्च हुआ और २० करोड़ रुपये साल का मुनाफा हुआ। तो इस तरह का दीवालिया आपका यह पब्लिक सेक्टर हो गया है। उससे हमें कोई उत्साह नहीं होता। पब्लिक सेक्टर की जो हालत है और उसमें वर्कर्स को जो फैसिलिटीज मिलती हैं उस सब के बारे में मिनिस्टर साहब अच्छी तरह से जानते हैं।

जहां तक खेतिहर मजदूर का सम्बन्ध है ४० लाख परिवार के करीब उसकी तादाद है। अगर आप इन लोगों को गिनें जैसे धोबी, नाई, पासी, लोहार, बढ़ई तो यू० पी० के देहातों में उनकी तादाद तीन करोड़ की होगी। मेरा ऐसा ख्याल है कि कुछ लोगों को तो ६ आने रोज मजदूरी मिलती है। कहा गया कि कि ३२ रुपये महीने के हिसाब से मजदूरी आती है तो यह गलत है।

आपने एम्पलायमेंट एक्सचेंज बनाये कानपुर में, इलाहाबाद, आगरा में। २१ जिलों के लिये और योजनायें आपकी हैं। मेरा सुझाव है कि ब्लाक सेंटर पर आपके एम्पलायमेंट एक्सचेंज बनाये जायं जो यह बतायें कि कितने आदमी वहां बेकार हैं। इस तरह का रजिस्ट्रेशन हो कर जब ब्लाक रिपोर्ट देगा तब आपको मालूम हो सकेगा कि वाकई इस भूखे, नंगे और गरीब देश में कितने लोग बेकार हैं। इसलिये ब्लाक लेबिल पर आपको इंडस्ट्रीज देनी होंगी। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मैं पांच मिनट और चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मेरे पास समय होता तो ५ मिनट कौन कहे, १५ मिनट देता।

श्री बलवानसिंह--श्रीमन्, पी० एस० पी० के ३८ मेम्बर हैं।

श्री अध्यक्ष--अच्छा आप बोलिये।

श्री बलवानसिंह--अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो इस बात को छोड़ दीजिये कि कितने आपने वेलफेयर सेंटर्स खोले हैं। यह तो आप पैबन्द का काम करते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि मानव समाज के अन्दर उत्साह आये और इस प्रदेश के बेकारों के हाथ में काम आये तो विलेज यूनिट तक आपको जाना होगा। मेरे साथी (श्री भानुप्रतापसिंह की ओर इशारा कर के) ने ठीक कहा कि लैंडलेस लेबर के लिये आपको गांवों के अन्दर ब्लाक लेबिल पर इंडस्ट्रीज देनी होंगी। आप समाजवाद को अगर दुहाई देते हैं तो समाजवाद की सब से पहली चीज यह होती है कि समाजवादी देश के अन्दर कोई इंसान बेकार नहीं होता। मैं रूस और चीन की कापी करने के लिये तैयार नहीं हूं, लेकिन चूंकि आपका नारा है कि २७ साल के अन्दर स्टैंडर्ड आफ लिविंग दूना कर देंगे--दुनिया के किसी देश में ३५ साल के पहले स्टैंडर्ड आफ लिविंग दूना नहीं हुआ--तो आपको करोड़ों आदमियों को काम देना होगा, वरना आप सफल नहीं होंगे। कुछ देश हैं जर्मनी, डेनमार्क रूस, जापान जहां पर जब बच्चा पैदा होता है तो देश के अन्दर खुशी होती है लेकिन हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर जब बच्चा पैदा होता है तो मंत्री जी के माथे पर लकीर खिंच जाती है। फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं। अगर अंग्रेजों ने फैमिली प्लानिंग की ज्यादा कोशिश की होती तो शायद मिनिस्टर साहब खुद रह गये होते और न जाने हम में से कितने लोग रह गये होते। हिन्दुस्तान में हर साल ८४ लाख

[श्री बलवानसिंह]

नये इंसान पैदा होते हैं। तीसरी पंच साला योजना के बाद यहां की आबादी ४५ करोड़ हो जायगी। आज वह जमाना गया जब दुनिया के अन्दर जापान या इंग्लैन्ड ही बड़े देश हो सकते थे। अब तो अफ्रीका, रूस, हिन्दुस्तान, चीन, जिन देशों की आबादी ज्यादा होगी उनकी ताकत ज्यादा होगी।

श्रीमन्, मुझे दो मिनट और दीजिये।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, एक मिनट।

श्री बलवानसिंह—इसके अलावा जो आपके चौथी श्रेणी के मजदूर हैं उनके ऊपर तो रहम कीजिये। आज उनकी किस तरह की दुर्दशा है। आज मुश्किल से ४०–५० रुपये उनको मिलते हैं और सेंटर की तरफ से उनको ८० रुपये मिलते हैं। आज बड़े बड़े बाबू लोग उनसे चपरासी का काम न करा के झाड़ू देने और बर्तन मांजने का काम लेते हैं। किस तरह से टेम्पोरेरी लोगों को अगर यह काम करने से इंकार करते हैं तो निकाल दिया जाता है। अगर आप समाजवाद का दावा करते हैं तो कम से कम इन चौथी श्रेणी की ओर ध्यान दीजिये।

आज बड़ी खुशी है मुझे कि बहुगुणा जी जो कभी लेबर लीडर थे इस पद पर आसीन हैं।

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री नरसिंहनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का जो इधर के हों या उधर के हों जिन्होंने इस अनुदान के संबंध में या कटौती के प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं, बहुत ही अनुगृहीत हूं। भाषणों के सुनने के बाद यह मेरे दिमाग में बहुत साफ है कि हर माननीय सदस्य ने हमारे कटौती के प्रस्ताव का चाहे विरोध ही किया हो, लेकिन उन्होंने जो आज इस सरकार की श्रम नीति है, सेवा योजन नीति है, उसके बारे में असंतोष व्यक्त किया है। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से १५ अप्रैल, १९५८ को हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद जी ने आई० ए० एस० के प्रोबेशनर्स के बीच में एक भाषण दिया था उसको मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि "why the common man in the street did not feel the glow of freedom. And he answered himself, the reason had to be sought not elsewhere, but amongst those who were incharge of the work. The people were the same.

आज व्यक्ति वही हैं जो आजादी के पहले थे, लेकिन आज जो हमारे काम के करने वाले इंचार्ज हैं उन लोगों को अपने दिलों पर हाथ रखकर यह देखना चाहिये कि आज क्या वजह है कि हिन्दुस्तान में हमारी जो योजनाएं हैं और जो हमारा स्टैंडर्ड आफ लिविंग गिर रहा है उसका क्या कारण है और उन्होंने जो जवाब दिया था वह भी आपके सामने है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार की श्रम नीति है वह हमारे प्रदेश में फेल्योर की तरफ जा रही है और उसका सब से बड़ा उदाहरण है कि हमने जो य० पी० इंडस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट बनाया है उसकी दफा ३ के अनुसार इस सरकार ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले रखी है। आज जो मजदूर उम्मीद करते हैं जैसे कि आज भारतवर्ष का कोई मामूली आदमी है अगर उसके ऊपर जुल्म होता है तो उसका हक है कि वह अदालत में जा सकता है और हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में अपनी सफाई और सबूत पेश कर सकता है, लेकिन रिफ्रेंस के लिये मजदूरों के जो केसेज होते हैं वे एडजूडिकेशन में नहीं भेजे जाते हैं, जिसको सरकार समझती है वे ही भेजे जा सकते हैं और उनका एक खास यूनियन से संबंध रहता है और वे ही मामले भेजे जाते हैं और दूसरे यूनियन के मामले वहां नहीं पहुंच पाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि सरकार की इस श्रम नीति से मजदूरों को जो आज कांस्टीट्यूशन में हक मिला हुआ है पर नेचुरल जस्टिस का (उसका) उपभोग वे नहीं कर पाते।

श्रीमन्, आपके सामने मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं कि सहजनवां जूट मिल जिसके यूनियन का और मिल मजदूर सभा का मैं वाइस प्रेसीडेंट हूं वहां एक हजार मजदूरों को श्रीमन्, लाक आउट करके और इल्लीगल लाक आउट करके, मालिक से साजिश करके, एक पोस्ट कार्ड पर लिख दिया गया कि आपकी नौकरी की जरूरत नहीं है और सारे के सारे मजदूरों को एक हजार पोस्ट कार्ड पर लिखकर भेज दिया गया और निकाल दिया गया । इसी प्रकार से उचित मांगों को मांगने पर चीनी मिल में काम करने वाले ४,००० मजदूरों को आज १२ वर्षों से नाना प्रकार से निकाला गया । जब उन्होंने हड़ताल की तो उनको निकाल दिया गया । उसके बाद आज तक उनके केसेज को रेफरेंस में नहीं दिया गया । यही इस बात का सबूत है कि हमारी श्रम नीति कितनी कामयाब है, इतना ही नहीं है । अभी थोड़े दिन पहले यहां पर एक सवाल आया था और हमारी श्रम मंत्राणी जी ने जवाब के लहजे से कहा था कि मैं तो अनशन के बहुत खिलाफ हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी भी अनशन के खिलाफ है, लेकिन मैं सिद्धांत की बात कहना चाहता हूं । पूज्य बापू जिनकी तस्वीर इस आदरणीय सदन में लगी हुई है, उन्होंने इस अनशन के बारे में क्या कहा था ? उन्होंने कहा था--रेजिस्ट इविल, सफर नाट इनजस्टिस व्हेन यू फील हेल्पलेस फास्ट ऐंड प्रे ("Resist Evil suffer not injustice,. When you feel helpless fast and pray") मैं कहता हूं कि क्या कोई शौक है कि भूख हड़ताल की जाय । कोई मजदूर नेता भूख हड़ताल नहीं करना चाहता, लेकिन जब उसके सारे रास्ते सरकार को पूंजीवादी नीति के कारण बन्द हो जाते हैं तो उस समय मजदूर या मजदूर नेता के सामने कोई रास्ता नहीं रह जाता है इसके सिवा कि वह महात्मा गांधी के उन आदर्शों के मुताबिक भूख हड़ताल शुरू करे । इसलिये मैं चाहता हूं आपके द्वारा माननीय श्रम मंत्री से कि वह आज इस तरह की स्थिति न पैदा होने दें । मैं मिसाल के तौर पर आज माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि स्थिति क्या है । अभी एक माननीय सदस्य ने जो कांग्रेस के थे, हमारे पेश्तर बोलने खड़े हुये थे । उन्होंने कहा कि माननीय पांडेय जी ने यह कह दिया कि रजिस्ट्रेशन के मुताबिक जिस यूनियन की संख्या ज्यादा होती है उसको रेकगनीशन मिलता है । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि १९५० में जो शुगर सेंसस हुआ था जो कि इस सरकार ने एक जज द्वारा करवाया था, उसके मुताबिक किस यूनियन का बहुमत ज्यादा हुआ ? उस समय ७१ प्रतिशत वोट यूनाइटेड फेडरेशन को मिले थे और उसके मुकाबले में ३१ प्रतिशत वोट आई०एन०टी०यू०सी० को मिले थे । उस वक्त ९० हजार मजदूर ७१ चीनी मिलों में काम करते थे । एलेक्टोरल रोल जो बनाया गया उसमें ८३ हजार के नाम दर्ज थे । आज स्थिति यह है कि ६० हजार मजदूर चीनी मिलों में काम कर रहे हैं । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या चीनी मिल मालिकों ने एक भी मशीनरी अपने मिलों में बदली ? न रैशनलाइजेशन ही किया, न नवीनीकरण किया । वही मुहम्मद गजनवी के जमाने की मशीन चली आ रही है, लेकिन मिल मजदूर ९० हजार से घटकर ६० हजार पहुंच गये । उसके मुकाबले में काम का बोझ कितना बढ़ा ? पांच लाख टन चीनी का उत्पादन सन् १९५० में था १५ लाख टन हो गया । तीन गुना उत्पादन १९५० से १९६० के जमाने में बढ़ा लिया, लेकिन चौगुना लेबर फोर्स कम कर दिया गया । यह इस सरकार की श्रम नीति का जीता जागता नमूना है। मैं कहता हूं कि वर्क लोड बढ़ेगा तो टी०बी० का मर्ज बढ़ेगा, चाहे कानपुर के टैक्सटाइल मिल हों चाहे हमारे यहां के चीनी मिल के काम करने वाले हों, चाहे कपड़ा मिल के काम करने वाले हों, मैं कहता हूं, बहुत अदब के साथ कि आज माननीय मंत्री जी के पास इसका क्या जवाब है ?

आज कहा जाता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कायम रखो, औद्योगिक शांति रखो । औद्योगिक शांति पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने से इस प्रदेश में कायम नहीं रह सकती है । आज तो हमारे लेबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के फैसलों को जिनके ऊपर सन् १९६१ तक बोनस मिलता रहा, आज उस बोनस को काट दिया गया । आज

[श्री नरसिंहनारायण]

तो विन्ध्यवासनी प्रसाद जी के वेज स्ट्रक्चर की बेसिस पर बोनस तय किया जाता है जिसमें कि डेढ़ करोड़ की जगह ३८ से ४० लाख बोनस मिलने जा रहा है। तो कैसे औद्योगिक शांति होगी ?

मैं श्रीमन्, बहुत नम्र निवेदन वेजेज के बारे में भी करना चाहता हूं। यह पुस्तक है जो बंटी है और इस पुस्तक के पढ़ने के बाद मेरे सामने एक नक्शा आता है कि १२ साल के अन्दर सारे वेज के स्टैटिस्टिक्स को देखते हुये आज वेज गिरता जा रहा है। आज वह वेज नहीं रह गया है। सारे हिन्दुस्तान की और स्टैट्स के मुकाबिले में हमारा वेज स्ट्रक्चर सबसे कमजोर वेज स्ट्रक्चर है। तो मैं यह कहना चाहता हूं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि इसमें पर्याप्त सुधार की जरूरत है। इसीलिये मैंने अपने पहले भाषण के समय ही कहा था कि जब ऐसी हालत समाज में पैदा हो जाय कि हमारे श्रम की हालत सरकार की श्रम नीति के कारण अच्छी न हो सके तो उस समय हम समाजवाद की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक अधिनायकवाद और पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। यह सरकार आज श्रमनीति के मामले में पूंजीपतियों का साथ दे रही है, यह किसान और मजदूर का साथ नहीं दे रही है, चाहे वह एग्रीकल्चरल मजदूर हो, चाहे वह चीनी मिल का मजदूर हो, जूट मिल का मजदूर हो, किसी भी मिल का मजदूर हो, सरकार की श्रमनीति उसके हित में नहीं जा रही है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक निवेदन और करना चाहता हूं और वह यह है कि जब मैं यह कहता हूं कि नेशनलाइजेशन किया जाय तो मेरे पास नेशनलाइजेशन की बात करने के आधार हैं और इसलिये मैं कहता हूं चीनी मिल, जूट मिल, सूती मिल, चमड़ा मिल या और जितने बड़े बड़े कंसर्न्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनका नेशनलाइजेशन किया जाय और मैं यह भी निवेदन उसी के साथ करता हूं कि राष्ट्रीयकरण के साथ साथ आपका भी फर्ज होता है कि आप अपने को माडेल एम्प्लायर के रूप में रखें जिससे कि श्रमनीति के बारे में कोई यह न कह सके कि आप माडेल एम्प्लायर की हैसियत में भी प्राइवेट सेक्टर से भी खराब व्यवहार अपने मजदूरों के साथ करते हैं। श्रीमन्, बहुत से एवार्डस हुए, रिकमेंडेशंस हुये चाहे वह जूट वेज बोर्ड का रिकमेंडेशन हो, चाहे उनको इंटरिम रिलीफ देने की बात हो, चाहे चीनी मिलों का इम्प्लीमेंटेशन का प्रश्न हो, चाहे बोनस का प्रश्न हो, चाहे सूती मिलों के इम्प्लीमेंटेशन का प्रश्न हो, अभी भी मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। जहां पर यह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है वहां आप जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें और विन्ध्यवासनी प्रसाद जी का जो वेज बोर्ड का एवार्ड है उसको लागू करने के पहले एक दूसरा वेज बोर्ड आप बनावें जो सही तरीके से हमारी आज की हालत को आज की महंगाई को देखते हुये हमारी तनख्वाह को और हमारी और एमेनिटीज को दे सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्रम उपमंत्री, श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा को उत्तर देने के लिये बुलाने पर)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से नियमों के अन्तर्गत ....

श्री अध्यक्ष---माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी, यह पहले तय हो चुका है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---क्या तय हो चुका है ?

श्री अध्यक्ष---यही कि जवाब श्री बहुगुणा जी देंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---कब तय हुआ ?

श्री अध्यक्ष---सदन के सामने मैंने रखा था कि किस स्थिति में माननीय उपमंत्री जो आज जवाब दे रहे हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---लेकिन मेरे ख्याल से कोई दूसरा बोल नहीं सकता। यह बात दूसरी है कि वह बाहर चली जायं, लेकिन....

श्री अध्यक्ष---यह अधिकार सदन को है कि किसी भी नियम को वह निलम्बित कर सके ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---अध्यक्ष जी, इस श्रम बजट के संबंध में जो विवाद आज सदन में हुआ और उसमें जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उसके लिये मैं विभाग की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं । यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवाद की स्थापना अभी नहीं हुई । दिक्कत यह है कि बिना हमारी इस बात के ऐलान के कि ऐसा समाजवाद हमने स्थापित कर लिया, बिना हमारे इस कहने के कि ऐसा समाज आज स्थापित है कुछ उधर के माननीय सदस्यों ने यह सोच लिया है कि ऐसा समाजवाद हमारे यहां आ गया यह हमारा दावा है । मेरा नम्र निवेदन आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह है कि समाजवाद के समाज की स्थापना में हर समाज को एक कीमत चुकानी पड़ती है । वह कीमत चुकाने के पहिले वह समाजवाद आता नहीं है । इस प्रदेश में वह समाजवाद अगर लाना है तो उसकी कीमत चुकानी होगी और अगर रास्ते तय करने की बजाय माननीय सदस्य समाजवाद की स्थापना की बात करें या परेशानी की बात करें तो लाचारी होगी । वह समाजवाद लाने में और उस चीज को स्थापित करने में देर लगेगी । मुझे भरोसा है कि इन सारे तथ्यों को सामने रखकर जितनी आज बहस हुई है माननीय सदस्य उसको समझने की चेष्टा करेंगे ।

दूसरी बात मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि कहा गया कि हमारी कोई श्रम नीति नहीं है । तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज स्थिति ऐसी नहीं रही कि कोई आदमी एक चीज कह देता है तो उसको दूसरे ने समझ लिया । वाकई समझना नहीं है जो उसको कौन समझ ले, लेकिन यदि कोई उसके समझने को समझा नहीं है तो फिर समझाना मुश्किल होता है । मान्यवर, हमारी श्रम नीति हमारे कामों के द्वारा झलकती है और हमारा जो कांग्रेस का बुनियादी इंडस्ट्रियल पालिसी का रेजोलूशन है उसमें वह निहित है । मुझे खुशी होती अगर इस सदन में आज कहा जाता कि इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोलूशन के फलां पैराग्राफ के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने फलां काम किया है तो वह बात मेरी समझ में आती और उसको मैं चूक मानता कि यह गलती हो गई । किसी माननीय सदस्य को हमारी नीति पढ़ना जानना है तो वह इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोलूशन जैसा कि हमारी पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा बराबर दोहराया गया, परिष्कृत किया गया और परिशोधित किया गया है उसको देखने की कृपा करें । तब उनकी समझ में आ जायगा कि हमारी श्रम नीति क्या है । हमारी नीति यह है कि उत्तर प्रदेश में और भारत देश में धन बढ़े, और उद्योग बढ़े, लेकिन बढ़ता हुआ धन और बढ़ता हुआ उद्योग, जैसा कि एक बार पं० जवाहर लाल ने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि हमें दिलचस्पी नहीं होगी अगर वह बढ़ता हुआ धन और बढ़ता हुआ उद्योग समाज के कल्याण के काम में न लगे । अगर वह पैदा करता है आर्थिक असमानता तो हमें उसमें दिलचस्पी नहीं होगी । अगर उससे आर्थिक समानता पैदा कर सकते हैं और उससे सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि तैयार होती है तो ऐसी प्रगति में हमको दिलचस्पी होगी ।

अब देखने की बात यह है कि जो हमने काम किये हैं उनसे सामाजिक न्याय की नींव डालने की बात स्पष्ट होती है या नहीं ? जो समाजवाद आज इस देश में स्थापित करना है उसके अनुसार काम किये हैं या नहीं । मैंने पहले कहा था कि हमारा यह दावा नहीं है कि हमने सब को सुख दे दिया और सब को साधन सम्पन्न बना दिया या जो सारे प्रदेश और देश में बुनियादी मौलिक सवाल हमारे सामने थे और हैं, उनको तय कर दिया । हम तो उस रास्ते के मुसाफिर हैं और उस रास्ते पर चलने के हमारे एक एक पड़ाव हैं । हमारे हर रास्ते को रोक और मंजिल नहीं है बल्कि पड़ाव हैं । अभी हमने कुछ ही पड़ाव तय किया है । पिछले १० साल से जबसे हमारा देश रिपब्लिक घोषित हुआ है तब से उस पड़ाव को सीढ़ीदर सीढ़ी तय करने की तरफ हम आगे चलते गये हैं । मैं निवेदन करूंगा कि इस पृष्ठभूमि

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

में हमारी श्रम नीति को देखने की चेष्टा करें। जब कभी हम श्रमिकों के जीवन को और उनकी नौकरी की शर्तों को बेहतर कराने की कोशिश करते हैं तो हम आगे जाते हैं उस सीढ़ी की तरफ और उस सीढ़ी के जरिये से उस समाज की तरफ जिस समाज के बनाने की कुछ सदस्यों की बात नहीं, बल्कि सभी सदस्य जिसको स्वीकृत करते हैं। अब अगर यह कहा जाय कि नहीं, यह सीढ़ी तो ऊंची होनी चाहिये या इतनी नहीं होनी चाहिये तो उससे मुझे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर यह कहा जाय कि सीढ़ी दिखायी ही नहीं देती तो मान्यवर, एक बार महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों के लिये कि "सीईंग दे सो नाट, हियरिंग दे हियर नाट।" अगर मैं कहूं कि उधर बैठे हुये कुछ सज्जन इसी प्रकार के हैं तो यह कोई अतिशयोक्ति न होगी। मैं उनकी बात समझता और सुनता हूं और मैं मानता हूं कि हमारी जो मंजिल है उस तक पहुंचने के लिये बहुत सी सीढ़ियां लगानी होंगी, लेकिन एकाएक सीढ़ी इतनी ऊंची कर दी जाय कि समाज की टांग उस तक न पहुंच सके तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। हमारी मंजिल की ऊंचाई है और उसे तय करने में समाज कितनी लम्बी टांग रख सकता है इसके अनुसार ही हमारी सीढ़ियों की ऊंचाई होनी चाहिये। जहां कहीं बोनस की बात हुई है, नौकरी की शर्तों की बेहतरी बात हुई है, उन सब को हमने त्रिदलीय समितियों द्वारा हल करने की चेष्टा की है। यह हमारे प्रयास हैं जिन के द्वारा हम नये समाज को बना रहे हैं और वे काम जो समय समय पर इस सम्बन्ध में होते हैं सब साधन मात्र हैं, साध्य नहीं। साध्य बहुत दूर है। इन साधनमात्रों के जरिये उस साध्य तक पहुंचने की चेष्टा की जा रही है, इस बात की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक बात और कही गयी और वह बुनियादी बात है और वह यह कि हमारे प्रदेश की सरकार की श्रमनीति में एक बुनियादी खराबी है और वह यह कि हम किसी एक दल विशेष के बड़े हामी हैं और ट्रेड यूनियन आन्दोलन को सफल और सफलीभूत होते देखना नहीं चाहते और उसी सिलसिले में मैं यह कहूंगा कि यह जो लांछन है यह विशेषतौर से सिर्फ एक ही ओर से आया। मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि यह बात सब लोगों ने नहीं कही। दो या तीन सज्जनों ने इस तरह की बातें कहीं। एक इशारा इस तरफ माननीय नरसिंह नारायण जी ने किया और दूसरे दो एक दोस्तों ने बिलकुल कम या कहूं कि उस तरफ केवल इशारामात्र किया, इशारा करने की कोशिश की, वैसे इशारा भी काफी नहीं था, क्योंकि तथ्य अनुकूल नहीं थे। यह कहा कि हम तो तमाम मदद आई०एन०टी० यू०सी० की ही करते हैं। आंकड़ों के द्वारा मुझे यह साबित करने में ज्यादा झंझट न होगी कि हम इस लांछन के योग्य नहीं हैं। हमारे हाथ साफ हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन के बारे में एक बात माननीय सदस्यों को स्वीकार करनी पड़ेगी। कोई भी सरकार ट्रेड यूनियन आन्दोलन पैदा नहीं कर सकती। यह ट्रेड यूनियन आन्दोलन को सहायता दे सकती है, लेकिन पैदा होने में केवल दाई का काम कर सकती है, बच्चा नहीं बन सकती। वह बच्चा पैदा होने में मदद दे सकती है। हम ट्रेड यूनियन बना नहीं सकते, वह तो उनका काम है कि जो मजदूरों के बीच में काम करने की कोशिश करते हैं।

एक सदस्य--आप ट्रेड डिस्प्यूट बना सकते हैं, वह पैदा कर सकते हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--हम ट्रेड डिस्प्यूट बनाने वालों को राहे रास्त पर लाने की चेष्टा करते हैं। खैर, जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन में किसी फेडरेशन की मजदूरों की मेम्बरशिप ज्यादा है और उसकी मान्यता उस प्रकार नहीं होती जिस प्रकार की होनी चाहिये और जिसे सभी ट्रेड यूनियन्स ने जिस आधार को स्वीकार कर लिया है तो मैं बहस के लिये तैयार हूं। मेरा निवेदन है कि यहां हमारी लाचारी है। माननीय नरसिंह नारायण जी को सन् १९५० भूलता नहीं। उस समय से आज तक न जाने कितना पानी समुद्र में बह कर पहुंच गया, किन्तु वह एक ही बात को याद रखते हैं, और उन्हें याद है कि कोई यूनाइटेड लेस चीनी मिल मजदूर फेडरेशन रहा। उन्हें याद है कि ७१ फीसदी मजदूरों के वोट पड़े थे उस फेडरेशन का उन के

पक्ष में, लेकिन यह उन्हें याद नहीं रहा कि उसके बाद उस कागज को स्याही सूखने भी न पायी थी कि यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन डिसयूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन बन गया और उन्हें शायद यह भी याद नहीं है कि....

श्री नरसिंहनारायण––मान्यवर, मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी को अभी भी स्वीकार हो और वे यह समझते हों कि यह यूनियन कमजोर है तो मैं चैलेंज करता हूं। वे आज ही पैसस करा लें। अगर उनको ३० परसेंट वोट भी पड़ जायें तो हमारी यूनियन को कोई रिकग्निशन न दिया जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा––उस समय जिसको जिसे वोट देने की बात थी वह तो तय हो गयी, लेकिन यदि अब वे वोटिंग कराना चाहते हैं तो वह वोटिंग तो फेडरेशनों से सम्बन्धित यूनियन के मेम्बरों के बीच होगी। मैं यहां किसी फेडरेशन का नुमायन्दा नहीं हूं जो उनकी बात का जवाब दूं अथवा उनका चैलेंज स्वीकार करूं। मैं तो इसकी बाबत जो सरकार का विचार है वही बतलाऊंगा।

तो नरसिंह नारायण जी यह भूल गये और सन् १९५० की बात उनको याद रही। जिस समय वह वोटिंग हुई उसके बाद दो पत्र प्रदेश की सरकार के पास आये। एक तो भेजा था श्री शिब्बन लाल जी ने या उनकी तरफ से बी०डी० शुक्ला के उस पर हस्ताक्षर थे या उन्हीं के हो सकते हैं और दूसरा भेजा था श्री ब्रजकिशोर शास्त्री ने। उन्होंने कहा कि हम फेडरेशन हैं, उन्होंने कहा कि हम फेडरेशन हैं। अब यह उसी तरह हो गया कि एक पैसा सड़क पर गिर पड़ा दो आदमियों में झगड़ा हुआ––एक बोला मेरा पैसा दूसरा बोला मेरा पैसा। उनमें लाठी चल गयी। (व्यवधान) पुलिस ने उनको बन्द कर दिया। तो इसी तरह की मान्यवर दिक्कत इसमें है। बात यह है कि कड़वे तथ्य जरा कड़वे ही होते हैं, उनमें हम कितनी ही चीनी मिला दें, वे मीठे नहीं हो सकते। तो उस वक्त हमने यही कहा कि हम झगड़ा नहीं मोल लेना चाहते, हमसे उसका ताल्लुक नहीं।

श्रीमन्, सन् १९५७–५८ के बाद जो निश्चय हुये हैं उनको शायद माननीय नरसिंह नारायण जी भूल गये, माननीय यूसुफ जी को याद होगा नैनीताल में जो कांफ्रेंस हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि यूनियनों को मान्यता का आधार ट्रेड यूनियन की रजिस्टर्ड मेम्बरशिप होगी, दूसरा और कोई आधार नहीं हो सकता। अगर कोई ट्रेड यूनियन का फेडरेशन समझता है कि उसने अपनी मेम्बरशिप की गलत संख्या दी है तो वह उसको चैलेन्ज कर सकता है। इस सदन में कोई यह नहीं कर सकता कि हमने इतने यूनियन की मेम्बरशिप को चैलेंज किया और उसकी मुनासिब जांच नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो हम समझते कि सरकार दोषी है। आप यह चाहें कि उनका बहुमत तो न हो और हम उनको बहुमत में मान लें, तो ऐसी धृष्टता सरकार नहीं कर सकती।

दूसरी बात यह कही गयी कि हम आई०एन०टी०यू०सी० को काफी रुपया देते हैं उसकी मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यवर जो रुपया ट्रेड यूनियनों को बांटा गया उसके सब आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, उस सब के देने में तो समय लगेगा, लेकिन मैं १९६१–६२ में जितनों को रुपया दिया गया वह बताता हूं। इसमें श्रीमन्, २८ यूनियनों को दिया गया आई०एन०टी०यू० सी० को और १७ बाकी यूनियनों को दिया गया। आई०एन०टी०यू०सी० के मेम्बरों की संख्या १.४ लाख है जब कि और सब ट्रेड यूनियनों के मेम्बरों की संख्या ०.५१ लाख है। इस हिसाब से अगर आप देखें तो उनका रेशो १४.५ का है। जो ग्रान्ट्स इन एड हम I.N.T.U.C. को देते हैं वह उनको रेशो से भी कम देते हैं मैं तो यह कहना चाहता हूं कि भविष्य में जो पैसा उनको दिया जाय वह उनके मेम्बरशिप को ध्यान में रख कर उनके रेशो के हिसाब से दिया जाय। यह गलत बात है कि जो कम तादाद में हों उनको ज्यादा पैसा मिले और जो ज्यादा तादाद में हों उनको कम पैसा मिले। आई०एन०टी०यू०सी० को तो जितनी सहायता कायदे के अनुसार मिलनी चाहिये थी वह भी नहीं मिली। यह गलत बात है कि किसी डर की वजह से हम उनको कायदे के अनुसार

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

भी पैसा न दें। अगर हमने दूसरी यूनियनों को उनके रेशो से कम रुपया दिया होता तो शिकायत हो सकती थी, हमने तो उनको ज्यादा दिया और आई०यन० टी०यू०सी० को तो उनके अनुपात से कम पैसा दिया। मुश्किल हमारी यह है कि कुछ लोगों की नजर इनके कान और इनकी आंख एक ढंग के बन गये हैं और जब उस ढंग की नजर बन जाय और वह दूर तक न देख सकें तो साथ ही एक बीमारी होती है जिसमें करीब की चीज भी नहीं दीख पड़ती, तो उसके लिये चश्मा मेरे पास नहीं है जो करीब की चीज दिखा दूं, मैं लाचार हूं।

एक बात और कही गयी कि अब ट्रेड यूनियनों का सेंसस करा लो और यह दावे से कहा गया। यह तो ऐसी बात है जैसे कहा जाय कि कोई व्यक्ति यह नैपाल के जो पड़ोस के गांव पड़ते हैं वहां उत्तर प्रदेश की एसेम्बली के लिये वोट डलवा लो या पाकिस्तान वालों के वोट डलवा लो और देखो कि हमसे जीतते हैं या नहीं। इस तरह से ट्रेड यूनियनों की मान्यता न मानी गयी है और न आगे कभी यह सरकार मानेगी। हां, सन् १९५० में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक काम किया था और मैं समझता हूं वह उत्तर प्रदेश के ट्रेड यूनियन आन्दोलन का एक सुनहला दिन नहीं था, एक अंधेरा दिन था जिस दिन वह निश्चय किया गया। क्योंकि ट्रेड यूनियनों की मान्यता के सिलसिले में वही लोग कोई निश्चय कर सकते हैं जो पैसा देकर किसी यूनियन में अपनी आस्था बनाते चलते हैं कि कौन ट्रेड यूनियन प्रतिनिधित्व सही करती है। कानपुर में सूती मिल मजदूर सभा है, वह चलती है, उसके पीछे ताकत होगी, उसको रोका नहीं गया, लेकिन यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन १० सालों में १० बार मरी और फिर जिन्दा हुई। हर शुगर सीजन में जिन्दा हो जाती है और आफ-सीजन में मर जाती है। पुनर्जन्म की थ्योरी अगर कहीं सिद्ध होती है तो वह यूनाइटेड चीनी मिल मजदूर फेडरेशन से साबित होती है। तो हमारी नीति उत्तर प्रदेश में यह है कि एक ठोस ट्रेड यूनियन आन्दोलन यहां आगे बढ़े, हम उसको प्रोत्साहित करें और उसकी मदद करें, लेकिन जो आन्दोलन राजनीतिक कारणों से चलते हैं और जिनके पीछे व्यक्ति-वाद हो तो उनसे कोई सहानुभूति इस प्रदेश की सरकार को हो नहीं सकती, यह स्पष्ट है।

यह कहा गया कि आई०एन०टी०यू०सी० की मदद हम एक तरह और करते हैं कि एक तो पैसा देते हैं, दूसरे उनके मुकदमे जल्दी जल्दी अदालत में ज्यादा से ज्यादा भेज देते हैं और दूसरी पार्टियां जो मसले उठावें तो उनको अदालत में नहीं भेजते हैं। लाचारी यह है कि कौवा कान ले गया तो कान पर हाथ नहीं गया, बल्कि शहर में देखते फिरे कि कान कहां है, अगर यह स्थिति है तो लाचारी है, लेकिन कान पर हाथ रख कर देखा जाय तो बात दूसरी दिखाई पड़ेगी। हमारे सामने जो इस सम्बन्ध में तथ्य हैं, जो परसेंटेज मुकदमों का है १९५९, १९६० और ६१ का है वह मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। १९५९ में आई०एन०टीयू०सी० के ३२ परसेंट मुकदमे गये, आई०टी०सी० के ६१ परसेंट, एच०एम०एस० के ५० प्रतिशत यू०टी० सी० के ३० प्रतिशत और अदर्स के ३३ प्रतिशत। १९६० में आई०एन०टी०यू०सी० और अन्य संस्थाओं का इसी प्रकार से है। १९६१ में आई०एन०टी०यू०सी० के ५२ प्रतिशत, आई०टी० सी० के ५० प्रतिशत, एच०एम०एस० के ५१ प्रतिशत, यू०टी०सी० के ५७ प्रतिशत और अदर्स के ४० और ४४ प्रतिशत हैं। अगर ये आंकड़े हमारी निष्पक्षता साबित नहीं करते तो मैं यही कहूंगा कि कोई शब्द हमारे पास नहीं हैं जिनसे वह साबित हो सकेगी और अगर माननीय सदस्य बिना सबूत अपनी बात दोहराना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

एक बात और कही गयी। मैं ऐसा समझता हूं कि जो श्रम नीति के सम्बन्ध में एक बुनियादी बात उधर से कही गयी वह यह थी कि हमारी जो मशीन है वह बड़ी ढीली-ढाली है, उसमें समय बहुत लगता है और पूंजीपति उसके द्वारा ठीक कब्जे में नहीं आ रहा है। यह भी कहा गया कि पीनल प्रावीजंस जरा सख्त हों, जैसा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है उसी तरह का सिलसिला यहां बैठाया जाय। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के जो कानून होते हैं उनमें क्रिमिनल ला के आधार के प्राविजन किसी देश में नहीं डाले जाते।

श्रमिक आंदोलन और उनका जो सामाजिक न्याय है उस हद तक जाने की बात नहीं होती, लेकिन कानूनों में व्यवस्था है कि अगर किसी श्रमिक के न्यायोचित हक को देने के सिलसिले में कानून की अवहेलना की जाती है तो उसके लिये सजा और जुर्माना दोनों की व्यवस्था है हालांकि उसकी आवश्यकता कम पड़ती है बावजूद इसके कि काफी प्राजीक्यूशन्स होते हैं। कहा जाता है कि बड़ी देर लगती है। हर तीसरे महीने हम उसको एनालिसिस करते हैं कि कन्सीलियेशन, एडजुडीकेशन लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिबुनल के केसेज में कितने रोज लगे। हमारा औसत आता १०६ दिन का लेबर कोर्टस में और ९० रोज का इंडस्ट्रियल कोर्टस में, रेफ्रेंस के दिन से शुरू होता है। अब कंसीलियेशन और एडजुडीकेशन का जिनको अनुभव है, मेरा अपना तो अनुभव है हो, वह जानते होंगे कि अगर एडजर्नमेन्ट्स को भी कम्पाइल किया जाय--यह एडजर्नमेन्ट मजदूर खुद मांगते हैं और जो मालिक मांगते हैं--उसकी वजह से जो देर लगती है तो काफी फर्क पड़ सकता है। तीन महीने के अन्दर जो केसेज फैसल होते हैं, मैं समझता हूं उससे जल्दी हो सकना मुश्किल है। फिर भी हमारी यह धारणा है कि जितनी जल्दी हम कर सकें करें। हां कंसीलियेशन बोर्ड में एक बात है। मजदूर एप्लीकेशन लगाता है और फिर कंसीलियेशन आफिसर डेट देता है। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या एप्लीकेशन देने के साथ-साथ उसका कुछ काम बन सकता है या नहीं ?

एक बात यह कही जाती है कि कन्सीलियेशन आफिसर और लेबर कमिश्नर को और ताकत दो। मान्यवर, हमारी बदकिस्मती यह है कि जिस जमाने में उनके पास ताकत थी तब उसको पसन्द नहीं किया जाता था, उस तरफ से ही उसकी चर्चा होती थी कि उसको खत्म करो। और आज जो मशीनरी है वह हमारे मन की अपनाई नहीं है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट में जो तरमीम सेंटर में हुई उस वक्त भी जब इंडियन लेबर कांफ्रेंस के फैसले ट्रिपार्टाइट नेचर के हुये उसमें यह आया कि किस तरह के जजेज एडजुडीकेशन करें, उनके हाथ में देना बड़ा मुश्किल पड़ गया।

जहां तक श्रम विभाग के अधिकारियों को और पावर्स देने की बात है वह देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ हो सकेगा करेंगे, लेकिन यह मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं कि सरकार का रोब-दाब या सरकार की शक्ति का जो न्यायोचित रूप से श्रमिकों को फायदा मिलना चाहिये उसके देने में हम असमर्थ रहे हैं। हम जानते हैं कि कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य करने की यह शैली रही है कि जहां कहीं भी हम सरकार की शक्ति से मजदूरों की न्यायोचित मांगें पूरी कराने में सहायक हो सकते हैं, उसको करने की चेष्टा करते हैं। एक बात यह कही गई कि रजिस्ट्रेशन आफ ट्रेड यूनियन्स में गड़बड़ करते हैं, कुछ में करते हैं और कुछ में नहीं करते हैं। जो ट्रेड यूनियन्स के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जानते हैं वह जानते होंगे कि रजिस्ट्रेशन होने के दिन वह यह नहीं लिखते कि फलाने से अफीलियेट होंगे तो फिर क्या कोई सपना हो जाता है कि फलानी जगह जायेंगे उसको रोक दो।

रोडवेज कर्मचारियों की यूनियन की भी चर्चा की गई। मान्यवर, मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला किया है कि सरकारी नौकरों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं होगा। उस फैसले के बाद सारे हिन्दोस्तान के अन्दर एक समस्या खड़ी हो गयी कि सरकारी कर्मचारियों के यूनियन का रजिस्ट्रेशन करें या न करें। उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने यह समस्या आयी कि अगर सरकार किसी यूनियन को रजिस्टर कर देती है तो दूसरे दिन ही उसके विरुद्ध रिट हो सकती है, क्योंकि आपस में विरोधी तो होते ही हैं। इसलिये एडवोकेट जनरल से इस बारे में राय ली गयी और उसके बारे में जो हमारे सामने राय आयी है उसमें एक सीमा बांध दी गयी है। तो उस बारे में हम जो कर सकेंगे करेंगे। अभी सिर्फ हाईकोर्ट की नजीर हुई है और किसी कोर्ट का फैसला नहीं हुआ। फिर भी मद्रास हाईकोर्ट का फैसला और एडवोकेट जनरल की राय को सामने रख कर हम जो कुछ कर सकेंगे करेंगे। जितना हमें करना होगा करेंगे, शेष आगे देखा जायगा। इसके यह माने नहीं कि अगर एक उग्रसेन जी के यूनियन को रजिस्टर नहीं किया तो देश में समाजवाद ही आने वाला नहीं है।

श्री उग्रसेन—सीमेंट फैक्टरी में आपने उस मद्रास के फैसले को लागू नहीं किया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय उग्रसेन जी को एक बात मालूम होनी चाहिये कि रजिस्ट्रार क्वासी जुडीशियल अथोरिटी है, उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भले ही हमारा हो। वह किसी पार्टी को फेवर कैसे कर सकता है? गवर्नमेन्ट उसको डिक्टेट नहीं कर सकती। गवर्नमेन्ट तो सिर्फ कुछ मामलों में उसको परामर्श ही दे सकती है, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती।

एक बात और कही गयी कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में श्रम कानूनों और निर्णयों के इम्प्लीमेंटेशन का बुरा हाल है। युसूफ साहब ने कहा कि सिर्फ ३२ प्रतिशत का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। मेरा खयाल है वे किताब को कुछ उल्टा पढ़ गये। जिस साल की उन्होंने चर्चा की उसमें ६८ प्रतिशत केसेज में इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। ४२१ को इम्प्लीमेंट होना था जिसमें से ११८ या ११९ बाकी रह गये। इनमें से ११ केसेज ऐसे थे जिनमें मालिक कहते थे कि इम्प्लीमेंट हो गये हैं, लेकिन मजदूर कहते थे नहीं हुए। कुछ मजदूर यूनियन्स से पूछा गया तो उनका कोई जवाब नहीं आया। अब १०८ रह गये। इनमें से कुछ में कोर्टों से स्टे आर्डर आया हुआ है। अब कोई अन्तिम आज्ञा हो तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाय, लेकिन फिर भी हमने उनको इम्प्लीमेंट न होने वाले कालम में रख दिया है। इस प्रकार से ६८ प्रतिशत तो आलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। शेष में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और यूनियन की ओर से या मालिकों की ओर से जवाब न आया, ये चन्द बातें रास्ते में हायल हो रही हैं।

श्री उग्रसेन—इस पुस्तिका के पेज १७५ पर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि ४२१ में से २५१ को ही इम्प्लीमेंट किया गया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के न पालन करा सकने की बात है उसके बारे में बहेड़ी का तजकिरा किया गया। बहेड़ी के केस में सुप्रीम कोर्ट नें कोई फैसला नहीं किया उसको केवल रिट्रायल के लिये वापस भेज दिया है और जहां तक मुझे याद पड़ता है वह अभी तक हाईकोर्ट के विचाराधीन है। अब किस का इम्प्लीमेन्टेशन कराया जाय। (श्री उग्रसेन के कुछ कहने पर) मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन ला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री उग्रसेन जी, अभी आपने कहा कि हम कड़वी दवा पिला रहे हैं। तो दवा तो आपने पिला ही दी, अब क्या आप उनको बोलने भी न देंगे?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कानपुर की मिलों के अन्दर बढ़ापे को लेकर मजदूरों से कुछ झगड़ा पैदा हो गया है, मैं समझता हूं कि कानपुर की स्थिति कोई गंभीर नहीं है, लेकिन इस स्थिति में एक अंकुर है गंभीरता का और हम उससे खुद चिन्तित हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उस संबंध में हमने अपने श्रम आयुक्त को जो आदेश दिया है उस आदेश के अनुसार काम कर लेना काफी होगा और उससे स्थिति सुधर जायगी। यदि फिर भी स्थिति बिगड़ती जायगी तो सरकार हायर लेविल पर उस संबंध में बातचीत करके कोई रास्ता निकालने की चेष्ठा करेगी। मैं मानता कि कानपुर के मजदूरों में डाक्टर सम्पूर्णानन्द एवार्ड के न आने से बैचैनी होगी, लेकिन जब कानपुर के मजदूरों और मिल मालिकों ने एक आर्बीट्रेटर स्वयं बनाया और जब वे अपना एवार्ड भेजने ही वाले हैं तो उसे सब को स्वीकार करना पड़ेगा। चाहे उग्रसेन जी कितना भी धमकायें, लेकिन यह अशोभनीय है कि मैं इसे जल्दी एवार्ड दे देने के लिए आर्बिट्रेटर से कहूं। ऐसा अशोभनीय कार्य करने में अपने को मैं लाचार पाता हूं। यह आशा की जाती है कि डाक्टर संपूर्णानन्दजी स्वयं उस फैसले को शीघ्र से शीघ्र यहां भेजने वाले हैं और उसमें जो कुछ भी इम्प्लोमेंट करना सरकार के लिये आवश्यक होगा उस तरफ कदम उठाने में वह किसी तरह की देर नहीं करेगी।

जहां तक शुगर बोनस का संबंध है, शुगर इंडस्ट्रीज के लिये एक वेज बोर्ड बैठा, लेकिन उस वेज बोर्ड के कांस्टीट्यूशन पर हमारे कुछ दोस्तों की अच्छी राय नहीं है। वे कहते हैं कि उसमें

कुछ खराब लोग बैठ गये हैं। जितने भी अच्छे लोग हो सकते थे, केन्द्रीय सरकार ने अपनी अक्ल से उसमें अच्छे लोगों को बिठाया और उनका जो फैसला हुआ उसे मजदूरों को स्वीकार करना पड़ेगा। उसके मुताबिक एक करोड़ से ऊपर का ही पे बिल बढ़ा होगा जब कि ३८ लाख रुपये को उसमें मिला देते हैं। माननीय सदस्य एक ओर तो वेज बोर्ड को स्वीकार करते हैं और दूसरी ओर एल०ए०टी० का बोनस फार्मूला स्वीकार करते हैं यानी कुछ तीतर और कुछ बटेर का मिला कर वे तो ेश करना चाहते हैं, जो उचित नहीं है।

एक बात अथर्टन वेस्ट मिल व एलगिन मिल नं० २ की बात कही गयी कि वहां वेज बोर्ड को लागू नहीं किया गया और.....

श्री सन्तसिंह यूसुफ—ढाई साल हो गये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—जहां तक मुझे याद है यह सन् १९६२ है और सन् १९५९ में ही वे मिलें चालू की गयीं। अथर्टन वेस्ट मिल को चलाने के लिये कहां तक सरकार को बधाई दी जाती कि उसने इतना बड़ा रिस्क लेकर उसे चला दिया कि इतने सारे मजदूर उसमें लग गये। आज कहा जाता है कि चूंकि वहां बेज बोर्ड के अनुसार ६ रु० की बढ़ती मजदूरों को नहीं दी गयी इस लिये उनको ८०-९० रुपये महीना देना भी बेकार-सा है। अब मैं क्या कहूं, अगर माननीय सदस्य को उसमें इतनी दिलचस्पी है तो उनको दिल्ली की सरकार से भी इस सम्बन्ध मे बातचीत करनी चाहिये थी तब शायद वहां वेज बोर्ड वाली बात लागू हो सकती। हम अपने मन से कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके लिये कोई रास्ता निकालें जिससे यह समस्या हल हो सके।

एक बात और कही गयी कि हमारे यहां के खेतिहर मजदूरों की कोई चर्चा नहीं की गयी। आखिर खेतिहर मजदूरों की चर्चा कैसे होती है जब हरिजन वेलफेयर का बजट आया तब खेतिहर मजदूरों की चर्चा आई, टेक्स टायल मिल मजदूरों के लड़कों को पढ़ने के लिये हम वजीफे नहीं देते, खेतिहर मजदूरों के लड़कों को ही वजीफे देते हैं। टेक्सटायल मिल के मजदूरों के लिये कुयें बनवाने के लिये हम रुपये नहीं देते या उनके यहां पानी के बम्बे नही लगवाते, बल्कि हरिजन सहायक विभाग से, और नियोजन विभाग से पानी के लिये पानी के कुओं के लिये उन्हीं को रुपये मिलते हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, जो वह कह रहे हैं इसका कोई वास्ता इस विवाद से नहीं है।

श्री अध्यक्ष—यह गलत तरीका है जो वह कह रहे हैं अब आप उसको शान्ति से सुनें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं तो वाकयात बता सकता हूं और वह चीज तो बांट नहीं सकता जिससे वाकयात समझ में आ सकते हैं। मैं कह रहा था कि हरिजन विभाग भी उस काम को करता है इसी तरह से अगर देखा जाय तो उनके मकानों की व्यवस्था के लिये भी बजट में पैसा है, बच्चों की ट्रेनिग के लिये, उनके वजीफे के लिये इसी बजट में व्यवस्था है। इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग का इंतजाम हम करते हैं जिसमें उनको १८ महीने तक २५ रुपया माहवार मिलता है और उसके बाद जब वह क्रेफ्ट्समेन बन जाते हैं तो ६ महीने उनकी एप्रिन्टेसशिप के जमाने में भी वह मिलता रहता है। इस तरह से उनके सारे जीवन को शुद्ध करने के लिये उसे उपयोगी बनाने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में सरकार ने बजट रखा है। इसलिये यह कहना गलत है कि हम ने खेतिहर मजदूरों के लिये कुछ नहीं किया। यह जरूर है कि इस बजट में, इस अनुदान में तो केवल न्यूनतम वेतन या वेजेज का प्रश्न ही दिखाई देगा और इस दिशा में सब जानते हैं कि हम बराबर ऊपर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आज दस आने से १ रुपया और १.२५ नया पैसा और १.५० नया पैसा न्यूनतम मजदूरी की गई है, १.२५ नया पैसा पूर्वी जिलों के लिये और १.५० नया पैसा पश्चिमी जिलों के लिये पहाड़ को छोड़कर और तराई भावर को

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

लेकर सब लोग इस विषय पर बोले, लेकिन माननीय बलवान सिंह जी ने उज्र कर दिया, लेकिन उनके नेता माननीय गेंदासिंह जी जो न्यूनतम वेजेज की एडवाइजरी कमेटी के सदस्य थे उनकी सिफारिश से ही हमने उनको निर्धारित किया और उनकी सिफारिश से हमने ५--७ पैसे अधिक ही रखे, लेकिन बलवानसिंह जी को अब भी शिकायत है। मान्यवर, राय से ज्यादा मुफ्त में और कोई चीज नहीं दी जाती, वह हमारी बात न माने, लेकिन उनकी आलोचना का कोई आधार नहीं है। तो जो कुछ सरकार कर सकती थी वह उसने किया है और जो कुछ कमियां और खामियां हैं भी उनको दूर करने के लिये सरकार जो भी उचित कदम होंगे वह उठायेगी और उसमें पीछे न रहेगी।

मैं अपने एक मित्र को मुबारकबाद देना चाहता हूं, माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने एक लेबर इंस्पेक्टर के बारे में कहा कि एक इंस्पेक्टर कहां-कहां देखे। जिन लोगों ने मजदूर शब्द को समझा है और उन आन्दोलनों को देखा है। वह जानते हैं कि दुनिया की किसी सरकार ने बिना मजबूत ट्रेड यूनियन आन्दोलन के द्वारा मजदूरों के हितों के किसी भी काम को करने में कभी समर्थता पैदा नहीं की। सोवियट रूस जैसे उन्नतिशील देश में भी जो अपने यहां प्रोटेरियेट को मजबूत मानते थे उन्होंने भी मजदूर आन्दोलन को ट्रेड यूनियन्स से ही विकसित किया है। मैं अब उन लोगों को दावत देता हूं कि जो खेतिहर मजदूरों के आन्दोलन के बड़े भक्त हैं और जो उनकी तरक्की चाहते हैं वह मुझे खुशी होगी कि जाकर गांव गांव में उनकी यूनियन्स बनावें। आज उन गरीबों के दिलों में झांकने की जरूरत है। खेतिहर मजदूरों के कल्याण का काम कोई सरकार यहां से नहीं कर सकती, लखनऊ से बैठकर नियम कानून से उन का कोई कल्याण नहीं हो सकता, यह तो सदन के सदस्यों और जनकार्यकर्त्ताओं का काम है कि वह ब्लाक ब्लाक में जाकर उन के संगठन बनावें और मेरा आप से सुझाव है कि ब्लाक स्तर पर खेतिहर मजदूरों की यूनियनें बनें। मैं जानता हूं कि इस नये काम को उठाने में काफी दिक्कतें आयेंगी, दफा १०७, ११७ और ए-५१ सामने आयेंगी, क्योंकि जो हलचल और दिक्कत उसके रास्ते में शहरों में आती है उससे अधिक दिक्कत गांवों में आयेंगे। हम इसको जानते हैं कि डोली न उठाने की जरा सी बात को लेकर कांग्रेस ने इलाहाबाद में एक सीट खोई, खैर उसूल के नाम पर हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर किसी के दिल में खेतिहर मजदूरों के लिये हमदर्दी है तो उन खेतिहरों की ट्रेड यूनियंस बनाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--श्रीमन्, समय तो समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष--अभी तो आधे घंटे का समय बढ़ा है, अभी समय है। ३० मिनट तक था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---पब्लिक सेक्टर के संबंध से जो चिन्ता प्रकट की गयी वहां के वर्कर्स के संबंध में उस चिन्ता को प्रकट करने वालों के साथ कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। माननीय श्रम मंत्री ने स्वयं स्पष्ट मत व्यक्त किया है और अपनी स्पीच में उन्होंने मुख्य मंत्री जी से अपील भी कर दी। वहां जो कमियां हैं उन्हें दूर करना है और मैं यह स्वीकार करता हूं कि जितने औद्योगिक प्रश्न वहां हैं उनको सुधारने की बड़ी गुंजायश है और मुझे आशा है कि श्रम मंत्राणी जी जितना भी कर सकती हैं करेंगी और मैं स्वयं श्रम विभाग की ओर से आश्वासन देना चाहता हूं कि उस तरफ हमारी नजर बराबर रही है और चेष्टा करते आये हैं और काफी तरक्की हुई है और काफी भविष्य में होने की आशा और विश्वास है।

बुढ़ापे की पेंशन के बारे में कहा गया कि जहां १० रुपये की आमदनी है वह पेंशन नहीं मिलती। जयगोपाल जी कह कर चले गये और यह एक अच्छी परम्परा है, लेकिन शायद उनको यह मालूम नहीं है कि यह तय हो चुका है कि उन्हें भी १५ रुपय मिलेंगे। दिसम्बर के महीने में यह तय हो चुका है। उनकी यह शिकायत अब दूर हो जायगी।

एम्पलायमेन्ट एक्सचेंज के बारे में मैं स्पष्ट कहना चहता हूं कि वह नौकरी नहीं दे सकता। जिस तरह से बावरची और डेकची मिल कर खाना नहीं हो सकता उसी तरह से एम्पलायमेंट एक्सचेंज नौकरी पैदा करने वाली जगह नहीं हो सकता। जो सूचना उसके पास आयेगी उस हिसाब से वह प्लेसिंग कर देगा। बेहद लाचारी है। हम जानते हैं कि सार्वजनिक योजनाओं के बावजूद, दूसरी पंचवर्षीय योजना में काफी संख्या लोगों की बेकार रही और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सब बेकारी खत्म हो जायगी यह संभव दीखता नहीं है, क्योंकि हमारे जितने साधन हैं वे सीमित हैं। नौकरी देने के लिये जो साधन होना चाहिये वह अर्थ का है और वह सीमित है और उन सीमित साधनों के अन्दर हमें काम करना पड़ रहा है और जब उन साधनों को बढ़ाने की चर्चा आयेगी तो हमारे प्रदेश में उधर के माननीय सदस्य कितना सहयोग देंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं मानता हूं कि हमें सबकी तरक्की में दिलचस्पी है, बेकारी को दूर करने में दिलचस्पी है। मैं चाहूं भी तो आज सारे डीटेल्स नहीं बतला सकता। प्लानिंग के बजट में सारी बातें तय हो चुकी हैं। इतना समय नहीं है कि उसको एनालाइज कर सकूं।

आपने अनएम्पलायमेंट कम्पेन्सेशन के बारे में कहा। जिस देश में ६८ परसेंट आदमी खेती में लगे हों और शेष दूसरे धन्धों में लगे हों वहां समाज में इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी रिलीव बेकारों को दे सके। वह स्कीम नहीं चल सकती और न इस सरकार का इरादा है कि उसे चलावे। हम तो साधन और शक्ति के हिसाब से ही काम उठाते हैं।

हमारे श्रम विभाग के कर्मचारियों को और हमको इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि आपकी राय और मशविरे से श्रमिकों की तरक्की हो, लेकिन इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं कि श्रमिकों के लिये जितना हम कर सकेंगे उतना करने में कोई कोताही नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय नरसिंह नारायण जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेकर श्रमिकों के प्रति अपने प्यार का आखिरी सबूत देने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष--मैं नरसिंहनारायण के कटौती के प्रस्ताव पर मत लेता हूं। प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २७--श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९३,८२,१०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१३१,
विपक्ष में--३८।)

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--जब वोटिंग होती है तब व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता।

श्री भीखालाल--अब तो वोटिंग खत्म हो गयी, अब सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—अच्छा कहिये ।

श्री भीखालाल—मैं जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ? श्री उपाध्यक्ष ने वोटिंग में हिस्सा लिया है ।

श्री अध्यक्ष—उपाध्यक्ष विवाद में भी हिस्सा ले सकते हैं और वोटिंग में भी हिस्सा ले सकते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
३० मई, १९६२ ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ८९ एल० ए०—१९६२—८४५ ।